(केवल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रयोग के लिए)

केंद्रीय लेखापरीक्षा की नियम-पुस्तिका

खण्ड III

(पेंशन लेखापरीक्षा)

(द्वितीय संस्करण 2013)

निम्न द्वारा जारी:

प्रधान महालेखाकार (जी एण्ड एस एस ए), केरल तिरूवनन्तपुरम

प्रस्तावना

यह मैनुअल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों (प्रशासनिक) के मैनुअल खंड I के पैराग्राफ 2.2 के अनुसार उनके लाभार्थ तैयार किया गया है, जो पेंशन लेखापरीक्षा करते हैं।

इस मैनुअल में दिए गए अनुदेश उन अनुदेशों के पूरक हैं जो सरकार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किए गए विभिन्न संहिताओं और नियम-पुस्तिकाओं में दिए गए हैं।

इस नियम-पुस्तिका को अद्यतन रखने की जिम्मेदारी पेंशन लेखापरीक्षा के प्रभारी एकीकृत लेखापरीक्षा एकक अनुभाग की है और इस प्रयोजन के लिए उस अनुभाग के द्वारा समय-समय पर संशोधन पर्चियां जारी की जानी चाहिए।

तिरुवनन्तपुरम **(आर एन घोष)**

दिनांक 24-10-2013 **प्रधान महालेखाकार (जी एंड एस एस ए)**

विषय-वस्तु

अध्याय सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
I	सामान्य	1
II	पेंशन की श्रेणियां और पेंशन भुगतान की विधि	2
III	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान	6
IV	पेंशन का अंतरण	14
V	पेंशन का परिवर्तन	16
VI	परिवार पेंशन	21
VII	पेंशन पर राहत	26
VIII	पेंशन का संशोधन	31
IX	विविध	60
X	पेंशन की लेखापरीक्षा	66

अध्याय I
सामान्य

1.1.1 पेंशन की लेखापरीक्षा में यह जांच करना शामिल होता है कि पेंशन की मंजूरी को शासित करने वाली अर्हक शर्तें पूरी की जाती हैं तथा स्वीकृत एवं ली गई पेंशन की राशि सही है। पेंशन के लिए दावे की ग्राह्यता संबंधी रिपोर्ट लेखा कार्यालयों में तैयार की जाती हैं तथा पेंशन लेने के लिए आवश्यक प्राधिकार उन कार्यालयों के द्वारा जारी किया जाता है। उन कार्यालयों में दिए गए कार्य की प्रधान महालेखाकार (जी एंड एस एस ए) के द्वारा जांच नहीं की जाती है अपितु भुगतान किए गए वाउचरों की निरीक्षणों के दौरान प्रधान महालेखाकार (जी एंड एस एस ए) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।

1.1.2 फरवरी, 1987 में मुख्यालय ने पेंशन वाउचरों की लेखापरीक्षा करने की प्रणाली को बंद करने का निर्णय लिया और परिणामत: प्रधान महालेखाकार (जी ए एंड ई) के कार्यालय में पेंशन वाउचरों की लेखापरीक्षा एवं पेंशन मामलों के नमूना परीक्षण और प्राधिकार संबंधी कार्य बंद हो गए। तदनुसार पेंशन की लेखापरीक्षा, ट्रेशरियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पेंशन वाउचरों की लेखापरीक्षा तक ही सीमित हो गई। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय से ट्रेशरियों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्य जनवरी, 1992 से महालेखाकार (ए एंड ई) को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निरीक्षण के पेंशन के पुन: गणना के संबंध में प्राप्त हुई परिकलन शीटों (पत्रकों) के जांच करने का कार्य ही प्रधान महालेखाकार (जी एंड एस एस ए) के पास रहा।

अध्याय II

पेंशन की श्रेणियां और पेंशन भुगतान की विधि

2.1.1 महालेखाकार (ए एंड ई) का पेंशन समूह, सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त स्कूलों तथा निजी कॉलेजों के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा केरल के अन्य संस्थानों जिनके पेंशन संबंधी प्रभार राज्य सरकार के द्वारा वहन किये जाते हैं, उनके पेंशन संबंधी दावों के सत्यापन एवं प्राधिकार संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है । यह समूह संवैधानिक और सांविधिक प्राधिकारियों जैसे उच्च न्यायालय के जजों, केपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों, लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त, केरल पब्लिक (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम, मंत्रियों के निजी स्टाफ, विपक्ष के नेता और सरकारी चीफ विप, राज्य सूचना आयोग आदि के पेंशन संबंधी दावों के बारे में भी कार्रवाई करता है ।

2.1.2 निम्नलिखित श्रेणियों की पेंशन को महालेखाकार (ए एंड ई) द्वारा किया जाता है:-

i) सेवा पेंशन परिवार पेंशन और अनुग्रह पेंशन
ii) पूर्व शासक परिवारों के सदस्यों के लिए परिवार पेंशन जैसी राजक्षेत्रीय और राजनैतिक पेंशन और भत्ते
iii) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों (केंद्रीय) को पेंशन
iv) राजस्व पेंशन
v) विशेष पेंशन
vi) नित्य चिलावु पेंशन (महल पेंशन)
vii) धान के संदर्भ में भुगतान की गई पेंशन
viii) भारत में अन्य राज्यों की ओर से भुगतान की गई पेंशन
ix) विदेशी सरकारों जैसे श्रीलंका बर्मा सरकार आदि की ओर से भुगतान की गई पेंशन
x) रेलवे पेंशन
xi) रक्षा पेंशन
xii) टेलीकॉम पेंशन
xiii) राज्य विधानमण्डल के भूतपूर्व सदस्यों का पेंशन
xiv) संसद के भूतपूर्व सदस्यों का पेंशन
xv) अनुकंपा निधियों से भारत सरकार द्वारा पुरस्कार
xvi) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को राज्य की समेकित निधियों से पेंशन

2.2 पेंशन भुगतान की विधि

2.2.1 पेंशन भुगतान आदेशों का निर्गम

महालेखाकार (ए एंड ई) निम्नलिखित मामलों मे पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) जारी करेगा ।

क) पेंशन संबंधी नए मामले

ख) अनुदानग्राही की मृत्यु होने के कारण राजक्षेत्रीय अथवा राजनैतिक पेंशन की चूक के मामलों में नए आदेश जारी करना ।

ग) इस लेखा सर्किल में अन्य लेखा सर्किल से पेंशन का अंतरण ।

राज्य महालेखाकार को 1-1-1990 से केंद्रीय पेंशनों को प्राधिकृत करने के कार्य से मुक्त किया गया है । महालेखाकार के द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेशों के तथा तथा केरल सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के प्राधिकार पर ट्रावनकोर और कोचीन के राज परिवारों के सदस्यों को अदा किए जाते भत्तों के संबंध में पी पी ओ जारी नहीं किए जाते है ।

2.2.2 पेंशन का वितरण

पेंशनभोगियों को उपलब्ध भुगतान की विभिन्न विधियों की सूची नीचे दी जाती है ।

1. पेंशनभोगी के द्वारा बिलों को प्रस्तुत करने पर भुगतान
2. ट्रेशरी बचत बैंक (टी एस बी) के माध्यम से भुगतान । यहां पर पेंशनभोगी के द्वारा बिल प्रस्तुत किया जाना है तथा बिल प्रस्तुत करने की तारीख को ही क्रेडिट किया जाता है ।
3. ट्रेशरी बचत बैंक के माध्यम से पेंशन (पी टी एस बी) । इस मामले में क्रेडिट हर महीने खाते में स्वत: दे दी जाती है । पेंशनभोगी के द्वारा कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किया जाना है ।

2.2.3 पोस्टल मनीआर्डरों के माध्यम से भुगतान

इस मामले में, निम्नलिखित श्रेणियों के पेंशनभोगियों को ही सरकारी खर्च पर मनीआर्डर पेंशन भेजी जाएगी

1. 75 वर्ष और अधिक आयु के पेंशनभोगी
2. ऐसे पेंशनभोगी, जो विकलांग हैं और जो ट्रेशरी पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं ।
3. ऐसे पेंशनभोगी, जो गंभीर बीमारी के कारण अशक्त हैं ।
4. मानसिक तौर पर मंद पेंशनभोगी

अन्य मामलों में, मनीआर्डर का कमीशन पेंशनभोगी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा ।

2.2.4 प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से भुगतान

पेंशन का ऐसे एजेंट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है जिसे वैध मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) के माध्यम से प्राधिकार दिया गया है । एजेंट के द्वारा पेंशनभोगी का जीवन प्रमाण-पत्र प्रत्येक बिल के साथ संलग्न किया जाना चाहिए । यदि एजेंट ने अधिक भुगतानों को वापस करने की सहमति का कोई क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित किया है, तो जीवन प्रमाण-पत्र वर्ष में एक बार प्रस्तुत करना होगा । यह प्रक्रिया ऐसे सभी पेंशनभोगियों के लिए लागू है, जो राज्य से बाहर रहते हैं/प्रवासी हैं, बशर्ते कि वे एजेंट के माध्यम से पेंशन का

भुगतान लेने के लिए आर बी आई की पूर्व अनुमति प्राप्त की है । प्रवासियों के मामले में, जीवन प्रमाण-पत्र उस देश के भारतीय दूतावास के अधिकारियों के द्वारा जारी किया जाएगा, जहां पर पेंशनभोगी रहता है ।

2.2.5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से भुगतान

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केरल के लिए पेंशन का भुगतान करने की स्कीम दि.1-12-1984 से प्रभावी हुई थी । केरल के लिए पेंशन सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उन्नीस बैंकों को प्राधिकृत किया गया है ।

जो पेंशनभोगी अपनी पेंशन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के माध्यम से लेने का विकल्प देता है, उनके पेंशन तथा डी सी आर जी का प्रथम भुगतान ट्रेशरी द्वारा किए जाने के बाद ही उसका पेंशन भुगतान आदेश बैंक में स्थानांतरित किया जाएगा । बाद में अधिकृत डीसीआरजी की बकाया राशि का यदि कोई हो, भुगतान बैंक द्वारा तभी किया जाए, जब मूल डीसीआरजी का ट्रेशरी के द्वारा भुगतान कर दिया जाए । जो पेंशनभोगी अपनी पेंशन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से लेना चाहते है, उन्हें उस जिला/सब ट्रेशरी अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में आवेदन करना होगा जिससे वे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं । पेंशन स्वत: ही हर महीने पेंशनभोगियों के बचत बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी । पेंशनभोगियों को कोई बिल प्रस्तुत नहीं करना होगा ।

यह स्कीम केरल में रह रहे निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पेंशनभोगियों तथा केरल से अपनी पेंशन ले रहे पेंशनभोगियों के लिए बढ़ायी गई है:-

1. तमिलनाडु, 2. कर्नाटक, 3. पुडुचेरी, 4. ओडिसा, 5. मध्य प्रदेश, 6. गुजरात, 7. मेघालय, 8. त्रिपुरा, 9. पंजाब, 10. पश्चिम बंगाल, 11. मिजोरम, 12. नागालैंड 13. असम, 14. हिमाचल प्रदेश, 15. अरूणाचल प्रदेश और 16. राजस्थान

2.3 पी पी ओ/जी पी ओ/परिवर्तन प्राधिकरण की वैधता

पेंशन भुगतान आदेशों (पीपीओ), परिदान भुगतान आदेशों (जी पी ओ) तथा पेंशन के परिवर्तित मूल्य (सी वी पी) से संबंधित प्राधिकरणों की वैधता अवधि उनके निर्गम की तारीख से तीन वर्ष हैं । उसके बाद में भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकरण /स्वीकृति लेना आवश्यक है । यदि 36 महीनों की लगातार अवधि के लिए पीपीओ पर कोई भुगतान न किया गया हो तो वह समाप्त हो जाती है । इसके बाद में जब पेंशनभोगी भुगतान हेतु उपस्थित होता है तो पेंशन संवितरण प्राधिकारी पीपीओ के दोनों आधे-आधे भागों को पुन: वैधीकरण हेतु महालेखाकार को भेजेगा । यदि पेंशन की बकाया राशि का पहली बार भुगतान करना हो अथवा बकाया की राशि रु. 75000/- से अधिक हो तो बकाया राशि का भुगतान करने हेतु महालेखाकार के माध्यम से सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । ऐसे पीपीओ को पेंशन भोगी की उपस्थिति के महीने से पेंशन का भुगतान के लिए वैध बनाया जाएगा ।

2.4 आजीवन बकाया राशि

पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर पेंशन/परिवर्तन/ परिवार पेंशन की देय आजीवन बकाया राशियों का, यदि कोई हो, पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा नामिती/उत्तराधिकारियों को वितरण किया जा सकता है, यदि पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु को एक वर्ष न गुजरा हो । यदि एक वर्ष की अवधि गुजर गई हो तो भुगतान महालेखाकार की स्वीकृति से ही किया जाएगा । डीसीआरजी/सीवीपी की आजीवन बकाया राशियों (एलटीए) का भुगतान महालेखाकार के द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा । यदि नामांकन किया गया हो तो एलटीए प्राधिकृत करने के लिए पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी से नई स्वीकृति की जरूरत नहीं है । डीसीआरजी के भुगतान हेतु कानूनी उत्तराधिकारियों का नामांकन न होने की स्थिति में पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी से विशेष स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए ।

अध्याय III

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान

3.1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान करने की स्कीम:-

3.1.1 राज्य सरकार के सिविल पेंशनभोगियों तथा अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारियों जो राज्य सरकार के अधीन किसी पद से सेवानिवृत्त हुए हों तथा वे जो राज्य संवर्ग में थे और 1-10-1982 के बाद केंद्र सरकार के अधीन पदों से सेवानिवृत्त हुए थे, उनको तथा परिवार पेंशनधारकों को सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान करने की एक स्कीम केरल राज्य में 1-12-1984[1] से शुरू की गई थी।

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोट
3. कैनरा बैंक
4. सिंडीकेट बैंक
5. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
6. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
7. इंडियन बैंक
8. इंडियन ओवरसीज बैंक
9. विजया बैंक
10. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
11. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
12. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
13. देना बैंक
14. इलाहाबाद बैंक
15. कॉरपोरेशन बैंक
16. बैंक ऑफ बडौदा
17. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
18. पंजाब नेशनल बैंक
19. पंजाब एंड सिंध बैंक

3.1.2 मौजूदा राज्य सिविल पेंशनभोगी तथा अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन किसी पद से सेवा निवृत्त हुए हैं तथा अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जो राज्य संवर्ग में थे लेकिन 1-10-1982 को अथवा इसके बाद में केंद्र सरकार के अधीन किन्हीं पदों से सेवा निवृत्त हुए हों अथवा सेवा-निवृत्त होंगे तथा उनके ऐसे परिवार पेंशनभोगी जो राज्य में ट्रेजरियों से अपनी पेंशन ले रहे हैं तथा इन श्रेणियों के भावी पेंशनभोगी अपने द्वारा चुने गए सार्वजनिक क्षेत्र के पूर्वोक्त 19 बैंकों की किसी शाखा से अपनी पेंशन लेने का विकल्प दे सकते हैं।

---

[1] लागु होने की तारीख दिनांक 30-08-1984 के जीओ (पी) 455/84/वित्त द्वारा 1-9-84 से बदलकर 1-12-84 की गई।

3.1.3 पेंशन भुगतान स्वचालित होगा; बैंक से पेंशन लेने के लिए पेंशनभोगियों के द्वारा कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। पेंशनभोगी के द्वारा चुनी गई भुगतान शाखा के द्वारा हर महीने की पेंशन राशि देय तारीख को अथवा उसके बाद में उसके व्यक्तिगत बचत/चालू खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ लेने वाले प्रत्येक पेंशनभोगी को अपने नाम से बचत/चालू खाता खोलना होगा यदि उसका पहले ऐसा खाता न हो। पेंशन का भुगतान नकद रूप में या "संयुक्त" अथवा " दोनों में से एक या उत्तरजीवी खाते " के माध्यम से नहीं किया जाएगा।

3.2 विभिन्न चरणों पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में नीचे दर्शाया गया है:

3.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक:-

इस प्रयोजन के लिए चुने गए सार्वजनिक क्षेत्र का प्रत्येक बैंक, जिले में अपनी विभिन्न शाखाओं के द्वारा पेंशन के संवितरण और पेंशन के भुगतान के लेखा संबंधी कार्य का समन्वय करने के लिए प्रत्येक जिले के मुख्यालय में तत्काल एक लिंक शाखा को नामित करेगा (यदि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक की किसी जिला मुख्यालय में कोई शाखा न हो, तो उस जिले में अपनी समीपस्थ शाखा को लिंक शाखा के रूप में नामित किया जाए)। केरल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक जिले में लिंक शाखा के नाम और पते के बारे में जिले की अन्य शाखाओं की सूची और उनके पतों सहित संबंधित ट्रेशरी अधिकारी तथा महालेखाकार को सूचित करेगा।

3.2.2 ट्रेशरियां - सभी ट्रेशरियां और उप-ट्रेशरियाँ स्कीम में शामिल पेंशनभोगियों और पैरा 3.1.2 में दर्शायी श्रेणियों के पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान आदेशों के संवितरकों वाले आधे भाग के नवीकरण के बारे में उस स्थिति में तत्काल कार्रवाई करेगा, जहाँ भी ऐसे पेंशन भुगतान आदेश फटे हुए अथवा विकृत होते है।

लिंक शाखा और पैरा 3.2.1 में निर्दिष्ट अन्य शाखाओं के संबंध में ब्यौरे प्राप्त होने पर जिला ट्रेशरी अधिकारी, प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा स्टेशन पर सरकारी कार्य करने वाली उसकी सहायक शाखा द्वारा अथवा ट्रेशरी संबंधी कार्य कर रहे ऐसे बैंक की समीपस्थ शाखा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अपने नमूना हस्ताक्षर और अपनी सील की एक प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक की लिंक शाखा के प्रबंधक/एजेंट को पंजीकृत लिफाफे में भेजेगा।

3.2.3 पेंशनभोगी - पैरा 3.1.2 में दर्शायी श्रेणियों के पेंशनभोगी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के किसी शाखा से अपनी पेंशन लेना चाहते हैं, वे उस ट्रेशरी अधिकारी/उप-ट्रेशरी अधिकारी को अनुलग्नक-I में दिए गए निर्धारित प्रपत्र की दो प्रतियों में आवेदन करेंगे, जहां से वे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। देय तारीख को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में अगली पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए महीने की 10 तारीख को अथवा उससे पहले ट्रेशरी में आवेदन दिया जाए। महीने की 10 तारीख के बाद आवेदन प्राप्त होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की चुनिंदा शाखा में देय तारीख को अगली पेंशन का भुगतान पेंशन भुगतान आदेशों के आने में समय लगने की वजह से कुछ दिनों के लिए विलंबित किया जा सकता है। भावी पेंशनभोगी पेंशन के लिए आवेदन-पत्र में अपना विकल्प

दर्शाएंगे । इस स्कीम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन के भुगतान की सुविधा का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब पेंशन और परिदान का प्रथम भुगतान उपयुक्त ट्रेशरी से प्राधिकृत और आहरित कर लिया जाता है (यदि पेंशन नियमों के अधीन स्वीकार्य हो) ।

3.3 जिला ट्रेशरी अधिकारियों के द्वारा पेंशन भुगतान आदेशों का लिंक शाखा में हस्तांतरण

3.3.1 पेंशन भुगतान आदेशों के हस्तांतरण रजिस्टर एवं अन्य संबंधित रिकार्डों में एक सप्ताह के भीतर आवश्यक नोटिंग करने के बाद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के संवितरण के आधे भाग के साथ सब-ट्रेशरी में दो प्रतियों में प्राप्त हुए आवेदन पत्र को संबंधित जिला ट्रेशरी अधिकारी को भेजा जाएगा ।

3.3.2 जिला ट्रेशरी अधिकारी के द्वारा सीधे ही प्राप्त तथा उपर्युक्त पैराग्राफ में यथा निर्दिष्ट उप ट्रेशरी अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुए पेंशनभोगी के विकल्प संबंधी आवेदन-पत्र की मूल प्रति, पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक के अधिभाग सहित जिला ट्रेशरी अधिकारी द्वारा अपनी मुहर लगाकर महालेखाकार को सूचित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की नामित लिंक शाखा को भेजी जाएगा । दस्तावेजों को संदेशवाहक के माध्यम से अथवा पंजीकृत डाक से लिंक शाखा को भेजा जाएगा । साथ ही, पेंशनभोगी को आगे पेंशन भुगतान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा में संपर्क करने की सलाह दी जाएगी । आवेदन-पत्र की दूसरी प्रति जिला ट्रेशरी में रख ली जाएगी ।

3.3.3 जिस महीने तक ट्रेशरी/उप ट्रेशरी के द्वारा पेंशन का भुगतान किया गया था और जिस महीने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के द्वारा पेंशन के भुगतान की व्यवस्था की जाएगी, इस बारे में लिंक शाखा को उपर्युक्त दस्तावेज भेजते समय साफ-साफ निर्दिष्ट किया जाएगा । जिला ट्रेशरी अधिकारी द्वारा लिंक शाखा को एक सप्ताह के भीतर आवेदन-पत्र भेजने चाहिए ।

3.3.4 प्रत्येक जिला ट्रेजरी अधिकारी के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लिंक शाखाओं को हस्तांतरित किए गए सभी पेंशन आदेशों तथा ऐसे हस्तांतरण हेतु उप ट्रेजरियों से प्राप्त हुए पेंशन भुगतान आदेशों को रिकार्ड करने के लिए वह एक रजिस्टर रखेगा । भुगतान के प्रयोजनों के लिए विभिन्न बैंकों को पेंशन भुगतान आदेशों के विवरणों को ट्रेजरी के द्वारा बैंक वार अलग-अलग रजिस्टरों में नोट किया जाएगा, जिनमें भुगतान करने वाली अलग-अलग शाखाओं के लिए अलग-अलग पृष्ठ संख्या नियत की जाएगी ।

3.4 लिंक शाखा के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा में पेंशन भुगतान आदेशों का प्रेषण

3.4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की नामित लिंक शाखा में राज्य सिविल पेंशन धारकों और उनके परिवार पेंशनधारकों के बारे में अनुलग्नक II (क) में दिए प्रपत्र में तथा पैरा 3.1.2 में शामिल अखिल भारतीय सेवा पेंशनधारकों तथा उनके परिवार पेंशनधारकों के बारे में अनुलग्नक II (ख) में दिए प्रपत्र में जिले के उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की अलग-अलग शाखाओं द्वारा किए जाने वाले प्राधिकृत पेंशन भुगतानों का एक सूचक रजिस्टर बनाया जाएगा ।

3.4.2 जिला ट्रेजरी से दस्तावेजों के प्राप्त होने पर लिंक शाखा पैरा 3.2.2 के तहत प्राप्त हुए ट्रेशरी अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर और विनिर्दिष्ट मुहर की जांच करेगी और उसे रिकार्ड में दर्ज करेगी ।

3.4.3 प्राप्त दस्तावेज अर्थात् पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक के आधे भाग/दोनों भागों तथा पेंशनभोगी के मूल विकल्प आवेदन पत्र को लिंक शाखा द्वारा पेंशनभोगी के द्वारा विनिर्दिष्ट विशेष भुगतान शाखा को पेंशनभोगी को सूचित करते हुए तत्काल भेजा जाएगा, जिसे उसके बाद 'भुगतान शाखा' कहा जाएगा ।

3.5 भुगतान शाखा के कार्य

3.5.1 यथा निर्दिष्ट लिंक शाखा से दस्तावेज प्राप्त होने पर भुगतान शाखा, अनुलग्नक Iक में दिए पत्र के माध्यम से उसमें दिए दस्तावेजों के साथ शाखा में उपस्थित होने के लिए पेंशनभोगी को तत्काल पत्र लिखेगी ।

भुगतान शुरु करने से पूर्व भुगतान शाखा, पीपीओ के संवितरक भाग में यथा उपलब्ध स्थान पर नए पेंशनभोगी के नमूना हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान, जो भी मामला हो, प्राप्त करेगी तथा पीपीओ के पेंशनभोगी वाले भाग को पीपीओ के साथ प्राप्त हुए नमूने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान से मिलान करने के बाद में उसे सौंप देगी ।

3.5.2 पीपीओ के पेंशनभोगी वाले भाग के गुम हो जाने की स्थिति में भुगतान शाखा उन तथ्यों की सूचना देगी जिसमें लिंक शाखा के माध्यम से जिला ट्रेशरी के भुगतान करने की तारीख और महीने को विनिर्दिष्ट किया जाना तथा पीपीओ के पेंशनभोगी वाला भाग और नियमावली 293 के टी सी खंड I के अनुदेश I के तहत पेंशनभोगी का डुप्लीकेट आधा भाग जारी करने के लिए मुख्य शीर्ष 065 के तहत उपयुक्त उप/विस्तृत शीर्ष में रू. 5 का शुल्क जमा करने के प्रमाण की चालान रसीद के साथ (उस बैंक के पेंशनभोगी द्वारा जमा करना) शामिल है, जिसकी अभिरक्षा में पी पी ओ गुम हो गया था ।

3.5.3 पी पी ओ के संवितरक वाले भाग के गुम हो जाने की स्थिति में भुगतान शाखा लिंक शाखा के माध्यम से जिला ट्रेशरी को उन तथ्यों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा जिनमें संवितरक वाला भाग गुम हो गया था, उस तारीख और महीने के बारे में बताया जाएगा, जब तक पीपीओ पर पेंशन का भुगतान किया गया था और केरल ट्रेशरी संहिता, खंड-I के नियम 293 के अनुदेश 2 के तहत संवितरक वाला डुप्लीकेट भाग जारी करने हेतु आगे कार्रवाई करने के लिए मुख्य शीर्ष 065 के तहत उपयुक्त उप/विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत रू. 5 का शुल्क जमा करने के प्रमाण-स्वरूप चालान रसीद संलग्न की जाएगी ।

3.5.4 डुप्लीकेट पी पी ओ प्राप्त होने पर ऐसे मामलों में भुगतान शुरू करने से पूर्व भुगतान शाखा निम्नलिखित अगली कार्रवाई भी करेगी ।

(क) मूल पी पी ओ पर कोई भुगतान किया जाए इस तथ्य का पेंशनों के भुगतान रजिस्टर (अनुलग्नक III क और III ख) के अभ्युक्ति कॉलम में डुप्लीकेट पीपीओ के विवरणों को नोट करते समय उसमें विशेष तौर पर उल्लेख करना होगा ।

(ख) पेंशनभोगी वाला भाग गुम हो जाने की स्थिति में पेंशनभोगी से इस आशय का वचनपत्र लेना कि यदि वह भाग बाद में मिल जाता है तो वह मूल पीपीओ भुगतान शाखा को अभ्यर्पित करेगा और उसके बलबूत्ते पर भुगतान के लिए दावा नहीं करेगा ।

(ग) यह जांच करना तथा सुनिश्चित करना कि मूल पीपीओ के गुम हो जाने के संबंध में जिला ट्रेशरी को दी गई सूचना की तारीख से डुप्लीकेट पीपीओ पर पेंशन का भुगतान शुरू करने की तारीख तक पेंशनभोगी को मूल पीपीओ पर कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

3.5.5 भुगतान शाखा में पेंशनभोगी के पहली बार आने पर बैंक का प्रभारी अधिकारी/ शाखा प्रबंधक अथवा नामोर्दिष्ट अधिकारी पेंशनभोगी की पहचान के बारे में यह सुनिश्चित करके स्वयं को संतुष्ट करेगा कि

(i) पेंशनभोगी ने पीपीओ की अपनी प्रति प्रस्तुत कर दी है ।

(ii) पीपीओ के संवितरक वाले भाग में दिए गए पेंशनभोगी के चेहरे अथवा/ और हाथ पर निजी पहचान चिह्न की यदि कोई हो, जांच कर ली गई है ।

(iii) उन भारतीय महिलाओं के अलावा जो जनता के सामने नहीं आती हैं, यूरोपीयन महिलाएं वे व्यक्ति जो सरकारी पद धारण करते हैं, वे व्यक्ति जो वूण्ड असाधारण नियमावली के तहत परिवार पेंशन प्राप्त करते है अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो केटीसी खंड I के नियम 272 (ख) के लागू होने से सरकार से विशेष रूप से छूट प्राप्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के अलावा पेंशनभोगी पीपीओ के संवितरक भाग पर लगा उसका फोटो उससे बहुत मिलता है ।

(iv) शारीरिक रूप से विक्लांग पेंशनभोगी के मामले में, जो भुगतान शाखा में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ होता है उसको निजी तौर पर उपस्थित होने से छूट दी जाएगी । इसके बजाय प्रभारी अधिकारी/बैंक प्रबंधक अथवा नामोर्दिष्ट अधिकारी उपर्युक्त उप पैरा (i) से (iii) में यथा अपेक्षित पहचान करने तथा नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी के निवास स्थान/अस्पताल का दौरा कर सकता है । इस प्रयोजन के लिए पेंशनभोगी अपनी विक्लांगता के बारे में चिकित्सक से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भुगतान शाखा को प्रस्तुत करेगा ।

(v) जिन मामलों में पेंशनभोगी के विक्लांग होने की वजह से उपर्युक्त (iv) में दी गई अपेक्षाओं का पालन करना संभव नहीं है, वहां पर उसकी पहचान की उपर्युक्त (i) से (iii) के आधार पर जांच की जा सकती है । शारीरिक बीमारी अथवा अशक्तता के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत रूप से अस्थायी तौर पर असमर्थता के मामले में पेंशनभोगी के बीमारी से ठीक होते ही उपर्युक्त की जांच की जा सकती है ।

जब संवितरक वाले भाग पर कोई फोटो न हो, तो भुगतान शाखा पेंशनभोगी से बाद में नया फोटो प्राप्त करेगी (भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित तथा संवितरक वाले भाग को पूरा करेगी ।

3.5.6 ऐसी निजी पहचान केवल भुगतान शाखा में पेंशन के प्रथम भुगतान करने के लिए होगी ।

3.5.7 पेंशनभोगियों को भुगतान शाखा में कोई बिल प्रस्तुत नहीं करना होगा । भुगतान शाखा के द्वारा पेंशन का भुगतान नीचे पैराग्राफ 3.5.8 के द्वारा आयकर की कटौती करने के बाद भुगतान शाखा में पेंशनभोगी के बचत/चालू खाते में जमा करके दिया जाएगा । पेंशन का नकद अथवा ' संयुक्त' अथवा ' दोनों या उत्तरजीव' के खाते के माध्यम से भुगतान नहीं किया जाएगा । भुगतान शाखा उसी महीने के पहले कार्यदिवस को देय पेंशन की निवल राशि पेंशनभोगी के खाते में जमा करेगी । इनमें अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियमावली से शासित ऐसे पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी शामिल नहीं हैं, जिनके मामले में इसे अगले मास के पहले कार्यदिवस को ही जमा किया जाएगा । अपवाद स्वरूप मामलों में यदि देय पेंशन को यथा पूर्वोक्त नियत तारीखों को जमा नहीं किया जा सका हो, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे इसके बाद यथा संभव शीघ्र जमा किया जाता है ।

3.5.8 भुगतान शाखा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार पेंशन के भुगतानों में से स्त्रोत पर आय कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार होगी । जहां पर ऐसी कटौतियां की जाती है, वहां भुगतान शाखा आय कर नियमावली में निर्धारित फार्म में आय कर की कटौती का एक प्रमाण- पत्र हर वर्ष अप्रैल मास में पेंशनभोगी के लिए जारी करेगी ।

3.5.9 भुगतान शाखा राज्य सिविल पेंशनभोगियों और उनके परिवार पेंशनभोगियों के संबंध में अनुलग्नक III क में तथा सेवा-निवृत्त अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों और उनके परिवार पेंशनभोगियों के संबंध में अनुलग्नक III (ख) में दिए प्रपत्र में समय-समय पर उसके द्वारा किए गए पेंशन भुगतानों का एक विस्तृत रिकार्ड रखेगी । सेवा-पेंशन भुगतानों का एक विस्तृत रिकार्ड रखेगी । सेवा-पेंशनभोगियों और परिवार-पेंशन भोगियों के ब्यौरे रिकार्ड करने के लिए अलग-अलग भाग नियत किए जाएंगे । प्रत्येक भुगतान के पेंशन भुगतान आदेश के वितरक वाले भाग में भी प्रविष्टि की जाएगी तथा भुगतान शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित भी किया जाएगा ।

3.5.10 (i) भुगतान शाखा के द्वारा राज्य सेवा और परिवार पेंशनभोगियों के भुगतान की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में फार्म-III में अलग-अलग सूचियां तैयार की जाएगी:-

क) राज्य सेवा पेंशनभोगी

ख) सहायता प्राप्त स्कूल सेवा पेंशनभोगी

ग) निजी कॉलेज सेवा पेंशनभोगी

घ) अनुकंपा भत्ता

ड) असाधारण पेंशन

च) राज्य परिवार पेंशन

छ) परिवर्तित मूल्य का भुगतान

ज) मृत्यु-सह- सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान

डी ए सहित पेंशन के आवंटन को कॉलम 12 में देना होगा तथा इसे पीपीओ में महालेखाकार द्वारा की गई नोटिंग के अनुसार आबंटित मूल पेंशन के हिसाब से उसी अनुपात में किया जाएगा ।

(ii) भुगतान शाखा के द्वारा अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों और अखिल भारतीय परिवार पेंशनभोगियों के संबंध में अनुलग्नक III (ख) में दिए प्रपत्र में अलग-अलग सूचियां तैयार की जाएंगी ।

3.5.11 उपर्युक्त पैरा 3.5.10 में निर्दिष्ट सूचियां भुगतान शाखा को चार-चार प्रतियों में तैयार करनी होगी। जहां पर भुगतान शाखा और लिंक शाखा एक ही हों, वहां पर तीन-तीन प्रतियां ही तैयार करनी होगी। भुगतान शाखा पेंशन भुगतानों की मासिक सूचना हर महीने की 10 तारीख तक लिंक शाखा को भेजेगी तथा इस सूचना पर भुगतान प्रमाण पत्र रिकार्ड किया जाएगा। सूची की एक प्रति स्वयं अपने रिकार्ड के लिए भुगतान शाखा के द्वारा रखी जाएगी तथा सूचियों की शेष प्रतियों को नीचे दिए पैरा 3.8 के तहत पेंशनभोगी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र और/अथवा घोषणा-पत्रों के साथ लिंक शाखा को पेंशन भुगतान आदेशों के संवितरक वाले और पेंशनभोगी के भाग को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की निजी अभिरक्षा में एक सुव्यवस्थित तरीके से विधिवत् यह सुनिश्चित करते हुए अलग-अलग फाइलों में रखा जाएगा कि पेंशनभोगियों की इन तक पहुच नहीं होगी।

3.6 लिंक शाखा के कार्य

जिले में सभी भुगतान शाखाओं से आवश्यक समर्थन दस्तावेजों के साथ भुगतान सूचना एवं सूचियों की तीन प्रतियां प्राप्त होने पर लिंक शाखा सूची की दो प्रतियां और समर्थन दस्तावेजों की 2 प्रतियां हर महीने की 15 तारीख तक उनके साथ सार-पत्रक एवं पेंशभोगियों की ओर से सरकार से राशि प्राप्त होने की विधिवत् स्टांप लगी रसीद भारतीय स्टेट बैंक को तथा जिला मुख्यालय में सरकारी कारोबार संबंधी लेन-देन करने वाली सहायक कम्पनियों को प्रस्तुत करेगी। जहां पर जिला मुख्यालय में सरकारी कार्य संबंधी लेन-देन किसी एजेंसी बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, वहां पर ऐसे जिला मुख्यालय के समीपस्थ ट्रेशरी का सरकारी कार्य करने वाले एजेंसी बैंक को उल्लिखित दस्तावेज भेजे जाएंगे। भुगतान शाखा से प्राप्त सूचियों और भुगतान सूचना की तीसरी प्रति लिंक शाखा के द्वारा रख ली जाएंगी।

3.7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रतिपूर्ति और अनुवर्ती कार्रवाई

3.7.1 लिंक शाखा से सूची (नामावली) आदि प्राप्त होने पर भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंक सूची की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेंगे कि यह सभी प्रकार से पूर्ण है और उसमें शामिल प्रत्येक भुगतान के संबंध में प्रासांगिक प्रमाण पत्र संलग्न हैं। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा संवितरित पेंशन की निवल राशि को राज्य सरकार के लेखे में नामें डाल कर उस बैंक के लिए प्रतिपूर्ति करेगा। लिंक शाखा से प्राप्त सूचियों और अन्य समर्थन दस्तावेजों दोनों की प्रतियों के साथ डेबिट सूचना की प्रति भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके सहायक बैंकों के द्वारा उस जिला ट्रेजरी को भेजी जाएगी, जिसके साथ यह संबद्ध है।

3.7.2 ट्रेजरी अधिकारी जोड़ के ठीक होने की जांच करेगा और उसके बाद सूचियों और संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार को प्रस्तुत किए जाने वाले उसके लेख में लेनदेनों को शामिल करेगा। सूचियों की डुप्लीकेट प्रति जिला ट्रेजरी में रख ली जाएगी।

3.7.3- महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करते समय ट्रेजरी अधिकारी सकल पेंशन और आयकर की कटौती की गणना करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3.7.4- ट्रेजरी के लेखें के प्राप्त होने पर महालेखाकार सामान्य तरीके से लेनदेनों को समायोजित करेगा।

3.8- पेंशनभोगी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र:-

3.8.1- जीवन प्रमाण पत्र:- पेंशनभोगी वर्ष में एक बार नवम्बर माह में जीवित रहने संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अधिकारी इस प्रयोजनार्थ जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए प्राधिकृत है। यदि कोई पेंशनभोगी गंभीर बीमारी/अशक्तता आदि की वजह से प्राधिकृत बैंक अधिकारी से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो व्यक्तिगत रूप से अपनी समर्थता के समर्थन में पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ इस आशय की सूचना भुगतान शाखा के प्रभारी अधिकारी को उसके द्वारा भेजी जाएगी ताकि उत्तरवर्ती के द्वारा जीवन संबंधी प्रमाणपत्र रिकार्ड करने के लिए पेंशनभोगी के निवास/स्थान/अस्पताल का दौरा करने के लिए किसी अधिकारी को नामित किया जा सके।

3.8.2- नियोजित न होने की घोषणा:

(क) सेवारत पेंशनभोगी अनुलग्नक IV (क) में दिए गए प्रपत्र में एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ख) जो पेंशनभोगी समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम परिवार पेंशन से अधिक कुल परिवार पेंशन प्राप्त करते हैं, वे अनुलग्नक IV (ख) में दिए प्रपत्र में वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे।

प्रथम पेंशन प्राप्त करते समय ही प्रस्तुत करना होगा।

3.8.3- अविवाहित/पुन:विवाह न करने का प्रमाण पत्र:

अनुलग्नक V (ख) में दिए फार्म में पुन: विवाह न करने का वचन पत्र परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा से प्रथमवार परिवार पेंशन प्राप्त करते समय लेना होगा ।

विधवा अथवा अविवाहित पुत्री के रूप में परिवार पेंशन के अन्य प्राप्तकर्ताओं के मामले में अनुलग्नक V (क) में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र मई के महीने में प्राप्तकर्ताओं के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

अध्याय-IV

पेंशन का अंतरण

4.1- परिचय

4.1.1- पेंशन के अंतरण के लिए आवेदन पत्र निम्नलिखित 4 श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है:-

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक शाखा से उसी जिले के उसी बैंक की दूसरी शाखा को ।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक की एक शाखा से उसी जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे बैंक की शाखा को (यह एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार अनुज्ञेय है) ।

(iii) जिले से बाहर सार्वजनिक क्षेत्र के उसी अथवा दूसरे बैंक की शाखा में अंतरण

(iv) राज्य से बाहर अंतरण

उपर्युक्त मामलों में पेंशन के अंतरण के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित है:-

4.1.2- राज्य पेंशन: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक शाखा से उसी जिले में उसी बैंक की दूसरी शाखा में पेंशन का अंतरण जिला ट्रेजरी अधिकारी और महालेखाकार को सूचित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की लिंक शाखा के द्वारा किया जा सकता है । लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक शाखा से उसी जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे बैंक की शाखा को तथा जिले से बाहर सार्वजनिक क्षेत्र के उसी बैंक अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे

बैंक की शाखा को पेंशन के भुगतान के अंतरण के लिए बैंक की भुगतान शाखा द्वारा अपनी लिंक शाखा के माध्यम से जिला ट्रेजरी अधिकारी को पेंशन संबंधी दस्तावेज लौटाए जाने चाहिए। यदि अंतरण जिले के भीतर होता है, तो जिला ट्रेजरी अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक की लिंक शाखा के माध्यम से उस शाखा में अंतरण की व्यवस्था करेगा जिसके लिए अंतरण हेतु आवेदन किया है। यदि अंतरण जिले से बाहर किया जाता है, तो जिला ट्रेजरी अधिकारी दूसरे जिले में अपने प्रतिपक्षी के माध्यम से अंतरण की व्यवस्था करेगा।

राज्य से बाहर पेंशन के भुगतान के अंतरण का जहां तक संबंध है, महालेखाकर का मध्यक्षेत्र जरूरी होता है। ऐसे मामलों में मूल पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों को निरस्त कर देना चाहिए तथा विशेष मुहर लगाकर सहपत्र पत्र के साथ उस राज्य के महालेखाकार के पास भेज देना चाहिए जिस राज्य में भुगतान वांछित हो।

4.1.3- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य:

एक ही स्टेशन पर अथवा उसी जिले में उसी बैंक की दूसरी शाखा को एक भुगतान शाखा से पेंशन भुगतान के अंतरण के लिए अनुरोध को सार्वजनिक क्षेत्र के उसी बैंक के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। भुगतान पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग पर उस महीने को निर्दिष्ट करेगी, जिस माह तक भुगतान किया गया था और पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग को लिंक शाखा को लौटा देगी। इस मामले में अनुलग्नक II (क) अथवा II (ख) के रूप में दिए रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद लिंक शाखा पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग को भावी भुगतान शाखा को भेजेगी।

4.1.4- उपर्युक्त पैराग्राफ में शामिल न की गई परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेंशन भुगतान के अंतरण के लिए पेंशनभोगी का अनुरोध भुगतान शाखा के द्वारा प्राप्त किया जाए, जो अपनी लिंक शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों को जिला ट्रेजरी अधिकारी को लौटाएगी, जिसमें उस मास को दर्शाया जाएगा जिस मास तक पेंशन का भुगतान किया गया है। प्राप्त होने पर जिला ट्रेजरी अधिकारी पेंशनभोगी के अनुरोध के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा अथवा ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी में पेंशन का भावी भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा।

4.1.5- केंद्रीय पेंशन: सार्वजनिक क्षेत्र की एक शाखा से उसी जिले में अथवा दूसरे जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के उसी बैंक की दूसरी शाखा में पेंशन भुगतान का अनुरोध केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ) की सहमति से बैंक की भुगतान शाखा द्वारा स्वीकार किया जा सकता है । ऐसे मामलों में, पेंशनभोगी से दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएं तथा उसे सी पी ए ओ को भेजा जाए जो अपने रिकार्डों में आवश्यक संशोधन करेगा और अपनी सहमति की सूचना देते हुए आवेदन पत्र की एक प्रति लौटा देगा । उनकी सहमति प्राप्त होने पर भुगतान शाखा पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग पर उस मास को निर्दिष्ट करेगी जिस मास तक भुगतान किया गया है और पेंशन भुगतान आदेश के आधे भाग का बैंक की लिंक शाखा को लौटा दिया जाएगा । लिंक शाखा अपने रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करेगी और जिला ट्रेजरी अधिकारी को सूचित करते हुए पेंशन भुगतान आदेश को उस भुगतान शाखा को भेजेगी जिस पर भुगतान लेने की इच्छा की गई है । अन्य अंतरणों के मामले में पेंशनभोगी के द्वारा पेंशनभुगतान आदेश का अपना भाग बैंक की उस भुगतान शाखा का अभ्यर्पित करना अपेक्षित होगा जहां से वह अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा था । भुगतान शाखा अंतरण संबंधी आवेदन-पत्र के साथ पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को लौटा देगी जो अंतरण संबंधी कार्रवाई करेगा ।

अध्याय—V

पेंशन का सारांशीकरण

5.1.1- नोटिस देकर स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले सहित हरेक पेंशनभोगी एकमुश्त भुगतान के लिए अपनी मासिक पेंशन (निजी पेंशन को छोड़कर) एक भाग को सारांशीकृत कराने के लिए पात्र है, जिसे पेंशन के सारांशीकृत कराने के लिए पात्र है, जिसे पेंशन के सारांशीकृत मूल्य के रूप में कहा जाता है । केंद्रीय सरकारी के पेंशनभोगियों के मामले में 31-12-95 तक 1/3 मासिक पेंशन तथा 1-1-96 से 40% मासिक पेंशन और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के मामले में 31-3-1994 तक 40% मासिक पेंशन तथा 1-4-94 से 1/3 मासिक पेंशन तथा 1-3-2006 से 40% मासिक पेंशन तक अधिकतम राशि का सारांशीकरण किया जा सकता है । केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के सारांशीकरण के नियम और प्रक्रियाएं “सिविल पेंशन (सारांशीकरण) नियमावली”

में तथा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के सारांशीकरण के नियम और प्रक्रियाएं केरल सेवा नियमावली, भाग III के परिशिष्ट X में दी गई है ।

5.1.2- केंद्र सरकार की पेंशन का सारांशीकरण:

पेंशन के सारांशीकृत राशि की निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार गणना की जाती है:-

एकमुश्त देय राशि: सारांशीकरण कारक X12X सारांशीकरण के लिए प्रस्तावित पेंशन की राशि ।

उपर्युक्त गुणनफल से प्राप्त राशि अगले उच्चतर रूपए तक पूर्णांकित की जाएगी । सारंशीकरण कारक अगले जन्मदिन को प्रासंगिक आयु के अनुसार सारांशीकरण नियमावली में उपलब्ध सारांशीकरण सारणी से लिया जाता है । अगले जन्मदिन को आयु का निर्धारण (i) जहां पर पेंशन भुगतान आदेश के साथ सारांशीकरण अपेक्षित हो, ऐसे मामलों में अधिवर्षिता की तारीख, (ii) अन्य मामलों में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख, जहां पर चिकित्सा जांच जरूरी नहीं होती है और (iii) जहां चिकित्सा जांच जरूरी होती है, वहां पर चिकित्सा जांच की तारीख के आधार पर किया जाएगा । सारांशीकरण राशि का भुगतान कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा जो अंतिम वेतन का संवितरण तब करता है, जब अधिवर्षिता के बाद सेवानिवृत्त होने वाला पदाधिकारी सेवा-निवृत्ति की तारीख को अथवा पहले अधिवर्षिता के बाद सेवा निवृत्त होने वाला पदाधिकारी सेवा-निवृत्ति की तारीख को अथवा पहले सारांशीकरण के लिए आवेदन करता है और अन्य मामलों में लेखा अधिकारी के द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पेंशन संवितरण प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा । (सारांशीकरण नियमावली का नियम 15) निम्नलिखित श्रेणियों की पेंशन पाने वाले व्यक्ति चिकित्सा जांच कराए बिना ही अपनी 1/3 / 40% पेंशन को सारांशीकृत कर सकते है, यदि वे निम्नलिखित से जाने गए एक वर्ष की सहमति से पूर्व सारांशीकरण के लिए आवेदन करते हैं:

(i) अधिवर्षिता पेंशन
(ii) सेवानिवृत्ति पेंशन } सेवा निवृत्ति की तारीख

(iii)	अनुकम्पा पेंशन	
(iv)	किसी निगम, कंपनी अथवा निकाय में आमेलित होने पर पेंशन तथा मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए विकल्प देना	सेवा-निवृत्ति आदेशों के जारी होने की तारीख
(v)	विभागीय न्यायिक कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने तथा उन पर अंतिम आदेश जारी करने पर स्वीकृत पेंशन	अंतिम आदेशों को जारी करने की तारीख

निम्नलिखित श्रेणियों के पेंशनभोगी तभी अपनी पेंशन के एक भाग को सारांशीकृत कर सकते हैं जब उनकी चिकित्सा जांच कर ली गई हो तथा उन्हें उपयुक्त चिकित्सा—प्राधिकारी के द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिया गया हो ।

(i) अशक्तता पर सेवा निवृत्ति लेने वाले

(ii) किसी निगम/कंपनी अथवा निकाय में आमेलित कर लिए गए हों और मासिक पेंशन के बदले में एकमुश्त राशि प्राप्त करने का विकल्प दिया हो ।

(iii) दंड के एक उपाय के रूप में अनिवार्य सेवा-निवृत्ति

(iv) अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले

(v) सेवा-निवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद, सारांशीकरण के लिए आवेदन करने वाले,

(सारांशीकरण नियमावली के नियम 12 और 18)

सारांशीकरण सुनिश्चित हो जाता है और सारांशीकृत मूल्य उस तारीख को देय हो जाता है:-

(i) उस मामले में सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद जहां पर अधिवर्षिता पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन पत्र अधिवर्षिता की तारीख को अथवा उससे पहले कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा प्राप्त किया जाता है,

(ii) एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व चिकित्सा जांच के बिना कार्यालय अध्यक्ष द्वारा पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख,

(iii) वह तारीख, जिस तारीख को चिकित्सा प्राधिकारी सारांशीकरण के लिए चिकित्सा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है,

(iv) वह तारीख, जिस तारीख को प्रथम चिकित्सा प्राधिकारी अपना मत रिकार्ड करता है अथवा उसका निर्णय अलग रख दिया जाता है अथवा अपील पर उसमें संशोधन किया जाता है ।

[सारांशीकरण नियमावली के नियम 6 और 27 (7)]

सारांशीकरण पर पेंशन की राशि में कटौती उस तारीख, जिससे पेंशनभोगी ने पेंशन का सारांशीकृत मूल्य प्राप्त किया हो अथवा सारांशीकृत मूल्य के भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करने के तीन महीने समाप्त होने पर जो भी पहले हो, शुरू होगी । यदि पेंशन बैंक के माध्यम से आहरित की जाती है, तो पेंशन में कटौती बैंक खाते में राशि क्रेडिट होने की तारीख से लागू हो जाती है । जो व्यक्ति अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होते हैं और सेवा-निवृत्ति की तारीख को अथवा पहले सारांशीकरण के लिए आवेदन करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए सारांशीकृत मूल्य सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद के दिन से देय होगा और पेंशन में कटौती उसी दिन से शुरू हो जाती है तथापि, जहां पर सारांशीकृत मूल्य का भुगतान सेवा-निवृत्ति के बाद प्रथम मास के भीतर नहीं किया जाता है तो वहां पर सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद के दिन और सारांशीकृत मूल्य जिस तारीख को केंद्रीय सरकारी लेखा (प्राप्ति और भुगतान) नियमावली, 1983 के नियम 49 के अनुसार भुगतान कर दिया गया माना जाता है, उस तारीख से पहली तारीख के बीच की अवधि के लिए पेंशन के अंतर को लेखा अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा ।

(सारांशीकरण नियमवली का नियम 6)

जब पेंशन को पूर्व-व्यापी प्रभाव से अधिक करके संशोधित किया है, तो पेंशन में बढ़ोत्तरी की राशि पर सारांशीकृत मूल्य का भुगतान पेंशनभोगी से और आवेदन पत्र मांगे बिना प्राधिकृत किया जा सकता है। पेंशन में अतिरिक्त कमी पेंशनभोगी के द्वारा अंतर राशि की प्राप्ति की तारीख से अथवा भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करने के बाद 3 महीनों की समाप्ति जो भी पहले हो, पर लागू हो जाएगी।

5.1.3- केरल राज्य सरकार पेंशनों का सारांशीकरण:

राज्य सरकार के पेंशनभोगियो के संबंध में पेंशन के सारांशीकृत मूल्य की राशि की केरल सेवा नियमावली भाग-III के परिशिष्ट X में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार और उसमें निर्धारित सारांशीकरण सारणी के आधार पर गणना की जाती है। न्यूनतम राशि, जिसके सारांशीकृत किया जा सकता है, वह राशि 1-7-1988 से (केरल सरकार के दिनांक 26-12-1989 जी ओ (पी) 670/89/वित्त द्वारा) मूल वेतन का एक तिहाई थी। मूल पेंशन की 40% की बढ़ी हुई दर उनके लिए स्वीकार की गई थी जो 1-3-2006 के अथवा बाद में सेवा- निवृत्त हुए हों (केरल सरकार का दिनांक 18-04-06 जी ओ (पी) सं. 180/06/वित्त। सारांशीकरण हेतु चिकित्सा जांच उस स्थिति में जरूरी नहीं होती यदि अधिकारी इसके लिए आवेदन करता है और उसे सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी/महालेखाकर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पेंशन में संशोधन के मामले में, मूल आवेदन-पत्र में दर्शाया गए उसी भाग को बिना चिकित्सा जांच के स्वत: ही सारांशीकृत कर दिया जाएगा। यदि मूल आवेदन पत्र पेंशन को बाद में संशोधित करने पर एक नियत राशि को सारांशीकृत करने के बारे में था, तो संशोधित पेंशन और मूल पेंशन के बीच के एक तिहाई अंतर की राशि को बिना चिकित्सा जांच के सारांशीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि पेंशनभोगी इस आश्य का आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता है तथा मूल सारांशीकरण बिना चिकित्सा जांच किए हुआ था। तथापि उस स्थिति में चिकित्सा जांच जरूरी होती है, जब पेंशनभोगी ने सेवा-निवृत्ति के एक वर्ष के बाद में सारांशीकरण के लिए आवेदन किया हो।

जिन मामलों में पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन-पत्र सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां सारांशीकरण सेवानिवृत्त होने की तारीख से लागू हो जाएगा। जब सारांशीकरण के

लिए आवेदन-पत्र सेवा-निवृत्ति के बाद में, लेकिन सेवा-निवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो सारांशीकरण महालेखाकार अथवा पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से लागू हो जाएगा ।

14-11-1980 से कम की गई पेंशन की प्रभावी तारीख उस महीने की पहली तारीख थी जिस महीने में पेंशनभोगी के द्वारा सारांशीकृत मूल्य आहरित किया गया है अथवा महालेखाकार द्वारा प्राधिकार जारी करने के चौथे मास की पहली तारीख थी (इसमें प्राधिकार को जारी करने का मास शामिल है), जो भी पहले हो । लेकिन इसमें बाद में 12-09-1983 से इस आशय से संशोधन किया गया है कि कम हुई पेंशन की प्रभावी तारीख पेंशन का सारांशकृत मूल्य लेने के मास के तत्काल बाद के मास की पहली तारीख अथवा प्राधिकार के चौथे मास की पहली तारीख होगी, जो भी पहले हो (केरल सरकार, वित्त विभाग का दिनांक 12-09-1983 का जी ओ (पी) 577/83/वित्त । सरकार ने दिनांक 26-10-07 के जी ओ (पी) स524/2007/वित्त के द्वारा उपर्युक्त प्रावधान में संशोधन किया और यह आदेश किया था कि पेंशन को कम करने की तारीख उस मास के बाद के मास की पहली तारीख होगी, जिसमें सारांशीकृत मूल्य पेंशनभोगी के द्वारा आहरित किया गया है ।

5.1.4- पेंशन के सारांशीकरण के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्य:-

पेंशन के सारांशीकृत मूल्य का भुगतान करने का प्राधिकार प्राप्त होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा के द्वारा पेंशनभोगी को सूचित करते हुए पेंशन के भुगतान के लिए पेंशनभोगी के द्वारा खोले गए खाते में राशि क्रेडिट करके राशि के तत्काल भुगतान की व्यवस्था की जाएगी । भुगतान करते समय भुगतान शाखा उचित अनुप्रमाणन करते हुए पेंशन भुगतान आदेश को दोनों भागों में सारांशीकरा की तारीख अर्थात वह तारीख जिसमें राशि को पेंशनभोगी के लेखा में वास्तव में क्रेडिट किया गया है, पेंशन की कम की गई राशि और वह तारीख जिससे कम की गई पेंशन देय है, अर्थात, वह तारीख जिस तारीख को एकमुश्त राशि को पेंशनभोगी के लेखे में वास्तव में जमा किया गया है, उसकी प्रविष्टि की जाएगी । जिन मामलों में अलग प्राधिकार पत्र प्राप्त किया गया हो, उन मामलों में उस पत्र की संख्या और तारीख भी भुगतान के लिए प्राधिकार के रूप में नोट की

जाएगी । भुगतान शाखा अपनी लिंक शाखा और ट्रेजरी के माध्यम से लेखा अधिकारी/महालेखाकार को उस तारीख के बारे में सूचित करेगी जिस तारीख को पेंशन के सारांशीकृत मूल्य की राशि को पेंशनभोगी के खाते में जमा किया गया है और जिस तारीख से कम की गई पेंशन का भुगतान शुरू किया गया है । भुगतान की गई राशि का प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान को प्रासंगिक भुगतान सूची में शामिल किया जाएगा और उस प्रविष्टि को अधिप्रमाणित किया जाएगा, जिसमें सूची के अभ्युक्ति कॉलम में भुगतान प्राधिकार की संख्या और तारीख का हवाला दिया जाएगा ।

(सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की स्कीम का पैराग्राफ 19)

5.2- पेंशन के सारांशीकृत भाग की वापसी:

5.2.1- केंद्र सरकार के जिन पेंशनभोगियों ने अपने पेंशन के एक भाग का सारांशीकरण किया है और जिन्होंने 1-4-85 को अथवा उसके बाद में सारांशीकरण की अपनी-अपनी तारीखों से 15 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं, वे पेंशन के अपने सारांशीकृत भाग की वापसी ले लेंगे । जहां पर पेंशनभोगियों ने 1-4-1985 को सारांशीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूरे किए थे और बाद में उनके कानूनी उत्तराधिकारी पेंशन से वितरण प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 05-03-87 का का.ज्ञा. 34/2/86-पी पी /डब्ल्यू) । केंद्र सरकार के पेंशनभोगी अपनी पेंशन क सारांशीकृत भाग को वापस पाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आवेदन करेंगे । संवितरण प्राधिकारी स्वयं अपने प्राधिकार से सारांशीकृत भाग को लौटा सकता है ।

(सारांशीकरण नियमावली के नियम 10 के नीचे भारत सरकार का निर्णय सं. (3)

5.2.2- केरल राज्य के पेंशनभोगियों के संबंध में जिनकी अधिवर्षिता की आयु 55/56 है और जो अगले जन्म-दिन पर 56/57 वर्ष के रूप में आयु की गणना करते हुए सारांशीकरण मूल्य प्राप्त करते हैं, उनका सारांशीकृत मूल्य सारांशीकरण की तारीख से 12 वर्ष के बाद वापसी योग्य होता है । केरल राज्य के अन्य श्रेणियों के

पेंशनभोगियों के लिए इस राशि की वापसी सारांशीकृत मूल्य की गणना करने के लिए प्रयुक्त सारांशीकरण कारक पर निर्भर करती है । केरल सरकार वित्त विभाग का दिनांक 26-12-1989 और दिनांक 22-03-2012 का जी ओ (पी) 670/89/वित्त जी ओ (पी) सं. 170/2012/वित्त ।

5.2.3- सरकार ने पेंशनभोगी से और अतिरिक्त आवेदन अथवा किसी स्वीकृति का दिनांक 26-10-2007 (जी ओ (पी)/524/2007/वित्त) के बिना पेंशन के सारांशीकृत भाग की वापसी के लिए ट्रेजरी/बैंक को प्राधिकृत किया है । वापस करने की प्रभावी तारीख 12 वर्ष पूरे होने के मास के बाद वाले मास की पहली तारीख अथवा सारांशीकरण कारक (पूर्णांकित) है, जो भी मामला हो । कम की गई पेंशन की प्रभावी तारीख जब महीने की पहली तारीख हो, तब सारांशीकृत भाग निर्धारित अवधि पूरा होने के महीने की पहली तारीख को वापसी योग्य होता है ।

(महालेखाकार, (ए एंड जी), केरल के पेंशन प्राधिकार मैनुअल का अध्याय XII

अध्याय—VI

परिवार पेंशन

6.1- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में परिवार पेंशन:

6.1.1- परिवार पेंशन स्कीम, 1964 के अनुसार, जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होती है अथवा सेवा-निवृत्ति के बाद मृत्यु होती है और यदि वह मृत्यु की तारीख पर पेंशन प्राप्त करता, तो ऐसे मृतक सरकारी कर्मचारी का परिवार नीचे दी गई दर के अनुसार मासिक परिवार पेंशन पाने के लिए हकदार हैं:

परिवार पेंशनभोगी की आयु	परिवार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा

80 वर्ष से लेकिन 85 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 20%
85 वर्ष से लेकिन 90 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 30%
90 वर्ष से लेकिन 95 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 40%
95 वर्ष से लेकिन 100 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 50%
100 वर्ष और अधिक	मूल परिवार पेंशन का 100%

परिवार पेंशन की मासिक दर को पूर्ण रूपए में व्यक्त किया जाता है, रूपए के भाग को अगले उच्चतर रूपए तक पूर्णांकित किया जाता है। परिवार पेंशन की उच्चतर दर में रूपए के भाग का पूर्णांकन अंतिम चरण में किया जाना चाहिए।

जब किसी सरकारी कर्मचारी की लगातार 7 वर्ष सेवा करने के बाद सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है जो कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 से शासित नहीं है तो ऐसे कर्मचारी के मामले में परिवार पेंशन की राशि अंतिम आहरित वेतन की आधी अथवा ऊपर दी गई दरों के अनुसार गणना की गई परिवार पेंशन की राशि से दुगुनी होगी, जो भी कम हो। यह 7 वर्षों की अविध के लिए अथवा उस तारीख तक के लिए होगी, जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी की आयु 65 वर्ष की होगी, जो भी पहले हो, ऐसे मामलों में, जहां पर सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के बाद में मृत्यु हो जाती है, तो यह बढ़ी हुई दर 7 वर्ष की अवधि के लिए देय है अथवा उस तारीख तक देय है, जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी की आयु 65 वर्ष हुई हो, जो भी स्वीकृत पेंशन की राशि तक सीमित होनी चाहिए।

6.1.2- परिवार पेंशन परिवार के केवल एक ही सदस्य को निम्नलिखित क्रम में देय होती हैं:

श्रेणी-I (i) विधवा अथवा विधुर, मृत्यु अथवा पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो

(ii) पुत्र/पुत्री, (विधवा पुत्री सहित), उसका विवाह/पुनर्विवाह होने की तारीख तक

इस अवधि को सी सी एस (पेंशन नियमावली) के नियम 54(3) के अधीन भारत सरकार के निर्णय सं.19 के द्वारा 1-1-06 से संशोधित करके 10 वर्ष कर दिया है ।

अथवा उसके द्वारा जीविका अर्जित करने की तारीख तक अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो ।

श्रेणी II (i) उपर्युक्त श्रेणी I में न आने वाली अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री के विवाह/पुनर्विवाह की तारीख तक अथवा उसके द्वारा जीविका अर्जित करने के प्रारम्भ तक अथवा उसकी मृत्यु होने की तारीख तक, जो भी पहले हो ।

(ii) माता-पिता, जो उसके जीवित रहते उस सरकारी कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित थे बशर्ते कि मृतक कर्मचारी ने न तो कोई विधवा और न ही कोई बच्चा छोड़ा था ।

आश्रित माता-पिता, अथवा अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री के लिए परिवार पेंशन मृत्यु होने की तारीख तक जारी रहेगी ।

श्रेणी II में अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों और आश्रित माता-पिता को परिवार पेंशन तब तक देय होगी जब श्रेणी I के अन्य पात्र परिवार के सदस्यों को परिवार-पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होना समाप्त हो गया हो तथा परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई विक्लांग बच्चा न हो । संबंधित श्रेणियों में बच्चों को परिवार पेंशन उनकी जन्म-तिथि के क्रम में देय होगी और उनमें से छोटा बच्चा तब तक परिवार पेंशन के लिए हकदार नहीं होगा जब तक उस श्रेणी में उससे अगला बड़ा परिवार-पेंशन के लिए अपात्र न हो गया हो ।

6.1.3- परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिए आश्रितता मानदंड न्यूनतम परिवार पेंशन और उस पर महंगाई राहत होगा ।

6.1.4- मृतक सरकारी कर्मचारी की बिना बच्चे वाली विधवा को उसके पुनर्विवाह करने के बाद भी परिवार पेंशन का भुगतान किया जाना जारी रहेगा बशर्ते कि सभी अन्य स्त्रोतों से उसकी स्वतंत्र आय केंद्र सरकार में न्यूनतम निर्धारित परिवार पेंशन के बराबर अथवा अधिक हो जाती है तो परिवार-पेंशन बंद हो जाएगी । ऐसे मामलों में परिवार पेंशनभोगियों के द्वारा अन्य स्त्रोतों से अपनी आय के बारे में हर छ: महीने में पेंशन संवितरण प्राधिकारी को एक घोषणा देनी होगी ।

जहां पर एक से अधिक विधवा हों, वहां पर परिवार पेंशन बराबर हिस्सों में बांटी तथा दी जाएगी । एक विधवा की मृत्यु होने पर उसका हिस्सा उसके पात्र बच्चों को देय हो जाता है । यदि विधवा का कोई पात्र बच्चा नहीं है तो पेंशन का उसका हिस्सा अन्य विधवा/विधवाओं के लिए देय होगा । जब मृतक के एक विधवा जीवित हो और एक मृतक/तलाकशुदा पत्नी का एक पात्र बच्चा भी जीवित हो, तो बच्चे को उस हिस्से का भुगतान किया जाएगा जो उसकी मां के द्वारा प्राप्त कया गया हो चाहे वह जीवित हो/तलाक न लिया हो । जुड़वा बच्चों के मामले में परिवार पेंशन का उनके लिंग को ध्यान में न रखते हुए बराबर-बराबर हिस्सों में भुगतान किया जाएगा । यदि एक बच्चा पेंशन के लिए हकदार नहीं रहता है तो उसके हिस्से का भुगतान दूसरे बच्चे को किया जाएगा और जब दोनों बच्चे पात्र नहीं रहते हैं तो इसका भुगतान अगले पात्र बच्चे को किया जाएगा ।

6.1.5- परिवार पेंशन के भुगतान के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्य:-

पेंशन भुगतान आदेश के पेंशनभोगी वाले आधे भाग के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और निर्धारित प्रपत्र में परिवार पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा के द्वारा पेंशन भुगतान आदेश में निर्दिष्ट दर पर तथा व्यक्ति को परिवार पेंशन का भुगतान शुरू किया जाए । भुगतान वास्तव में शुरू करने से पूर्व परिवार पेंशन के लिए पात्र पति/पत्नी की पहचान पेंशन भुगतान आदेश पर लगे संयुक्त फोटो से, यदि कोई हो तथा परिवार पेंशन संबंधी आवेदन पत्र में दावेदार के द्वारा दिए गए अन्य विवरणों के आधार पर सत्यापित की जाएगी । यदि दावेदार बच्चा है तो सामान्य तरीके से संबंधित लेखा अधिकारी से नए भुगतान प्राधिकार प्राप्त करने के बाद और हित लाभग्राही/संरक्षक की पहचान का सत्यापन करने के बाद में भुगतान शुरू किया जाए ।

परिवार पेंशन के भुगतान प्राप्तकर्ता (न तो संयुक्त अथवा स्वयं या उत्तरजीवी का खाता) के बचत/चालू खाते में क्रेडिट करके किये जाएंगे । यदि प्राप्तकर्ता का पहले से कोई खाता नहीं है तो यह खाता खोला जा सकता है । अतिदेय भुगतान अथवा अधिक भुगतानों की, यदि कोई हो, वसूली करने के संबंध में एक वचनपत्र भी प्राप्तकर्ता से भुगतान शाखा, महालेखाकार को सूचित करते हुए अपनी लिंक शाखा, महालेखाकार को सूचित करने हेतु अपनी लिंक शाखा के माध्यम से एक रिकार्ड रखने के लिए पेंशनभोगी की मृत्यु होने की तारीख और परिवार पेंशन का भुगतान शुरू होने की तारीख के बारे में ट्रेजरी अधिकारी को पत्र से भी सूचित करेगी ।

जिन मामलों में पेंशनभोगी की मृत्यु के बारे में सूचना मृतक की विधवा अथवा विधुर के अलावा अन्य स्त्रोत से ट्रेजरी अधिकारी/भुगतान शाखा के द्वारा पहले प्राप्त की जाती है तो उन मामलों में ट्रेजरी अधिकारी/बैंक का प्रबंधक सूचना की सत्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत निर्धारित औपचारिक का अनुपालन करने के लिए पेंशन भुगतान आदेश में दिए गए पते के अनुसार परिवार के सदस्यों को पत्र लिखेगा, ताकि पात्र व्यक्ति को परिवार पेंशन का भुगतान शीघ्र शुरू हो सके ।

जिन मामलों में उपर्युक्त पैरा 6.1.1 में यथा उल्लिखित एक विशेष तारीख तक परिवार पेंशन का उच्चतर दर से भुगतान देय हो, उन मामलों मे पेंशन भुगतान आदेश में उस दर और तारीख के बारे में निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उच्चतर दर से भुगतान देय हो । सामान्य (कम) दर पर परिवार पेंशन का भुगतान किस तारीख से शुरू करना है, उस तारीख के बारे में एक विशेष नोट बैंक के द्वारा परिवार पेंशनभोगी के पेंशन खाता बही लेखा में लाल स्याही से लिखना चाहिए ताकि विनिर्दिष्ट तारीख से दर में परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में अतिदेय भुगतान से बचा जा सके ।

परिवार पेंशन प्राप्त करने वाला पुत्र/पुत्री किसी मानसिक गड़बड़ी अथवा विक्लांगता से पीड़ित है अथवा शारीरिक रूप से अपंग अथवा अशक्त है जिसकी वजह से वह जीविका का अर्जन करने में असमर्थ है तो पुत्र 21 वर्ष की आयु के बाद और पुत्री 24 वर्ष की आयु के बाद भी उसे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन)

नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के परंतुक के तहत ऊपर बतायी गई अधिकतम आयु सीमा के बाद परिवार पेंशन का भुगतान किया जाना जारी रखा जा सकता है । ऐसे मामलों में, संरक्षक के रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सिविल सर्जन स्तर के चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र हर तीन महीने में (नवंबर मास में) प्रस्तुत करना चाहिए कि वह मानसिक गड़बड़ी अथवा विक्लांगता से पीड़ित है अथवा शारीरिक रूप से अपंग अथवा अशक्त है ।

संरक्षक के द्वारा भी हर महीने इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि (i) पेंशनभोगी ने अपनी रोजीरोटी अर्जित करना शुरू नहीं किया है और (ii) लड़की के मामले में उसने विवाह नहीं कराया है ।

(सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केंद्र सरकार पेंशन के भुगतान की स्कीम का पैरा 23)

6.2- राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में परिवार पेंशन:-

6.2.1- पात्र व्यक्ति

(i) विधवा/विधुर

(ii) 25 वर्ष से कम आयु का पुत्र/पुत्री

(iii) 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्रियां जो सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्धारित आय सीमा के अध्यधीन हों ।

(iv) इस शर्त के अध्यधीन माता-पिता की पेंशनभोगी ने पीछे कोई पति/पत्नी और बच्चे नहीं छोड़े हैं तथा समय-समय पर निर्धारित आय-सीमा के अध्यधीन ।

(v) शारीरिक रूप से विक्लांग/मानिक तौर पर मंदबुद्धि बच्चे ।

6.2.2- केरल के पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने नीचे दर्शाए अनुसार परिवार-पेंशन की दरों में संशोधन किया है:-

(i) जिन परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन ए आई सी पी आई के 488 प्वांइट पर डी ए के सम्मेलन पर (अर्थात 1-7-83 से 30-06-88 तक) आधारित वेतन से संबंधित है, उनके संबंध में परिवार पेंशन की दरों में नीचे दिए अनुसार काल्पनिक तौर पर संशोधन किया गया था:-

रू.1000 वेतन तक................वेतन का 25%

रू.1000 से अधिक वेतन ....वेतन का 20% परंतु न्यूनतम रू.250 और

अधिकतम रू.600

ए आई सी पी आई के 608 प्वांइट पर डी ए को काल्पनिक राशि में जोड़ा जाना था और परिवार पेंशन की 1-7-1988 से पुन: गणना की जानी थी।

(ii) जिन परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन 1-7-1988 से प्रभावी संशोधित वेतन से संबंधित थी, उनके मामले में परिवार पेंशन की दर निम्नानुसार संशोधित की गई थी:-

रू.1250 वेतन तक................वेतन का 25% परंतु रू.245 न्यूनतम

रू.1250 से अधिक वेतन................वेतन का 20% परंतु न्यूनतम रू.313 और

अधिकतम 750

(दिनांक 26-12-1989 का जी ओ (पी) 670/89/वित्त)

परिवार पेंशन की दरों में नीचे दर्शाए अनुसार 1-4-1994 से पुन: संशोधन किया गया था:

(i) न्यूनतम परिवार पेंशन (सामान्य दर) 1-4-1994 से रू. 375 प्रति माह् होगी।

(ii) 1-4-1994 को अथवा इसके बाद सेवा-निवृत्त हुए/मृत्यु होने के मामले में परिवार पेंशन की सामान्य दर नीचे दर्शाए अनुसार होगी:-

वेतन अधिकतम रू.1500 तक................वेतन का 30% परंतु न्यूनतम रू.375

रू.1500 से अधिक वेतन................वेतन का 20% जो अधिकतम 3000 रू.

परंतु न्यूनतम 450 रूपए

रू.3000 से अधिक वेतन................वेतन का 15% जो न्यूनतम रू.600

और अधिकतम रू.1100

(iii) जो 1-3-1992 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए/मृत्यु हुई थी, उनके मामले में परिवार पेंशन नीचे दिए अनुसार बढ़ायी जाएगी:-

(क) न्यूनतम परिवार पेंशन के रूप में जो 245 रू ले रहे हैं उन्हें परिवार पेंशन के रूप में 375 रू. दिए जाएंगे।

(ख) रू.245 से अधिक लेने वालो को मौजूदा परिवार पेंशन पर 130 रू. प्रतिमाह् की तदर्थ समान वृद्धि दी जाएगी।

यह महालेखाकर को सूचित करते हुए पेंशन संवितरण प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। जिनकी सेवा-निवृत्ति/मृत्यु 1-3-1992 से 31-3-1994 के दौरान हुई थी उनके संबंध में परिवार पेंशन को पेंशनभोगी के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर संशोधित करना होगा।

दिनांक 1-6-1994 का (जी ओ (पी) सं.365/94/वित्त

6.2.3 7(सात) वर्ष के अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस तारीख तक, जिसको पेंशनभोगी ने 62 वर्ष की आयु

(60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले अंतिम ग्रेड के कर्मचारियों के लिए 67 वर्ष) प्राप्त की होगी, यदि वह जीवित हो तो, जो भी पहले हो, परिवार पेंशन की सामान्य दर से अधिकतम दुगुनी दर के अध्यधीन अंतिम आहरित वेतन का 50% पात्र परिवार पेंशन के लिए ग्राह्य हैं। सेवा-निवृत्ति के बाद मृत्यु के मामले में, परिवार पेंशन का यह उच्चतर गेड पेंशनभोगी के लिए मूलत: स्वीकृत पेंशन तक सीमित होगा। लेकिन जब मृतक को मूलत: स्वीकृत पेंशन की राशि ग्राहय सामान्य परिवार पेंशन की राशि से कम हो तो देय परिवार पेंशन की राशि ग्राहय सामान्य परिवार पेंशन होगी और न कि मूलत: स्वीकृत पेंशन की राशि।

6.2.4- न्यायिक रूप से अलग हुए पति/पत्नी भी परिवार पेंशन के पात्र होते हैं, यदि कोई अन्य दावेदार न हो और सरकारी कर्मचारी ने उसका नाम अपने परिवार के ब्यौरे में शामिल किया हो।

6.2.5- विक्लांग बच्चे परिवार पेंशन के पात्र होते है यदि विक्लांगता सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति से पूर्व अथवा दिनांक 19-11-2002 के जी ओ (पी) 717/32/ वित्त के बाद होती है। पिता और माता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में जो सरकारी कर्मचारी थे, उनके नाबालिग बच्चे दो परिवार-पेंशन लेने के हकदार होंगे जो अधिकतम रू.1500/- प्रति मास होगी। यदि दो या अधिक विधवाएं हों, तो परिवार पेंशन उन्हें बराबर-बराबर देय होती है। लेकिन अलग से न्यूनतम स्वीकार्य नहीं है। एक को देय शेयर राशि को एक पर देय दावा समाप्त होने पर दूसरो को हस्तांतरणीय नहीं होता है।

अध्याय—VII

पेंशन पर राहत

7.1- महंगाई राहत

7.1.1- केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को प्रदान की गई पेंशन पर महंगाई राहत:-

भारत सरकार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए दिनांक 22-04-1987 के का.ज्ञा. सं. 2-5-87-पीआईसी के द्वारा पेंशनभोगियों के लिए 1-7-1986 और 1-1-1987 से राहत देने की परिकल्पना की है । इसके अनुसार केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों को सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 प्वांइट के बाद रहन-सहन संबंधी खर्च में बढ़ोत्तरी की क्षतिपूर्ति करने के लिए महंगाई राहत दी जाएगी।

7.1.2- राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को प्रदान की गई पेंशन पर महंगाई राहत:

राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए 1-1-86 को स्वीकार्य महंगाई भत्ते को केरल के पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उसी तारीख से पेंशन/परिवार पेंशन में सम्मेलित कर दिया गया था । केरल सरकार के द्वारा अपने दिनांक 26-12-1989 के आदेश सं. जीपी (ओ)/670/89/वित्त में यह आदेश दिया गया था कि जो पेंशनभोगी रू.1750 प्रतिमास ले रहे हैं उन्हें मूल्य वृद्धि के निष्प्रभावी होने पर महंगाई राहत पूर्ण रूप में और रू.175 से रू.2500 तक प्रति मास पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को 75% महंगाई राहत दी जाएगी । महंगाई राहत की दरें सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार होंगी ।

1-4-1994 से मूल्यवृद्धि के निष्प्रभावी होने पर 1750 रू. प्रतिमाह पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत 100% दी गई थी, 1751 रू. से 3000 रू. प्रति माह के बीच पेंशन पाने वालों को 75% तथा 3000रू. प्रति माह से अधिक पेंशन पाने वालों को 65% महंगाई राहत दी गई थी ।

(जीओ (पी) सं.365(94)/वित्त दिनांक 1-6-1994)

मूल्यवृद्धि के शत-प्रतिशत निष्प्रभावी होने से 1510 प्वांइट के बाद महंगाई राहत 1-3-1997 से सभी पेंशनभोगियों को दी गई थी और तब से सभी पेंशनभोगी उतनी महंगाई राहत पाने के पात्र हैं जो सरकार के द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत महंगाई भत्ते के समान है

7.1.3- पेंशनभोगियों के लिए राहत के भुगतान के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्य:-

7.1.3.1- जब कभी सरकार के द्वारा पेंशन पर कोई अतिरिक्त राहत स्वीकृत की जाती है, इसके बारे में भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को सूचना बैंकों के द्वारा दिए गए पते पर दी जाएगी । उसके बाद यह बैंकों की जिम्मेदारी होगी कि वे दिल्ली में कार्यरत अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय अथवा राज्य के विभाग से, जो भी मामला हो, स्वीकृति आदेश की अपेक्षित संख्या में प्रतियां उससे संबंधित रेडी रेकनर के साथ एकत्र करें और कार्यान्वयन हेतु 10 दिनों के भीतर भुगतान शाखाओं में सीधे भेजने के लिए अपने-अपने संबंधित मुख्यालयों में उन्हें तत्काल भेज दें । प्रत्येक भुगतान शाखा इसके भुगतान के तहत पेंशनभोगियों को देय पेंशन पर राहत की संशोधित दरों को तत्काल निर्धारित करेंगी । अलग-अलग पेंशनभोगियों के लिए इन दरों की गणना की जाएगी तथा संशोधित दरों पर राहत का भुगतान शुरू करने से पूर्व और बकाया का भुगतान, यदि कोई हो, करने से पूर्व पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग में बैंक प्रबंधक अथवा प्रभारी के द्वारा अनुप्रमाणन में उन तारीखों के साथ इसे नोट किया जाएगा जिस तारीख से राहत प्रभावी होगी ।

7.1.3.2- संशोधित दरों की गणना को दर्शाने वाले विवरण की चार प्रतियां तैयार की जाएंगी । पहली तीन प्रतियों को सत्यापन तथा वापस करने हेतु भुगतान शाखा द्वारा अपनी लिंक शाखा के माध्यम से संबंधित ट्रेजरी अधिकारी को भेजी जाएंगी और चौथी प्रति को कार्यालय प्रति के रूप में रखा जाएगा । ट्रेजरी अधिकारी विवरण में दी गई गणनाओं की तुरंत जांच करेगा और जहां आवश्यक है, वहां सभी तीनों प्रतियों में अभ्युक्ति कॉलम में अपने अनुप्रमाणन के तहत अतिरिक्त राहत की सही संशोधित दरों को निर्दिष्ट करेगा । वह विवरण के प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर लिंक शाखा के माध्यम से विधिवत जांच करके विवरण की मूल प्रति को भुगतान शाखा को लौटा देगा । उसके द्वारा डुप्लीकेट प्रति महालेखाकर को भेजी जाएगी जबकि तीसरी प्रति अपने रिकार्ड हेतु रखली जाएगी । जबकि तीसरी प्रति अपने रिकार्ड हेतु रख ली जाएगी । जांच किए गए विवरणों के अभ्युक्ति कॉलम में ट्रेजरी अधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट शुद्धियों को, यदि कोई हो लिंक शाखा के द्वारा अपने संबंधित रिकार्डों में तुरंत ही नोट किया जाएगा तथा वह फिर पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग और अन्य रिकार्डों के संबंध में की जाने वाली ऐसी ही कार्रवाई हेतु विवरण को भुगतान शाखा को भेजेगा

। इसके पश्चात् भुगतान शाखा संशोधित दरों पर जांच किए अनुसार पेंशनभोगियों के लिए उत्तरवर्ती भुगतानों को विनियमित करने के लिए कदम उठाएगी और ट्रेजरी अधिकारी के द्वारा सत्यापन किए जाने के पूर्व भुगतान करने हेतु प्रारंभ में अपनायी गई दरों के आधार पर इसके द्वारा पहले किए किसी अधिक/कम भुगतान को समायोजित करेगी।

7.1.3.3- जब राहत का भुगतान करने संबंधी पुराने रिकार्डों अथवा आदेशों की अनुपलब्धता की वजह से ऊपर बतायी गई प्रक्रिया के अनुसार बकाया भुगतानों की दरों और प्रक्रिया को भुगतान शाखा निकालने में असमर्थ होती है अथवा जिन मामलों में प्राप्त गए अनुदेश अप्रचालित पाये जाते हैं अथवा अलग-अलग व्याखाएं देते हैं तो यह तत्काल तीन प्रतियों में ऐसे मामलों को शामिल करते हुए एक विवरण तैयार करेगी और राहत की संशोधित दरों की गणना करने के लिए लिंक शाखा के माध्यम से तत्काल ट्रेजरी अधिकारी को इसे भेजेगी। ट्रेजरी अधिकारी इन दरों को निकालेगा और अपने अनुप्रमाणन में सभी तीनों प्रतियों के खाली कॉलमों को भरेगा। वह लिंक शाखा के माध्यम से भुगतान शाखा को मूल विवरण दो सप्ताह के भीतर लौटा देगा तथा अपने रिकार्ड के लिए तीसरी प्रति को रखते हुए दूसरी प्रति को महालेखाकार के पास भेज देगा। लिंक शाखा संबंधित रिकार्डों में इसे नोट करने के बाद संशोधित दरों वाला विवरण भुगतान शाखा को तुरंत भेजेगी। पूर्ण विवरण प्राप्त होने पर भुगतान शाखा पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग में शाखा प्रबंधक अथवा प्रभारी के अनुप्रमाणन में उन संशोधित पात्रताओं को भी नोट करेगी और संशोधित दरों पर पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान और उस वजह से उन्हें देय बकाया राशि, यदि कोई हो के बारे में कार्रवाई करेगी। अतिरिक्त राहत की स्वीकृति से हुई संबंधित पात्रताओं के बारे में तथा जिस तारीख से वे प्रभावी होंगी, उनके बारे में भुगतान शाखा के द्वारा पेंशन भुगतान आदेश के पेंशनभोगी वाले भाग में विवरणों की जांच कर लेने के बाद में प्रविष्टि की जाए तथा ट्रेजरी अधिकारी के द्वारा लौटा दिया जाए।

प्रत्येक लिंक शाखा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि—

क) अतिरिक्त राहत की मंजूरी के आदेशों की प्रतियां उनकी भुगतान शाखा के द्वारा वास्तव में प्राप्त कर ली गई हैं:

ख) पेंशनभोगियों को संशोधित दरों पर अतिरिक्त राहत का भुगतान बिना किसी अनुचित विलंब के उनके द्वारा शुरू कर दिया गया था, और

ग) जिन मामलों में संशोधित दरों पर राहत की पात्रता की जांच अथवा सूचना को एक महीने से अधिक समय तक विलंबित किया गया है, उन मामलों को ट्रेजरी अधिकारी के साथ उठाया गया है तथा जिन मामलों के बारे में उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु महालेखाकार की जानकारी में लाया जाएगा और उसकी प्रति महालेखा नियंत्रक को भेजी जाएगी ।

7.2- चिकित्सा भत्ता:

7.2.1- केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को प्रदान किया गया चिकित्सा-भत्ता:-

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए 100 रू. प्रति माह की दर से चिकित्सा-भत्ता 1-1-96 से दिया जाता है । जो पेंशनभोगी सी जी एच एस में शामिल क्षेत्र से बाहर रहते हैं, उनके लिए चिकित्सा भत्ता 1-1-2006 से संशोधित करके 300 रू. किया है ।

7.2.2- राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए स्वीकृत चिकित्सा-भत्ता:-

(i) 1-4-86 से 70 वर्ष की आयु पूरी करने पर रू.25 प्रति माह जो भी बाद में हो

(ii) रू.25 प्रति माह उस महीने की पहली तारीख से जिस महीने में कोई पेंशनभोगी 65 वर्ष की आयु पूरी करता है अथवा 1-7-88 से, जो भी बाद में हो । (जी ओ (पी) 670/89/वित्त, दिनांक 26-12-89) (iii) रू.50 प्रति माह उस महीने की पहली तारीख से जिस महीने में कोई पेंशनभोगी 60 वर्ष की आयु पूरी करता है अथवा 25-11-98 से, जो भी बाद में हो (iv) आयु को ध्यान में न रखते हुए 1-3-2006 से रू.100 प्रति माह । (v) आयु को ध्यान में न रखते हुए 1-2-2011 से रू.300 प्रति माह
(जी ओ (पी)सं.87/2011/वित्त दिनांक 28-02-2011)

परिवार पेंशनभोगी (28-02-2006 तक) तथा मंत्रियों आदि के भूतपूर्व निजी स्टाफ के अनुग्रह पेंशनभोगी तथा यथा अनुपात (प्रोसेस) पेंशनभोगी चिकित्सा भत्ते के हकदार नहीं है । (जी ओ (पी) सं.180/06/वित्त, दिनांक 18-4-2006 तथा जी ओ (पी) 253/2006/वित्त, दिनांक 8-6-2006)

मंत्रियों का भूतपूर्व निजी स्टाफ 1-12-2010 से चिकित्सा भत्ते के लिए पात्र हैं । यथा अनुपात पेंशनभोगी 1-4-2005 से चिकित्सा भत्ते के लिए पात्र है ।

7.3- अनुग्रह पेंशन:

जो कर्मचारी अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त होते है तथा सांविधिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है, उन्हें राहत देने के लिए सरकार ने दिनांक 18-9-99 के जी ओ (पी) 18851/99/वित्त के द्वारा अनुग्रह पेंशन शुरू की थी ।

7.3.1- पात्रता:

(क) यह ऐसे कर्मचारियों तक सीमित है जो अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त होते हैं, लेकिन जिनके पास केरल सेवा नियमावली भाग-III के नियम 57 में यथा विनिर्दिष्ट सांविधिक पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा (अर्थात 10 वर्ष) नहीं हैं । जो कर्मचारी यथा उपर्युक्त अधिवर्षिता पर पहले ही सेवा-निवृत्त हो चुके थे, वे भी अनुग्रह पेंशन के लिए पात्र होंगे ।

(ख) जिन कर्मचारियों ने बिना भत्ता छुट्टी लेकर तथा वे जिन्होंने केरल सेवा नियमावली के परिशिष्ट XII क/परिशिष्ट XII ग के तहत स्वीकृत छुट्टी लेकर न्यूनतम अर्हक सेवा (अर्थात 10 वर्ष) न रखने की वजह से न्यूनतम पेंशन के लिए अपनी पात्रता खो दी है, ऐसे कर्मचारी अनुग्रह पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(ग) यह स्कीम वैकल्पिक है । जो यथा उपर्युक्त पात्र है, वे अनुग्रह पेंशन की स्कीम के लिए विकल्प दे सकते हैं । वे केरल सेवा नियमावली के अनुसार ग्राहय सेवा-पेंशन के बदले में सेवा उपदान (ग्रेच्युटी) के लिए पात्र नहीं होंगे । तथापि जो इस आदेश की तारीख तक सेवा से पहले ही सेवा-निवृत्त हो चुके थे, उन्हें सेवा उपदान की राशि को रिफण्ड करने से छूट है ।

(घ) इस स्कीम के तहत आने वाले पेंशनभोगियों के कानूनी उत्तराधिकारी परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

7.3.2- अनुग्रह पेंशन की समेकित राशि:

इस स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारी नीचे दिए अनुसार अनुग्रह पेंशन की समेकित राशि के लिए पात्र होते हैं:

वे किसी महंगाई राहत के लिए पात्र नहीं होंगे ।

अर्हक सेवा के पूरे वर्ष	समेकित राशि (रू प्रति मास)		
	1-10-1999 से	1-4-2005 से	1-7-2009 से
	आंकड़े मूल से देखें		

(प्राधिकार:जीओ (पी) 420/2007/वित्त, दिनांक 13-09-2007)

(प्राधिकार:जीओ (पी) सं.87/2011/वित्त दिनांक 28-02-2011)

नोट: आधे वर्ष से कम के समय को छोड दिया जाएगा तथा आधे वर्ष और इससे अधिक अवधि को अगले पूरे वर्ष में बदल दिया जाएगा जिनकी अर्हक सेवा 9 वर्ष से अधिक है, वे मौजूदा सांविधिक सेवा पेंशन स्कीम के अधीन आएंगे ।

7.3.3- प्रक्रिया:

जो कर्मचारी पेंशन की इस स्कीम के लिए विकल्प देना चाहेंगे, वे इस संबंध में निर्धारित आवेदन पत्र कार्यालयाध्यक्ष को देंगे । कार्यालयाध्यक्ष दावे की समूचित तौर पर जांच करेगा और प्रस्तावों को विभागाध्यक्ष को भेजेगी जो उचित कार्रवाई करने के बाद अनुग्रह पेंशन के प्राधिकार हेतु इसे महालेखाकार को भेजेगा । सेवा पेंशन प्रदान करने संबंधी मौजूदा पक्रियाओं का उसी प्रकार पालन किया जाएगा जिस प्रकार नई स्कीम के अधीन व्यवहार्य हो ।

7.3.4- प्रभावी तारीख:

यह स्कीम 1 अक्तुबर 1999 से प्रभावी होगी जो कर्मचारी पहले ही सेवा-निवृत्त हो चुके थे, उनके बारे में अनुग्रह-पेंशन प्रदान करने हेतु भी विचार किया जाएगा, परंतु वे 1-10-1999 से पूर्व की अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान लेने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

अध्याय—VIII

पेंशन का संशोधन

8.1- 1-7-2009 से राज्य सरकार पेंशन का संशोधन:

सरकार के दिनांक 28 फरवरी, 2011 के आदेश जी ओ (पी) सं.87/2011/ वित्त में सरकार ने 1-7-2009 से मौजूदा वेतनमानों में संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं ।

मूलभूत सिद्धांत:-

8.1.1- न्यूनतम मूल पेंशन/परिवार पेंशन को बढ़ाकर रू.4500 प्रति माह किया जाएगा । पेंशन की अधिकतम सीमा रू.29,920 के अधिकतम का 50% । अधिकतम परिवार पेंशन (सामान्य दर) रू.17960 होगी, अर्थात राज्य सरकार के अधीन अधिकतम वेतनमान के अधिकतम रू.59840 का 30% ।

8.2 जो कर्मचारी 1-7-2009 को अथवा बाद में सेवा निवृत्त हुए हैं । जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई है, ऐसे कर्मचारियों के संबंध में पेंशन/परिवार पेंशन का संशोधन:-

8.2.1- जो कर्मचारी 1-7-2009 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हुए है । सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, उनके संबंध में अब मौजूदा सामान्य फार्मूला/नियमों को लागू करके पेंशन संबंधी लाभों की गणना 1-7-2009 से लागू किए गए संशोधित वेतन के अनुसार की जाएगी । वे (क) नीचे दिए पैराग्राफ के अनुसार मूल वेतन के

40% की दर से पेंशन का सांराशीकरण (उनके लिए, जो 1-7-2009 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हुए हों) (ख) नीचे दिए पैराग्राफ 8.6 के अनुसार रू. 7,00,000 की डी सी आर जी की बढ़ी हुई सीमा (उनके लिए, जो 1-7-2009 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हुए हो । सेवा के दौरान मृत्यु हुई हो और (ग) नीचे दिए गए पैराग्राफ 8.7 के अनुसार 1-2-2011 से बढ़ा हुआ चिकित्सा भत्ता तथा संशोधित वेतन के आधार पर सेवांत अवकाश अभ्यर्पित करने के लिए पात्र होंगे ।

8.2.2- सभी मामलों में 10 महीने की औसत परिलब्धियों के 50% पर पेंशन के सारांशीकरण की मौजूदा प्रणाली पूरी पेंशन अथवा उसके भाग को अर्जित करने की शर्ते पूरी होने पर (अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर) जारी रहेगी । परिवार-पेंशन की सामान्य दर अंतिम वेतन के 30% के रूप में जारी रहेगी ।

8.2.3- जो कर्मचारी 1-7-2009 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्होंने 10 महीनों की उक्त अवधि के भाग के दौरान पूर्व-संशोधित वेतनमान में वेतन ले लिया था, ऐसे कर्मचारियों के संबंध में पेंशन हेतु औसत परिलब्धियां प्राप्त के लिए 10(दस) महीने के परिलब्धियों की गणना करने हेतु पूर्व-संशोधित वेतनमान में उनका वेतन 64% पर डी ए जोड़कर वेतनमान में उनका वेतन 64% पर डी ए जोड़कर काल्पनिक तौर पर बढ़ाया जा सकता है ।

8.2.4- पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी (जो 1-7-2009 को सेवानिवृत्त हुए/सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है) निम्नलिखित दरों पर डी आर हेतु पात्र है ।

8.2.5- उन कर्मचारियों के मामले में जो 1-7-2009 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हुए अथवा सेवा के दौरान मृत्यु हुई है तथा जिन्होंने पूर्व संशोधित वेतनमान रखा हो, उनकी पेंशन, डी सी आर जी और परिवार पेंशन की जो भी मामला हो, इन आदेशों के आधार पर गणना की जाएगी । ऐसे मामलों में पेंशन संबंधी लाभों की गणना करने के लिए परिलब्धियों में पूर्व संशोधित वेतन में मूल वेतन और 64% डी ए शामिल होगा । चूंकि डी सी आर जी के लिए परिलब्धियों में सेवानिवृत्ति की तारीख को डी ए शामिल होता है, इसलिए ऐसे मामलो में डी

सी आर जी की गणना मूल वेतन के साथ डी ए की 64% राशि का सम्मेलन करने के बाद स्वीकार्य संशोधित डी ए के आधार पर गणना की जाएगी ।

8.2.6- जो यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम/केंद्रीय न्यायिक वेतनमानों में बदलने के बाद 1-7-2009 के उपरांत सेवानिवृत्त हुए/मृत्यु हुई हो, उनकी पेंशन/परिवार पेंशन की उसी प्रकार गणना करनी जारी रहेगी जिस प्रकार पेंशन अथवा परिवार पेंशन में कोई सम्मेलन न हुआ हो । (महंगाई राहत पूर्व-संशोधित दरों अर्थात 1-7-2004 को 64% और उसके बाद सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किए अनुसार होगी) । ऐसे कर्मचारी नीचे दिए पैराग्राफ 8.5 के अनुसार 40% की बढ़ी हुई दर पर (उनके लिए जो 1-3-2006 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हए हों) नीचे दिए पैराग्राफ 8.6.2 के अनुसार 3,30,000 रू. की डी सी आर जी की बढ़ी हुई दर पर (उनके लिए जो 1-4-2005 को सेवानिवृत्त हुए/सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई) और नीचे दिए पैराग्राफ 8.7.1 के अनुसार 1-3-2006 से बढ़े हुए चिकित्सा भत्ते पर पेंशन के सांराशीकरण के लिए पात्र होंगे ।

8.3- जो कर्मचारी 1-7-2009 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए/जिनकी इससे पूर्व मृत्यु हुई थी उनकी पेंशन का संशोधन

8.3.1- प्रभावी तारीख

जो कर्मचारी 1-7-2009 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए/मृत्यु हुई थी, उनकी पेंशन निम्नलिखित निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार 1-7-2009 से संशोधित होगी ।

8.3.2- संशोधित मूल पेंशन:- संशोधित पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित के बारे में पहले निर्धारण किया जाएगा:-

(i) मौजूदा मूल पेंशन

(ii) मौजूदा मूल पेंशन के 12% पर अनुरूप लाभ (अर्थात उपर्युक्त (i) का) यदि इसमें रूपए से कम का भाग सहित हो तो इसे अगले उच्चतर रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा ।

(iii) मौजूदा मूल पेंशन का 64% (अर्थात उपर्युक्त (i) का) जो अगले उच्चतर रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

8.3.3- पेंशन का निर्धारण इस प्रावधान के अध्यधीन होगा कि यदि पेंशनभोगियों की 30 वर्ष और अधिक अवधि की अर्हक सेवा है, तो इस प्रकार प्राप्त समेकित पेंशन उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी, जिस पद से वे सेवानिवृत्त हुए है। जहां पर पेंशनभोगी की न्यूनतम अपेक्षित सेवा अर्थात 30 वर्ष से कम थी, वहां उसकी पेंशन अनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी।

8.3.4- जहां पर पेंशनभोगियों की अर्हक सेवा 30 वर्ष और अधिक हो, और यदि पैरा 8.3.2 के अनुसार प्राप्त समेकित पेंशन उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम हो, जिस पद से वे सेवानिवृत्त हुए थे तो ऐसे मामलों में पेंशन को संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम हो जिस पद से वे सेवानिवृत्त हुए थे, तो ऐसे मामलों में पेंशन को संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% तक बढ़ा दिया जाएगा। 30% वर्ष से कम अर्हक सेवा वाले पेंशनभोगियों के मामले में अनुसूची- I में दर्शायी ग्राहय है।

8.3.5- आनुपातिक पेंशन से अभिप्राय: किसी विशेष स्तर के लिए ग्राहय न्यूनतम पेंशन को अर्हक सेवा कारक (क्यू एस/ 30) से गुणा करने से प्राप्त पेंशन से होता है। आनुपातिक पेंशन का निर्धारण करने के लिए विस्तृत सारणी अनुसूची I दी गई है।

8.3.6- पैरा 8.3.4 के अनुसार प्राप्त समेकित पेंशन/निर्धारित पेंशन संशोधित पेंशन होगी।

8.3.7- यदि, किसी मामले में, इस प्रकार प्राप्त राशि रू.4500 की न्यूनतम पेंशन से कम हो, तो इसे संशोधित न्यूनतम पेंशन के स्तर तक बढ़ा दिया जाएगा। यदि संशोधित पेंशन पैरा 8.3.2 और 8.3.3 के अनुसार निर्धारित पेंशन से अधिक हो तो वह संशोधित पेंशन होगी।

8.3.8- यदि सेवानिवृत्ति/सेवा के दौरान मृत्यु होने के समय पर पेंशनभोगी द्वारा धारित पद उस विभाग में न हो, जिस विभाग से वह सेवानिवृत्त हुआ था, अथवा जिस श्रेणी से पेंशनभोगी संबधित था, यदि उसकी सम्पूर्ण

श्रेणियां उसकी सेवानिवृत्ति/सेवा के दौरान मृत्यु होने के बाद दूसरे वेतनमानों (जैसे उदाहरण के लिए यू जी सी/ए आई सी टी ई/केंद्रीय न्यायिक सेवा के वेतनमानों) में बदल दी गई हों, अथवा पद का पदनाम इस प्रकार से बदल दिया था कि यह सुनिश्चित करना अधिक संभव नहीं है कि जिस पद से पेंशनभोगी/कर्मचारी सेवा-निवृत्त हुआ था । सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, वह पदनाम उस पद के लिए संगत संशोधित वेतनमान है, तो संशोधित मूल पेंशन को अनुसूची III में दर्शाए अनुसार उत्तरोतर वेतन संशोधनों की अपेक्षा संगत वेतनमान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा ।

8.3.9- पैरा 8.3.1 और 8.3.7 में निहित अनुग्रह पेंशनभोगियों और अंशकालिक आकस्मिक पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होंगे जो नीचे दिए पैरा 8.9 और 8.17 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं ।

8.3.10- दिनांक 21-5-1992 के जी ओ (पी) सं.405/92/वित्त के अनुसार पेंशन पर महंगाई राहत आमेलित सेवा से अंतिम रूप से मुक्त होने पर यथा-अनुपात पेंशनभोगियों को दी गई है । इसलिए पैरा 8.3.4 में यथा अपेक्षित पेंशन का समेकन उन पर भी लागू होता है जो रू.4500 के न्यूनतम मूल वेतन के अध्यधीन है । तथापित, पेंशनभोगी जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ था (जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ 8.3.3 और 8.3.4 तथा अनुसूची I में निर्दिष्ट किया गया था) उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर आधारित पेंशन का संशोधन उनके लिए लागू नहीं है ।

8.3.11- पैरा 8.3.4 के तहत निकाली गई संशोधित पेंशन सांराशीकृत करने लायक नहीं होती है ।

8.3.12- यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम के अंतर्गत आने वालों के लिए पेंशन और परिवार पेंशन का संशोधन:-

1-1-2006 को अथवा बाद में जो सेवा-निवृत्त हुए/जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनकी पेंशन की गणना मौजूदा फार्मूला/सूत्रों को लागू करके 1-1-2006 से लागू किए गए संशोधित वेतन के आधार पर की

जाएगी। पूरी पेंशन अथवा उसके भाग को अर्जित करने की शर्तों को पूरा करने पर (अर्हक सेवा की अवधि पर निर्भर करते हुए) सभी मामलों में 10 महीनों की औसत परिलब्धियों के 50% पर पेंशन के सांराशीकरण की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी।

जो 1-1-2006 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए/मुत्यु हो गई थी, उनकी पेंशन को निम्नलिखित निर्धारित सिद्धांत के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

(i) मौजूदा मूल वेतन

(ii) मौजूदा मूल पेंशन के 50% पर डी आर

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के 24% का अनुरूप लाभ।

यदि उपर्युक्ता (i) से (ii) का जोड़ (समेकित पेंशन) उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम होता है, जिस पद से पेंशनभोगी सेवा-निवृत्त हुआ था और उसकी अर्हक सेवा 30 वर्ष अथवा अधिक हो तो पेंशन को पद के एकेडेमिक ग्रेड वेतन (ए जी पी) के साथ-साथ संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 50% तक बढ़ाया जाएगा। 30 वर्ष से कम अर्हक सेवा वाले अन्यों के मामले में अर्हक सेवा की अनुपातिक पेंशन ही अनुसूची I में निर्दिष्ट किए अनुसार स्वीकार्य होगी।

आनुपातिक पेंशन से अभिप्राय किसी विशेष स्तर के लिए ग्राहय न्यूनतम पेंशन को अर्हक सेवा कारक (क्यू.एस/30) से गुणा करने से प्राप्त पेंशन से होता है। यदि समेकित पेंशन उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से अधिक हो जिस पद से पेंशनभोगी सेवा-निवृत्त हुआ था तो अर्हक सेवा के आधार पर मूल पेंशन का ऐसी समेकित पेंशन पर निर्धारण किया जाएगा।

(जी ओ (पी) सं. 211/2011/वित्त दिनांक 7-5-2011) 8.3.13 जो शिक्षण कर्मचारी/न्यायिक अधिकारी यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम केंद्रीय न्यायिक वेतनमानों में आने से पूर्व सेवा-

निवृत्त हुए थे/मृत्यु हुई थी, उनके मामले में पैराग्राफ 8.3.2 के प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे । ऐसे मामलों में संगत संशोधित वेतनमानों उपर्युक्त पैराग्राफ 8.3.5 के अनुसार निर्धारित होंगे ।

8.4- जो 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए/मृत्यु हुई थी, उनके मामले में परिवार-पेंशन का संशोधन:-

8.4.1- जो 1-7-2009 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए/सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके मामले में परिवार पेंशन नीचे निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार 1-7-2009 से संशोधित होंगी ।

8.4.2- जो 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनके संबंध में संशोधित परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित का पहले निर्धारण करना होगा:-

(i) मौजूदा मूल परिवार पेंशन

(ii) मौजूदा मूल परिवार पेंशन (अर्थात उपर्युक्त (i)) के 12% का अनुरूप लाभ

(iii) मौजूदा मूल परिवार पेंशन के (अर्थात उपर्युक्त (i) के) 64% पर डी आर

8.4.3- यथा उपर्युक्त संशोधन परिवार पेंशन की सामान्य और उच्चतर दोनों दरों के लिए लागू हैं ।

8.4.4- अधिकतम परिवार पेंशन की राशि की अधिकतम सीमा राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30% रू17,960 रू (अर्थात् रू.59,840 के 30%) होगी (देखें अनुसूची II) ।

8.4.5- सामान्य परिवार पेंशन के मामले में, यदि उपर्युक्त मद (i) से (ii) का जोड़ परिवार पेंशन, उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम की तुलना में कम हो, जिस पद से पेंशनभोगी अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार सेवा-निवृत्त हुआ है । सेवा के दौरान मृत्यु हुई हो, तो इसे रू.4500 की न्यूनतम राशि तक बढ़ाया जाएगा । जिस पद से पेंशनभोगी सेवा-निवृत्त हुआ/सेवा के दौरान जिसकी मृत्यु हुई थी, उस पद के संगत संशोधित वेतनमान का निर्धारण करने के लिए उपर्युक्त पैराग्राफ 8.3.8 के प्रावधान लागू होंगे ।

8.4.6- जो न्यूनतम दर पर परिवार पेंशन ले रहे हैं और संशोधित गणना करने के लिए जिनके अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं है, उनके मामले में इसका निर्धारण संशोधित न्यूनतम परिवार पेंशन यानि रू.4500 प्रति माह पर होगा । जिन मामलों में न्यूनतम परिवार पेंशन की दिनांक 11-12-1986 के जी ओ (पी) 146/86 वित्त के आधार पर स्वीकृति दी जाती है अथवा किसी विशेष मामले के रूप में भत्ते की स्वीकृति दी जाती है, उन मामलों में उस पद के संगत संशोधित वेतनमान परिवार पेंशन का संशोधन के न्यूनतम के आधार पर लागू नहीं है जिस पद से पेंशनभोगी (पैरा 8.4.5 के दर्शाए अनुसान) सेवा निवृत्त हुआ था वे केवल संशोधित न्यूनतम परिवार पेंशन अर्थात रू.4500 के लिए पात्र हैं ।

8.4.7- परिवार पेंशन की उच्चतर दर निम्नलिखित की उच्चतर होगी:-

(i) उपर्युक्त पैराग्राफ 8.4.2 के अनुसार गणना किया मूल्य

(ii) पैराग्राफ 8.4.4/8.4.5 के अनुसार दुगुनी सामान्य परिवार पेंशन जो उपर्युक्त पैरा 8.3.2 के द्वारा यथा संशोधित पेंशन तक सीमित है ।

8.4.8- जो परीक्षण कर्मचारी/न्यायिक अधिकारी यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम/केंद्रीय न्यायिक वेतनमानों में आने से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे । मृत्यु हुई थी, उनके मामले में पैराग्राफ 8.4.4 के प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे । ऐसे मामलों में संगत संशोधित वेतनमानों उपर्युक्त पैराग्राफ 8.3.8 के अनुसार निर्धारित होंगे ।

8.5- पेंशन का सारांशीकरण और पेंशन के सारांशीकृत भाग की बहाली:-

8.5.1- पेंशन का सारांशीकरण के लिए मूल पेंशन के 40% की मौजूदा दर जारी रहेगा । संशोधित वेतन पर स्वीकार्य पेंशन के सारांशीकरण हेतु पात्रता 1-7-2009 को अथवा इसके बाद सेवा-निवृत्ति के मामले में लागू होती है । मौजूदा सारांशीकरण कारक और बहाली की अवधि जारी रहेगी ।

1 रू. प्रतिवर्ष पेंशन का सारांशीकरण मूल्य

अगले जन्मदिन पर आयु	खरीदे गए वर्ष की संख्या के रूप में व्यक्त सारांशीकरण मूल्य	Repeat

आंकड़े मूल से

नोट: यह सारणी 4.7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज की दर पर आधारित है ।

8.6- मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपदान पर अधिकतम सीमा:-

8.6.1- 1-7-2009 से डी सी आर जी की अधिकतम राशि की सीमा को 3,30,000 रू. से बढ़ाकर 7,00,000 रू. कर दिया है ।

8.6.2- यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम/केंद्रीय न्यायिक वेतनमान के अंतर्गत आने वाले जो पेंशनभोगी 1-7-2009 को सेवा-निवृत्त हुए थे, वे रू. 3,30,000 से रू.7,00,000 तक की बढ़ोत्तरी के लिए पात्र है ।

8.7- पेंशनभोगियों और परिवार/पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा भत्ता:

8.7.1- पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी रू.300 प्रति मास चिकित्सा भत्ते के लिए पात्र हैं । यह उनके लिए भी लागू होगी जो यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम/केंद्र न्यायिक वेतनमानों में सेवा निवृत्त हुए थे । सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी और जिनकी मूल पेंशन और परिवार पेंशन को (पैरा 8.3.12 के द्वारा) संशोधित किया जा रहा है । यह भत्ता 1-2-2011 से ही दिया जाएगा । बढ़ी हुई दर पर और नई-नई पात्र श्रेणियों के लिए चिकित्सा भत्ते का भुगतान सीधे ही अर्थात् पेंशन/परिवार-पेंशन के पुन: निर्धारण से पूर्व किया जा सकता है ।

8.8- पेंशन की बकाया राशि:

8.8.1- पेंशन/परिवार पेंशन के संशोधन की वजह से हुई बकाया राशि का संवितरण नकद रूप में 4 बराबर-बराबर तिमाही किस्तों में किया जाएगा जो जून, 2011 के बाद शुरू होगी ।

8.8.2- पेंशन संबंधी लाभों के संशोधन की वजह से किए गए किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली डी सी आर जी की शेष राशि, पेंशन की बकाया, महंगाई राहत की बकाया तथा पेंशन पर भावी महंगाई राहत से की जाएगी ।

8.9- अनुग्रह पेंशन:

8.9.1- अनुग्रह पेंशन को 1-7-2009 से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

अर्हक सेवा के पूरे वर्ष	प्रति मास समेकित राशि मौजूदा (रू.) संशोधित (रू.)
आंकड़े मूल से	

8.9.2- उपर्युक्त दरें ऐसे सभी अनुग्रह पेंशनभोगियों के लिए लागू होती हैं जो 1-7-2009 से पूर्व और बाद में सेवानिवृत्ति हुए थे । वे पेंशन पर महंगाई राहत के लिए हकदार नहीं है ।

8.10- अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारियों-राज्य सेवा के लिए सेवा-निवृत्ति लाभ:- अंशकालिक कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन सेवा-निवृत्त होते हैं, जिस महीने में वे 70 वर्ष की आयु पूरी करते हैं यदि उन्हें पूर्णकालिक सेवा में नियुक्त किया जाता है तो वे 56 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं ।

8.10.1- पेंशन अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारियों को पेंशन के लिए पात्र बनाया गया था जो 1-7-1988 को अथवा बाद में सेवा-निवृत्त हो चुके थे ।

(प्राधिकार: जी ओ (पी)27/91/पी एंड ए आर डी, दिनांक 03-09-91)

8.10.2- अधिकतम/न्यूनतम पेंशन/परिवार पेंशन:

अधिकतम मूल पेंशन रू.4200 (रू.8400 के उच्चतम मूल वेतन के 50%) की जाएगी और न्यूनतम मूल पेंशन रू.2000 निर्धारित की जाएगी। अधिकतम परिवार पेंशन रू.2520 (रू.8400 के उच्चतम मूल वेतन के 30%) के रूप में निर्धारित की जाएगी और न्यूनतम परिवार पेंशन रू.1300 के रूप में निर्धारित की जाएगी।

8.10.3- 1-7-2009 को अथवा उसके बाद जो सेवा निवृत्त हुए थे/सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके पेंशन संबंधी लाभों की गणना राज्य सेवा कर्मचारियों के लिए लागू नियमों के अनुसार दिनांक 1-7-2009 से लागू की गई संशोधित पेंशन के आधार पर की जाएगी। अर्जित पूरी पेंशन अथवा उसके भाग की शर्त को पूरा करने के आधार पर की जाएगी। अर्जित पूरी पेंशन अथवा उसके भाग की शर्त को पूरा करने के अध्यधीन 10 महीने की औसत परिलब्धियों के 50% पर पेंशन के सारांशीकरण की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी।

8.10.4- जो कर्मचारी 1-7-2009 को अथवा उसके बाद में सेवा-निवृत्त हुए थे और जिन्होंने 10 महीने की उक्त अवधि के भाग के दौरान पूर्व-संशोधित वेतनमान में वेतन लिया था, उनके संबंध में पेंशन के लिए औसत परिलब्धियां प्राप्त करने के लिए 10 महीने की परिलब्धियों की गणना करने हेतु पूर्व संशोधित वेतनमान में उनके वेतन को 64% डी ए जोड़कर काल्पनिक तौर पर बढ़ाया जा सकता है।

8.10.5- जो अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे/सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनकी पेंशन निम्नानुसार संशोधित की गई थी।

(i) मौजूदा मूल पेंशन/परिवार पेंशन

(ii) मूल पेंशन/परिवार पेंशन के 12% का अनुरूप लाभ

(iii) मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 64% डी आर

उपर्युक्त (i) और (iii) का जोड़ संशोधित मूल पेंशन होगी । यदि उपर्युक्त का जोड़ रू.2000 से कम हो तो पेंशन बढ़ाकर रू.2000 कर दी जाएगी ।

8.10.6- जो 1-7-2009 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए/सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनकी परिवार पेंशन में संशोधन:-

दिनांक 1-7-2009 से पूर्व जो सेवा निवृत्त हुए थे/सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी परिवार पेंशन इसमें निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार 1-7-2009 से संशोधित की जाएगी । जो 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे । सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके संबंध में संशोधित परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए पहले निम्नलिखित के बारे में निर्धारण किया जाएगा:-

(i) मौजूदा मूल पेंशन/परिवार पेंशन

(ii) मौजूदा मूल परिवार पेंशन (अर्थात उपर्युक्त (i) के) की दर से 12% का अनुरूप लाभ

(iii) मौजूदा मूल परिवार पेंशन (अर्थात उपर्युक्त (i) के) के 64% की दर से डी आर

परिवार पेंशन के मामले में, पेंशनभोगी जिस पद से सेवा-निवृत्त हुआ/मृत्यु हुई थी, उस पद के नए वेतनमान के न्यूनतम के 30% से यदि उपर्युक्त (i) से (iii) का जोड़ कम हो, तो इसे उस पद के नए वेतनमान के न्यूनतम के 30% तक बढ़ाया जाएगा, जिस पद से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ/मृत्यु हुई थी, किंतु यह निम्नानुसार न्यूनतम होगा:-

श्रेणी	संशोधित मूल वेतन (रू.)	न्यूनतम परिवार पेंशन (रू.)
I	5520	1656

II	4850	1455
III	4250	1300

8.10.7- मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपदान

अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी

अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारियों के मामले में डी सी आर जी की गणना निम्नलिखित फार्मूला लागू करके की जाती है:-

(अंतिम वेतन+डी ए) X अर्हक सेवा

2

स्वीकार्य डी सी आर जी की न्यूनतम राशि 1-7-2009 से 1,40,000 तक सीमित होगी।

(जी ओ (पी) सं.405/2011/वित्त, दिनांक 26-9-2011)

8.11- संशोधित पेंशन संबंधी दावे का अनुमोदन:

8.11.1- दिनांक 1-7-2009 से स्वीकृत संशोधित वेतनमान में वेतन के निर्धारण की वजह से संशोधित पेंशन संबंधी दावों के लिए महालेखाकार द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा (अर्थात उनके लिए जो 1-7-2009 के बाद में सेवा निवृत्त हुए है) संशोधित वेतनमानों में वेतन के निर्धारण के आधार पर संशोधन करने के पेंशन के सभी मामलों को पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी सेवा-पुस्तिका, वेतन निर्धारण विवरण, गणना विवरण और संशोधित पेंशन संबंधी लाभों को दर्शाने वाले गणना विवरण सहित महालेखाकार (ए एंड ई) को भेजेंगे। राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखाकार इन आदेशों के आधार पर संशोधित वेतनमानों में निर्धारित उनके वेतन के आधार पर पेंशन संबंधी लाभों में संशोधन करेंगे।

8.11.2- पेंशन/परिवार पेंशन के संशोधन के लिए 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु की स्थिति में पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी के द्वारा संबंधित ट्रेजरी अधिकारी/संवितरण अधिकारी को परिशिष्ट I में आवेदन देना होगा।

8.11.3- यदि पेंशन संबंधी रिकार्डों में वेतनमान, लिया गया अंतिम मूल वेतन पदनाम और सेवा-निवृत्ति के समय पर अर्हक सेवा तुरंत उपलब्ध न हो तो पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को इन्हें साबित करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज अथवा इनका उल्लेख करते हुए एक प्रमाणपत्र परिशिष्ट 2 में दर्शाए फार्म में संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों से प्राप्त करना चाहिए तथा महालेखाकार (ए एंड ई) के लिए प्रस्तुत करने चाहिए।

8.11.4- जो 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए हैं, उनके संबंध में पेंशन/परिवार पेंशन का संशोधन इस संबंध में विशेष तौर पर प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। वे इनकी स्वीकृति महालेखाकार (ए एंड ई) के द्वारा विधिक्षा किए जाने के बाद करेंगे, क्योंकि संपूर्ण पेंशन/परिवार पेंशन का पूर्णत: पुनर्निधारण किया जा रहा है। जिस प्रक्रिया के द्वारा ऐसी स्वीकृतियां स्वयं जिला स्तर पर सभी संबंधितों के द्वारा (महालेखाकार के प्रतिनिधियों सहित) अनुमोदन देने के बाद अलग से तैयार की जा रही होती है, इसके लिए आंतरिक आदेश दिनांक 18-4-2006 के आदेश जी ओ (पी) सं.180/06/वित्त, दिनांक 8-6-2006 के जी ओ (पी) सं 253/06/वित्त और दिनांक 1-9-2006 के जी ओ (पी) सं. 359/06/वित्त के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। संशोधित पेंशन/परिवार पेंशन का निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 3) में विवरण प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा और इसकी सूचना महालेखाकार को दी जाएगी जो अपने रजिस्टर में प्रविष्टियों को अद्यतन करेगा। एक प्रति पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।

8.12- अनुप्रयोज्यता

8.12.1- सामान्यत: ये आदेश उन सभी के लिए लागू होंगे जो राज्य पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं और इसमें विशिष्ट प्रतिबंधों/विशिष्ट रूप से आदेश के अध्यधीन हो (उदाहरण के लिए प्रैराग्राफ 8.2.6, 8.5.1, 8.9 आदि)

8.12.2- ये आदेश मंत्रियों तथा विपक्ष के नेता के पूर्व निजी स्टाफ के लिए लागू नहीं होते हैं, जिनके लिए दिनांक 23-5-2012 के जी ओ (पी) 297/2012/वित्त के द्वारा अलग से आदेश जारी किए गए थे ।

8.12.3- विश्वविद्यालयों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों और सांविधिक निगमों/बोर्डों, सहायता-अनुदान संस्थानों के संबंध में, जहां औपचारिक अनुमोदन/स्वीकृति उनके लिए इन आदेशों का विस्तार करने के लिए प्राप्त करनी होगी ।

8.12.4- अध्याय-III पेंशन कानून/अध्याय-XIV बी, केरल शिक्षा नियमावली/मद्रास सरकार आदेश 161/56 के द्वारा शासित निजी कॉलेज/सहायता-प्राप्त स्कूल के कर्मचारी और अन्य विशेष श्रेणियां भी अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन और परिवार पेंशन के लिए हकदार होंगी ।

8.13- 1-7-2004 से राज्य सरकार पेंशन का संशोधन:-

सरकार के दिनांक 17-3-2006 के आदेश जी ओ (पी) सं.125/2006/वित्त में सरकार ने वेतनमानों और पेंशन को संशोधित करने के आदेश जारी किए थे । विस्तृत आदेश दिनांक 18-04-06 जी ओ (पी) सं.180/06/वित्त, के अनुसार जारी किए गए थे ।

8.13.1- मूल-सिद्धांत:

न्यूनतम मूल पेंशन को वर्तमान रू 1275 प्रतिमास से बढ़ाकर रू 2400 प्रतिमास (59 प्रतिशत महंगाई राहत के समामेलन के बाद) की जाएगी । पेंशन की अधिकतम सीमा राज्य सरकार के तहत उच्चतम वेतनमान के अधिकतम का 50प्रतिशत (अर्थात 33,750रू का 50 प्रतिशत) होगी ।

8.13.2- जो 1-7-2004 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त/जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनके संबंध में पेंशन/परिवार पेंशन का संशोधन:-

जो 1-7-2004 को अथवा बाद में सेवा-निवृत्त हुए थे/ जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनके पेंशन संबंधी लाभों की गणना सामान्य फार्मूला/नियमों को लागू करके, जैसे वर्तमान में लागू हैं, 1-7-2004 से लागू संशोधित वेतन के आधार पर की जाएगी । वे नीचे दिए पैराग्राफ 5 के अनुसार 40 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर (उनके लिए जो 1-3-2006 को अथवा बाद में सेवा-निवृत्त हैं), नीचे दिए पैराग्राफ 6 के अनुसार 3,30,000 रू के डी सी आर जी की बढ़ी हुई अधिकतम सीमा पर (उनके लिए जो 1-4-2005 को अथवा बाद में सेवा-निवृत्त हुए हों/सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी) और संशोधित वेतन के आधार पर सेवांत अवकाश अभ्यर्थित करने पर पेंशन के सारांशीकरण के लिए पात्र होंगे ।

8.13.3- अर्जित पूरी पेंशन अथवा उसके भाग की (अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर) शर्त पूरा होने के अध्यधीन सभी मामलों में 10 महीने की औसत परिलब्धियों के 50% पर पेंशन के सारांशीकरण की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी ।

8.13.4- जो कर्मचारी 1-7-2004 को अथवा इसके बाद में सेवा-निवृत्त हुए थे और जिन्होंने 10 महीने की उक्त अवधि के भाग के दौरान पूर्व संशोधित वेतनमान में वेतन लिया था, उनके संबंध में पेंशन के लिए औसत परिलब्धि प्राप्त करने के लिए 10 महीने की परिलब्धियों की गणना करने हेतु पूर्व संशोधित वेतनमान में उनके वेतन को 59% डी ए जोड़कर काल्पनिक तौर पर बढ़ाया जा सकता है ।

8.13.5- पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी (जो 1-7-2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए/ मृत्यु हुई थी, 1-4-2005 से संशोधित पेंशन/परिवार पेंशन के 5% की दर से डी आर के लिए पात्र हैं, इसके अलावा समय-समय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डी आर में बढ़ोत्तरी भी यथा स्वीकार्य होगी ।

8.13.6- जो कर्मचारी पूर्व संशोधित वेतनमान रखते हैं और 1-7-2004 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त होते हैं अथवा सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके मामले में डी सी आर जी और परिवार पेंशन की, जो भी मामला हो, इन आदेशों के अनुसार गणना की जाएगी । ऐसे मामलों में पेंशन संबंधी लाभों की गणना करने के लिए

परिलब्धियों 59% पर डी ए सहित पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन होगा। चूंकि डी सी आर जी के लिए परिलब्धियों में सेवा-निवृत्त की तारीख को डी ए शामिल होता है, इसलिए ऐसे मामलों में डी सी आर जी की गणना मूल वेतन के साथ 59% डी ए के समामेलन के बाद स्वीकार्य संशोधित डी ए के आधार पर की जाएगी।

8.13.7- जो यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम/केंद्रीय न्यायिक वेतनमानों में आने के बाद 1-7-2004 के उपरांत सेवा-निवृत्त हुए/मृत्यु हुई थी, उनकी पेंशन/परिवार पेंशन की उसी प्रकार गणना करना जारी रहेगा, जिस प्रकार पेंशन अथवा परिवार पेंशन में कोई समामेलन न हुआ हो (महंगाई राहत पूर्व-संशोधित दरों अर्थात 1-7-2004 को 64% और उसके बाद सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किए अनुसार होगी)। ऐसे कर्मचारी 40% की बढ़ी हुई दर पर (उनके लिए जो 1-3-2006 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हुए हों), रू.3,30,000 डी सी आर जी की बढ़ी हुई अधिकतम सीमा पर (उनके लिए जो 1-4-2005 को सेवानिवृत्त हुए/सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई) और 1-3-2006 से बढ़े हुए चिकित्सा भत्ते पर पेंशन के सारांशीकरण के लिए पात्र होंगे।

8.14- उनकी पेंशन का संशोधन जो 1-7-2004 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए/मृत्यु हुई:-

8.14.1- प्रभावी तारीख: जो 1-7-2004 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए/जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी पेंशन निम्नानुसार निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार 1-4-2005 से संशोधित की जाएगी। 1-7-2004 से 31-5-2005 की अवधि के दौरान उन्हें उसी दर पर पेंशन मिलती रहेगी जिस दर संशोधन से पूर्व लेते थे।

8.14.2- संशोधित मूल पेंशन: संशोधित मूल पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए गणना किए गए मूल्य का पहले निर्धारण किया जाएगा:-

(i) मौजूदा मूल पेंशन

(ii) मौजूदा मूल पेंशन (अर्थात उपर्युक्त (i) के) का 6 प्रतिशत अनुरूप लाभ यदि रूपए से कम का भाग निहित होता है, तो इसे अगले उच्चतर रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(iii) मौजूदा मूल पेंशन (अर्थात उपर्युक्त (i) का) का 59% जो अगले उच्चतर रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

8.14.3- यदि उपर्युक्त (i) से (iii) का जोड़ जिसे गणना किया गया मूल्य कहा है) उस पद के संगत संशोधित वेतनमानों के न्यूनतम के 50% से कम हो, जिस पद से पेंशनभोगी सेवा-निवृत्त हुआ है, तब 30 वर्ष और अधिक की अर्हक सेवा वाले पेंशनभोगियों के मामले में पेशन को संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% तक बढ़ा दिया जाएगा। 30 वर्ष से कम अवधि की अर्हक सेवा वाले अन्यों के मामले में अनुसूची I में दर्शाए अनुसार अर्हक सेवा के अनुपात में ही पेंशन स्वीकार्य होगी (देखें उदाहरण I)।

8.14.4- नीचे दिए पैराग्राफ 8.14.6 के अनुसार यदि गणना किया गया मूल्य उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से अधिक हो, जिस पद से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, तो अर्हक सेवा पर आधारित मूल पेंशन ऐसे गणना किए गए मूल्य पर निर्धारित होगी, जैसे यदि अनुसूची I के चरण में हैं अथवा अनुसूची I के ठीक अगले चरण में है, यदि गणना किया गया मूल्य अनुसूची में दिए चरण में नहीं है (चरण अनुसूची I में दिए हैं)। कम अर्हक सेवा वाले पेंशनभोगी आनुपतिक पेंशन के लिए ही पात्र है।

8.14.5- आनुपातिक पेंशन से अभिप्राय: किसी विशेष चरण के लिए ग्राहय अधिकतम पेंशन को अर्हक सेवा कारक (क्यू एस/30) से गुणा करने से प्राप्त पेंशन से है।

8.14.6- उपर्युक्त पैराग्राफ 8.14.4 में दर्शाए अनुसार संशोधित पेंशन का निर्धारण करते समय 59% की दर से सम्मिलित डी आर सहित मूल पेंशन पर 200 रू. का न्यूनतम लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी मामले में, अनुसूची के किसी चरण पर निर्धारित पेंशन 200 रू. का लाभ् सुनिश्चित नहीं करती है, तो इस कमी को पहले से ही निर्धारित पेंशन में जोड़ा जाए तथा यह अंतिम संशोधित मूल पेंशन होगी।

8.14.7- यदि किसी मामले में, इस प्रकार प्राप्त की गई राशि न्यूनतम पेंशन रू.2400 से कम हो, तो इसे संशोधित न्यूनतम पेंशन की स्तर तक बढ़ायी जाएगी।

8.14.8- संशोधित मूल पेंशन पर महंगाई राहत (डी आर) 1-4-2005 को 5% होगी। डी आर में और बढ़ोत्तरी समय-समय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यथा ग्राहय होगी ।

8.14.9- दिनांक 21-5-1992 के जी ओ (पी) सं405/92/वित्त के अनुसार पेंशन पर महंगाई राहत आमेलित सेवा से उनके अंतिम रूप से मुक्त पर यथा-अनुपात पेंशनभोगियों के लिए प्रदान की गई है । इसीलिए, पैराग्राफ 8.13.2 में यथा अपेक्षित पेंशन का समेकन उनके लिए लागू होगा और यह रू2400 की न्यूनतम मूल पेंशन के अध्यधीन होगी । तथापि जिस पद से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर आधारित पेंशन का संशोधन उनके लिए लागू नहीं है।

8.14.9- पैराग्राफ 8.13 के अंतर्गत निकाली गई संशोधित पेंशन सारांशीकरण योग्य नहीं है ।

8.15- जो 1-7-2004 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए/जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके संबंध में परिवार-पेंशन का संशोधन:-

8.15.1- जो 1-7-2004 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए/जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके संबंध में परिवार पेंशन निम्नानुसार निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार 1-4-2005 से संशोधित की जाएगी । 1-7-2004 से 31-3-2005 तक की अवधि के दौरान वे उसी दर परिवार पेंशन प्राप्त करते रहेंगे जो उन्हें संशोधन से पूर्व मिलती थी ।

8.15.2- जो 1-7-2004 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे । जिनकी इससे पूर्व सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनके संबंध में संशोधित परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सहित गणना किए गए मूल्य को पहले निर्धारण करना होगा:-

(i) मौजूदा मूल परिवार पेंशन

(ii) मौजूदा मूल परिवार पेंशन का (अर्थात उपर्युक्त (i) के) 6% अनुरूप लाभ

(iii) मौजूदा मूल परिवार पेंशन का (अर्थात् उपर्युक्त (i) के) 59% डी आर

8.15.3- यथा उपर्युक्त संशोधन परिवार पेंशन का सामान्य और उच्चतर दोनों दरों पर लागू होता है ।

8.15.4- सामान्य परिवार पेंशन के मामले में, यदि उपर्युक्त मदों (i) से (iii) का जोड़ उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम की संगत परिवार पेंशन से कम हो जिस पद से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ हो। सेवा के दौरान मृत्यु हुई हो, तो इसे रू 2400 के न्यूनतम तक बढ़ाया जाएगा ।

8.15.5- यदि किसी मामले में यथा उपर्युक्त प्राप्त परिवार पेंशन पहले से निर्धारित मौजूदा मूल परिवार पेंशन पर रू 200 का लाभ सुनिश्चित नहीं करती है, तो यह अंतिम संशोधित परिवार-पेंशन होगी ।

8.15.6- परिवार पेंशन की उच्चतर दर निम्नलिखित की उच्चतर होगी:-

(i) उपर्युक्त पैराग्राफ 8.15.2 के अनुसार गणना किया मूल्य

(ii) पैराग्राफ 8.15.4/8.15.5 के अनुसार सामान्य परिवार पेंशन का दुगुना जो उपर्युक्त 8.15.2 के द्वारा यथा संशोधित पेंशन तक सीमित हो ।

8.15.7- अधिकतम परिवार पेंशन की अधिकतम राशि राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30% अर्थात रू 33,750 का 30% या 10,125 रू. होगी ।

8.15.8- जो न्यूनतम दर पर परिवार पेंशन ले रहा है और संशोधित गणना करने के लिए अपेक्षित विवरण उपलब्ध न हो, तो इसको संशोधित न्यूनतम परिवार पेंशन अर्थात रू 2400 प्रति मास पर निर्धारित किया जाएगा । सेवा-निवृत्त कर्मचारी के संबंध में पेंशन भुगतान आदेश एवं अन्य ब्यौरे न होने पर न्यूनतम परिवार पेंशन की स्वीकृति (जो 1-4-1994 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, उनके लिए दिनांक 11-2-1986 के जी ओ (पी)146/86/वित्त के अनुसार अनुमत)

8.15.9- संशोधित परिवार-पेंशन पर महंगाई राहत 1-4-2005 को 5% होगी । डी आर में समय-समय पर और बढ़ोत्तरी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यथा ग्राह्य होगी ।

8.15.10- जो शिक्षण स्टाफ/न्यायिक अधिकारी यू जी सी/ ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम/ केंद्रीय न्यायिक वेतनमानों में आने से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हो । मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामलों में पैराग्राफ 8.14.4 के प्रावधान पूर्णत: लागू होंगे ।

8.16- पेंशन का सारांशीकरण एवं पेंशन के सारांशकृत भाग की बहाली:-

पेंशन के सारांशीकरण के लिए मूल पेंशन की एक तिहाई की मौजूदा दर को 40% तक बढ़ा दिया जाएगा । यह उनके लिए ही लागू होगी जिनकी 1-3-2006 को अथवा इसके बाद में सेवानिवृत्ति हुई हो । सेवा के दौरान मृत्यु हो और इनमें वे शामिल हैं, जो यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम/केंद्रीय न्यायिक वेतनमान में आए हो, चाहे उनकी मूल पेंशन को संशोधित न किया जा रहा हो । जिनकी सेवा-निवृत्ति 1-7-2004 से 28-2-2006 के बीच हुई हो, वे संशोधित वेतन पर स्वीकार्य एक-तिहाई पेंशन को ही सांराशीकृत कराने के लिए पात्र हैं । बहाली के संबंध में मौजूदा नियम जारी रहेंगे । जिन अध्यापकों को 2-7-2005 के बाद 55 वर्ष की आयु हो गई हो लेकिन केरल सेवा-नियमावली के भाग-I नियम 60 (ग) की वजह से 1-3-2006 तक सेवा जारी रखी थी, वे 40% की बढ़ी हुई दर पर सांराशीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि दिनांक 15-5-1986 के जी ओ (पी) 360/86/वित्त के तहत 55 वर्ष की आयु के बाद उनकी बढ़ायी हुई सेवा नहीं होगी और उसे पेंशन के प्रयोजनों के लिए कभी गिना नहीं गया है ।

8.17- मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा:-

8.17.1- डी सी आर जी की अधिकतम राशि की सीमा को 1-4-2005 से रू 2,80,000 से बढ़ाकर रू 3,30,000 किया जाएगा । जो 1-7-2004 से 31-3-2005 के बीच में सेवानिवृत्त हुए हैं, वे संशोधित वेतन की

वजह से डी सी आर जी की बढ़ी हुई दर के लिए हकदार हैं, लेकिन अधिकतम डी सी आर जी केवल 2,80,000 रू होगी।

8.17.2- यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा/स्कीम/ केंद्रीय न्यायिक वेतनमानों के अंतर्गत आए जो पेंशनभोगी 1-7-2009 के बाद में सेवानिवृत्त हुए थे, वे रू 280000 से रू 330000 की सीमा में बढ़ोत्तरी के लिए पात्र हैं। जो 1-7-2004 से 31-3-2005 तक सेवानिवृत्त हुए हो, वे रू 330000 की बढ़ी हुई डी सी आर जी की अधिकतम सीमा के लिए हकदार नहीं हैं।

8.18- महंगाई राहत:

पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी 1-4-2005 से संशोधित पेंशन/परिवार पेंशन के 5% की दर से डी आर के लिए हकदार हैं। तथापि जो यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम/केंद्रीय न्यायिक वेतनमानों से सेवानिवृत्त हुए/सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी, उन्हें पूर्व-संशोधित मूल पेंशन/परिवार के 64% की दर से (अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा यथा संशोधित दर पर) महंगाई राहत जारी रहेगी (क्योंकि उनकी पेंशन और परिवार पेंशन को उपर्युक्त 8.2.6, 8.3.12 और 8.4.18 के द्वारा अब संशोधित नहीं किया जा रहा है)।

8.19- पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा भत्ता:

पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की आयु को ध्यान में न रखते हुए वे रू 100 प्रति मास चिकित्सा भत्ते के लिए पात्र हैं। यह उनके लिए भी लागू होगी जो यू जी सी/ए आई सी टी ई/ चिकित्सा शिक्षा स्कीम/ केंद्रीय न्यायिक वेतनमानों से सेवा-निवृत्त हुए हो। सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई हो और जिनकी मूल पेंशन और परिवार पेंशन संशोधित नहीं की जा रही हैं। यह भत्ता केवल 1-3-2006 से ही दिया जाएगा। बढ़ी हुई दर पर तथा नई पात्र श्रेणियों के लिए चिकित्सा भत्ता सीधे ही अर्थात पेंशन/परिवार पेंशन का पुन: निर्धारण करने से भी पहले दिया जा सकता है।

8.20- अंतिम राहत:

पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को दी जा रही अंतरिम तब बंद कर दी जाएगी जब संशोधित पेंशन का भुगतान शुरू हो जाता है अथवा 31-10-2006 को जो भी पहले हो । 1-8-2005 से पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के द्वारा ली गई कुल अंतरिम राहत देय बकाया राशि से एकमुश्त समायोजित की जाएगी ।

8.21- पेंशन की बकाया राशि:

8.21.1- पेंशन/परिवार पेंशन का संशोधन होने के कारण हुई बकाया राशि का संवितरण नकद दिया जाएगा । जो 1-7-2004 से सेवानिवृत्त हुए थे अथवा 1-4-2005 को अथवा बाद में जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके मामले में पेंशन/परिवार पेंशन की बकाया राशि के मामले में जीवनकाल बकाया राशि का पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार/पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी से नई स्वीकृति के लिए आग्रह किए बिना ही उनके उत्तराधिकारियों/नामितियों का भुगतान किया जाएगा । जो 1-7-2004 के बाद में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें बकाया राशि का नकद भुगतान किया जाएगा ।

8.21.2- पेंशन संबंधी लाभों में संशोधन होने की वजह से अधिक भुगतान की वसूली यदि कोई हो, डी सी आर जी के शेष, पेंशन के बकाया, महंगाई राहत की बकाया और पेंशन पर भावी महंगाई राहत से की जाएगी ।

8.22- अनुग्रह पेंशनभोगी:- जो पेंशनभोगी 1-7-2004 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हो, उन सभी अनुग्रह पेंशनभोगियों को पेंशन में 10% तदर्थ वृद्धि स्वीकृत की जाती है । यह 1-4-2005 से प्रभावी होगी । वे पेंशन पर डी आर के हकदार नहीं है ।

8.23- अंशकालिक आकस्मिक पेंशनभोगी:-

8.23.1- अंशकालिक आकस्मिक पेंशनभोगियों के मामले में, जो 1-7-2004 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, पेंशन/परिवार पेंशन में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) मौजूदा मूल पेंशन/ परिवार पेंशन

(ii) मूल पेंशन/ परिवार पेंशन का 6% अनुरूप लाभ

(iii) मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 59% डी आर

8.23.2- 1-7-2004 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हो रहे अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी को ग्राहय पेंशन दिनांक 25-03-2006 के पेंशन संशोधन आदेश में आदेशित संशोधित पारिश्रमिक के आधार पर होगी । उनकी न्यूनतम और अधिकतम पेंशन तथा परिवार पेंशन को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

	मौजूदा	संशोधित
अंशकालिक आकस्मिक पेंशनभोगी, न्यूनतम, अधिकतम, अंशकालिक आकस्मिक परिवार पेंशनभोगी न्यूनतम अधिकतम	आंकडे मूल से	

8.23.3- अंशकालिक अशक्तता पेंशन अंशकालिक परिवार पेंशन के न्यूनतम तक बढ़ानी होगी ।

8.23.4- दिनांक 1-7-2004 के बाद सेवानिवृत्त हो रहे/सेवा के दौरान मृत्यु हुई अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारियों के लिए उपदान का मौजूदा नियमों से शासित होना जारी रहेगा, लेकिन यह संशोधित पारिश्रमिक के आधार पर होगा।

8.24- संशोधित पेंशन संबंधी लाभ का अनुमोदन:

8.24.1- दिनांक 1-7-2004 से स्वीकृत संशोधित वेतनमानों में वेतन के निर्धारण की वजह से संशोधित पेंशन संबंधी दावों को महालेखाकार के द्वारा, (अर्थात उनके लिए जो 1-7-2004 के बाद सेवानिवृत्त हो रहे है), अनुमोदित किया जाएगा। पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी संशोधित वेतनमानों में वेतन के निर्धारण के आधार पर संशोधन करने के लिए अपेक्षित पेंशन के सभी मामलों को सेवा-पुस्तिका, वेतन निर्धारण विवरण गणना विवरण और संशोधित पेंशन संबंधी लाभों को दर्शाने वाले गणना विवरण के साथ महालेखाकार को भेजेंगे। राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखाकार इन आदेशों के आधार पर संशोधित वेतनमान में निर्धारित उनके वेतन के आधार पर पेंशन संबंधी लाभों में संशोधन करेंगे।

8.24.2- जो 1-7-2004 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए/जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी पेंशन/परिवार पेंशन का संशोधन करने के लिए पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के द्वारा संबंधित ट्रेजरी अधिकारी/संवितरण अधिकारी को परिशिष्ट-I में आवेदन दिया जाएगा ।

8.25- वर्ष 2004 से पूर्व केरल राज्य की सरकार पेंशन का संशोधन:-

8.25.1- दिनांक 1-7-1988 से पेंशन का संशोधन:-

मौजूदा सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन तर्कसंगत बनाने की दृष्टि से केरल सरकार ने दिनांक 26-12-1989 के जी ओ (पी)670/89/वित्त के अनुसार यह आदेश दिया था कि 1-7-1988 से पूर्व सभी पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की मूल पेंशन मौजूदा मूल पेंशन के ए आई सी पी आई के 608 प्वांइट के औसत सूचकांक स्तर पर डी ए जोड़कर 1-7-1988 से समेकित किया जाएगा । ए आई सी पी आई के 608 प्वाइंट पर डी ए को मिलाने के बाद मूल पेंशन पर तदर्थ बढ़ोत्तरी 1-7-1988 से समय-समय पर निर्धारित दरों पर भी दी गई थी। इस संशोधन का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:-

(i) पेंशन कर दर: जब औसत परिलब्धियों रू.1000 से अधिक होती हैं, तब पेंशन के अभिकलन के मौजूदा स्लॉब प्रणाली की सभी मामलों में औसत परिलब्धियों के 50% पर पेंशन की गणना करने की स्कीम से बदला गया था, जो अर्जित पूरी पेंशन और उसके भाग के लिए शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है। सभी मौजूदा पेंशनभोगियों की पेंशन, जिनकी औसत परिलब्धियां सेवा-निवृत्ति के समय पर रू.1000 से अधिक थी, और जिनकी पेंशन की स्लॉब स्कीम के तहत गणना की गई थी, उनकी पेंशन के बारे में प्रासंगिक रिकार्डों के संबंध में उपर्युक्त के आधार पर पुन:गणना किए जाने का आदेश दिया गया था तथा ऐसे पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन को महालेखाकार (ए एंड आई) के द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा। इस प्रयोजन के लिए पेंशनभोगियों को निर्धारित प्रपत्र में पेंशन का संशोधन करने के लिए एक आवेदन पत्र संबंधित ट्रेजरी अधिकारी/पेंशन संवितरण प्राधिकारी के माध्यम से महालेखाकार के पास भेजना था। यह संशोधन केवल उन्हीं के लिए लागू था, जो के एस आर और समान नियमों के द्वारा शासित थे जहां पर पेंशन की गणना स्लॉब फार्मूला के तहत की गई थी।

(ii) संशोधित मूल पेंशन-: जो 1-7-1988 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे, उनके मामले में 1-7-1988 से सभी श्रेणियों के लिए समेकित मूल पेंशन में निम्नलिखित शामिल थे:-

(क) मौजूदा पेंशन

(ख) ए आई सी पी आई के प्वांइट पर मौजूदा पेंशन पर डी ए

(ग) तदर्थ बढोत्तरी (जैसा पैरा 8.25.1 में बताया है)

(घ) पेंशन की गणना करने के लिए 50% फार्मूला लागू करने के कारण अंतर।

50% का फार्मूला लागू करने से पेंशन में संशोधन की वजह से तथा ए आई सी पी आई के 608 प्वांइट पर डी ए को मिलाने से पेंशन को समेकित करने के कारण भी हुई वृद्धि तथा मूल पेंशन पर तदर्थ बढ़ोत्तरी सारांशीकृत करने योग्य नहीं थी ।

(iii) पेंशन की अधिकतम सीमा: पेंशन की रू.1750 की अधिकतम सीमा को 1-7-1988 से बढ़ाकर रू.2500 कर दिया गया था।

(iv) न्यूनतम पेंशन और परिवार पेंशन: 1-7-1988 को न्यूनतम मूल पेंशन (ए आई सी पी आई के 608 प्वांइट पर डी ए के मिलाने के बाद और तदर्थ बढ़ोत्तरी करने के बाद) रू.285 बढ़ायी गई थी और 1-7-1988 को न्यूनतम परिवार पेंशन (सामान्य दर) (ए आई सी पी आई के 608 प्वांइट पर डी ए को मिलाने के बाद) रू.245 निर्धारित की गई थी। जहां पर वास्तविक पेंशन रू.285 से कम बनी हो, ऐसे मामलों में पेंशन को बढ़ाकर रू.285 किया जाना था तथा उस पर सारांशीकरण की अनुमति दी गई थी, जिन मामलों में वास्तविक परिवार पेंशन रू.245 से कम बनी थी, ऐसे मामलों में इसे रू.245 तक बढ़ाया गया था। इस प्रकार निकाली गई मूल पेंशन और मूल परिवार पेंशन के अलावा पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी ए आई सी पी आई के 608 प्वांइट के औसत सूचकांक के बाद डी ए प्राप्त करने के पात्र थे। यदि किसी मामले में समेकित मूल पेंशन अथवा मूल परिवार पेंशन (निकाली गई) उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम बैठती है, तो इसे निर्धारित न्यूनतम तक बढ़ाया जाएगा।

(v) महगाई राहत: दिनांक 1-1-1986 को स्वीकार्य महंगाई भत्ते को पेंशन अथवा परिवार पेंशन के साथ मिला दिया गया था। महंगाई भत्ते को महंगाई राहत के रूप में दुबाए नाम दिया गया था और रू.1750 प्रति मास तक पेंशन ले रहे पेंशनभोगियों को मूल्य बढ़ोत्तरी के निष्प्रभावी होने पर शत प्रतिशत रू.1751 और रू.2500 के बीच पेंशन पाने वालों को 75% तक दी गई थी।

8.26- दिनांक 1-4-1994 से पेंशन का संशोधन:- केरल सरकार ने दिनांक 1-6-1994 के सरकारी आदेश सं जी ओ (पी)365/94/वित्त में दिनांक 1-4-1994 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को देय पेंशन और अन्य संबंधित लाभों में संशोधन करने का आदेश दिया है। इस संशोधन में पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिए अनुसार है:-

(i) सेवा पेंशन की दर और अधिकतम सीमा: न्यूनतम मूल पेंशन को रू.282 से बढ़ाकर रू.375 प्रति मास कर दिया गया था। पेंशन की रू.2500 प्रति मास की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाकर रू.3650 प्रति मास कर दिया गया था। ये परिवर्तन 1-4-1994 से लागू हैं।

(ii) पेंशन पर तदर्थ वृद्धि: जो 1-3-1992 (पूर्वाह्न) से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उनके मामले में 1-6-1994 के सरकारी आदेश में निर्दिष्ट दरों पर दिनांक 1-3-1992 को मूल पेंशन पर तदर्थ बढ़ोत्तरी को जोड़कर पेंशन को 1-4-94 से संशोधित किए जाने का आदेश दिया गया था। यह बढ़ोत्तरी स्वयं ट्रेजरी अधिकारियों/संवितरण अधिकारियों के द्वारा की जाएगी तथा अपने रजिस्टरों में प्रविष्टियों को अद्यतन करने के लिए संशोधित पेंशन का एक विवरण महालेखाकार के पास भेजने का आदेश दिया गया था।

(iii) परिवार पेंशन: न्यूनतम परिवार पेंशन (सामान्य दर) को 1-4-94 से बढ़ाकर कर रू.375 से प्रति मास कर दिया गया था। दिनांक 1-4-94 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हए/मृत्यु होने के मामले में परिवार पेंशन की सामान्य दर इस मैनुअल के पैराग्राफ 6.2.2 में यथा उल्लिखित संशोधित की गई थी।

(iv) पेंशन का सारांशीकरण:- जितनी पेंशन को सारांशीकृत किया जा सकता था वह 1-4-1994 से मूल पेंशन को सारांशीकृत किया जा सकता था वह 1-4-1994 से मूल पेंशन की एक तिहाई तक सीमित कर दी गई थी। जो 1-3-1992 (अपराह्न) से 31-3-1994 (अपराह्न) के दौरान सेवा-निवृत्त हुए थे तथा जिन्होंने संशोधित वेतनमानों का विकल्प दिया है, उनके संबंध में सारांशीकरण की संशोधित सीमा 1-3-1992 से प्रभावी होगी।

(v) महंगाई राहत: महंगाई राहत की प्रतिशतता में हल्का से परिवर्तन हुआ था, जो पेंशनभोगी रू.1750 प्रति मास पेंशन ले रहे थे, उनके लिए महंगाई राहत 100% मूल्यवृद्धि के दुष्प्रभावी होने जो रू.1750 और रू. 3000 के बीच पेंशन ले रहे थे, उन्हें 75% तथा जो रू.3000 से अधिक मास पेंशन ले रहे थे, उन्हें 65% महंगाई राहत देने का आदेश दिया गया था।

8.27- अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारियों: राज्य सेवा के लिए सेवानिवृत्ति लाभ:- अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी उस मास के अंतिम दिन सेवानिवृत्ति होते हैं, जिस महीने में वे 70 वर्ष की आयु पूरी करते हैं। यदि उन्हें पूर्णकालिक सेवा में नियुक्त किया जाता है, तो वे 55 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होते हैं।

8.27.1- पेंशन: जो अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी 1-7-1988 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें पेंशन के लिए पात्र बनाया गया था ।

(प्राधिकार: जी ओ (पी)27/91/पी एंड ए आर डी दिनांक 3-9-91)

8.27.2- जिनकी न्यूनतम अर्हक सेवा 10 वर्ष की है, वे पेंशन के पात्र होंगे। जिन्होंने 30 वर्ष अथवा अधिक अर्हक सेवा पूरी की है, वे पूरी पेंशन के लिए पात्र होंगे। 9 वर्ष से अधिक की अर्हक सेवा को न्यूनतम पेंशन के लिए 10 वर्ष किय जाएगा तथा 29 वर्ष से अधिक की सेवा को 30 वर्ष किया जाएगा और पूरी पेंशन दी जाएगी। अन्य मामलों में, छः महीने और अधिक की सेवाओं को एक वर्ष माना जाएगा तथा पूरे वर्ष की सेवा में जोड़ा जाएगा तथा छः महीने से कम की सेवा को छोड़ दिया जाएगा।

न्यूनतम पेंशन__________________रू.100 प्रति मास

अधिकतम पेंशन__________________रू.250 प्रति मास

8.27.3- पात्र मामलों में यथा अनुपात पेंशन निम्नलिखित फार्मूला लागू करके स्वीकृत की जाएगी:-

$$\frac{1/2 \times \text{अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या}}{30}$$

नियमित पेंशनभोगियों के लिए लागू महत्वपूर्ण भत्ता स्लॉब अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाएगा।

(प्राधिकार: जी ओ (पी)27/91/पी एंड ए आर डी, दिनांक 3-9-1991)

8.27.4- जो अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी 1-7-1988 को अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त हुए थे, उनके संबंध में पेंशन जी ओ(पी)27/91/पी एंड ए आर डी दिनांक 3-9-91 के द्वारा स्वीकृति को निम्नानुसार संशोधित किया गया था:-

	मौजूदा	संशोधित
न्यूनतम पेंशन	रू.100	रू.125
अधिकतम पेंशन	रू.250	रू.275

(प्राधिकार: जी ओ (पी)365/94/वित्त दिनांक 1-6-1994)

8.27.5- मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान:

अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी:

न्यूनतम 5 वर्ष की अर्हक सेवा वाले अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी निम्नलिखित की वजह से अपनी सेवा समाप्त होने पर उपदान के लिए पात्र होंगे:-

1- अधिवर्षिता
2- सेवानिवृत्ति (स्वैच्छिक और अनिवार्य)
3- छंटनी
4- दुर्घटना अथवा बीमारी की वजह से विक्लांगता

देय उपदान की यात्रा (राशि) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की आधे मासिक मूल वेतन के रूप में निर्धारित की जाती है।

अधिकतम उपदान: 12 महीने का मूल वेतन (प्राधिकार: जी ओ (पी) 58/81/281/वित्त, दिनांक 17-1-1981 दिनांक 1-7-1988 से पूर्व यही स्थिति थी।

8.27.6- दिनांक 1-7-1988 से उपदान की राशि सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए आहरित अंतिम आधे मूल वेतन पर नियत होगी, जो 12 महीने के मूल वेतन की मौजूदा अधिकतम सीमा के बजाए मूल वेतन का अधिकतम 16.5 गुना होगी।

(जी ओ (पी) सं.27/91/पी एंड ए आर डी दिनांक 3-9-1991)

8.27.7- अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारियों के लिए चिकित्सा भत्ता:

अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी चिकित्सा भत्ते के पात्र नहीं हैं।

(सरकारी परिपत्र सं.1197/पैन बी 1/वित्त, दिनांक 2-2-93) अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी 1-2-2011 से रू.150 प्रति मास चिकित्सा भत्ते के लिए पात्र हैं।

(जी ओ(पी) सं.405/2011/वित्त दिनांक 26-9-2011)

8.28- पेंशन का संशोधन—केंद्रीय सरकारी कर्मचारी:-

(भारत सरकार फा.सं.38/37/08/पी एंड पी डब्ल्यू (A) दिनांक 2-9-2008 के अनुसार)

8.28.1- 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने से पूर्व सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे लेकिन वे सी सी एस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 49(1) के अनुसार सेवा उपदान के लिए पात्र बने रहेंगे ।

8.28.2- अर्हक सेवा के 33 वर्षों से पूरी पेंशन के अनुबंधन को अलग किया जाएगा। एक बार सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करली हो, तो उसे परिलब्धियों अथवा पिछले 10 महीनों के दौरान

प्राप्त औसत परिलब्धियों के 50% की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा जो भी उसके लिए ज्यादा लाभप्रद हो।

8.28.3- जहां सरकारी कर्मचारी सी सी एस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 49 (2) के अनुसार अर्हक सेवा के 10 वर्ष पूरे करने पर पेंशन का पात्र बन जाता है, उन मामलों में पेंशन का भुगतान परिलब्धियों अथवा औसत परिलब्धियों पर 50% की दर से किया जाएगा, जो भी सरकारी कर्मचारी के लिए अधिक लाभप्रद हो।

8.28.4- उपर्युक्त पैरा 8.28.2 और 8.28.3 में पेंशन की गणना करने के लिए संशोधित प्रावधान इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे और उस तारीख को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी के लिए लागू होंगे। जो सरकारी कर्मचारी 1-1-2006 को अथवा बाद में लेकिन इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, वे उन नियमों/ आदेशों के अनुसार शासित रहेंगे, जो इन आदेशों के प्रभाव में आने से पूर्व तत्काल प्रभावी थे।

8.28.5- पेंशन की राशि न्यूनतम रू.3500 और अधिकतम सरकार के उच्चतम वेतन का 50% होगी (सरकार में उच्चतम वेतन 1-1-2006 से रू.90,000 है)।

8.28.6- पेंशन नियमावली के नियम 49 के उप नियम (2) के खंड (क) से (ग) के उपबंध उपर्युक्त पैरा 8.28.1 से पैरा 8.28.5 में दर्शायी सीमा तक संशोधित माने जाएंगे। नियम 49 में निहित अन्य उपबंध लागू रहेंगे।

8.28.7- पुराने पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध पेंशन की राशि निम्नानुसार बढ़ायी जाएगी:-

पेंशनभोगी की आयु	पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
80 वर्ष और 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष और 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष और 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40%

95 वर्ष और 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष से अधिक	मूल पेंशन का 100%

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे कि अतिरिक्त पेंशन देय होती है, उसी समय पेंशन संवितरण प्राधिकारी के द्वारा इसका भुगतान करने के लिए पेंशन भुगतान आदेश में पेंशनभोगी की जन्म तिथि और आयु अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट की जाती है। अतिरिक्त पेंशन का राशि को पेंशन भुगतान आदेशों में अलग से दर्शाया जाएगा। उदाहरण के लिए जब कोई पेंशनभोगी की 80 वर्श से अधिक आयु है और उसकी पेंशन रू.10,000 प्रति मास है, तो पेंशन को (i) मूल पेंशन- रू.10,000 और (ii) रू.20,000 प्रति मास दर्शाया जाएगा। 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन को (i) मूल पेंशन- रू.10,000 और (ii) अतिरिक्त पेंशन- रू.3,000 प्रति मास के रूप में दर्शाया जाएगा।

8.28.8- मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान:-

सभी किस्म के उपदान की अधिकतम सीमा रू.10 लाख होगी। तदनुसार, पेंशन नियमवली के नियम 50(1) (ख) के अधीन प्रथम परंतुक को इस प्रकार संशोधित माना जाएगा कि इस नियमावली के तहत देय सेवानिवृत्ति उपदान अथवा मृत्यु उपदान की राशि किसी भी हालत में 10 लाख रू. से अधिक नहीं होगी।

8.28.9- अर्हक सेवा में बढ़ोत्तरी:-

उपर्युक्त पैरा 8.28.5 में पेंशन के अभिकलन के लिए संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पेंशन के अभिकलन के लिए अर्हक सेवा के बढ़ाए गए वर्षों के लाभ को इस कार्यालय ज्ञापन के जारी करने की तारीख से वापस लिया गया मान जाएगा। सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 29, 29 क, 30, 48 ख और 48 ग को उस सीमा तक संशोधित किया माना जाएगा।

8.28.10:-

परिवार पेंशन:- सभी मामलों में परिवार पेंशन की मूल वेतन के 30% की समान दर (अर्थात ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड में वेतन) पर गणना की जाएगी और यह न्यूनतम रू.35,000 प्रति माह होगी तथा सरकार में उच्चतम वेतन के अधिकतम 30% होगी। (सरकार में उच्चतम वेतन 1-1-2006 से रू.90,000 है)। पेंशन नियमावली के तहत परिवार पेंशन, 1964 संबंधी नियम 54(2) को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

8.28.11- नियम 54(3) (क) (i) के तहत बढ़ी हुई परिवार पेंशन ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार को, जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान होती है, बिना किसी ऊपरी आयु सीमा के 10 वर्षों की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की तारीख से देय होगी। नियम 54(3) (क) (i) इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा। पेंशनीभोगी की मृत्यु होने पर परिवार के लिए बढ़ी हुई परिवार पेंशन के भुगतान करने की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

पेंशनभोगी की आयु	पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
80 वर्ष और 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष और 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष और 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष और 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष से अधिक	मूल पेंशन का 100%

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे कि अतिरिक्त परिवार पेंशन देय होती है, उसी समय संवितरण प्राधिकारी के द्वारा इसका भुगतान करने के लिए पेंशन भुगतान आदेश में परिवार पेंशनभोगी की जन्मतिथि और आयु को अनिवार्य रूप से फार्म 3 में (परिवार का ब्यौरा संबंधी) देना होता है। अतिरिक्त परिवार पेंशन की राशि को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दर्शाया जाएगा। उदाहरण के लिए जब किसी परिवार पेंशनभोगी की आयु 80 वर्ष से अधिक हो और उसकी परिवार पेंशन रू.10,000 प्रति माह हो, तो पेंशन को (i) मूल परिवार पेंशन रू.10,000 और अतिरिक्त परिवार पेंशन रू.2,000 प्रति मास के

रूप में दर्शाया जाएगा। 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर परिवार पेंशन को (i) मूल परिवार पेंशन रू.10,000 और (ii) अतिरिक्त पेंशन रू.3,000 प्रति मास के रूप में दर्शाया जाएगा।

8.28.13- परिवार पेंशन प्रदान करने के लिए “परिवार” को नीचे दिए अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

श्रेणी– I (क) विधवा अथवा विधुर—मृत्यु अथवा पुनर्विवाह होने की तारीख तक, जो भी पहले हो।

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित)—उसके विवाह/पुनर्विवाह होने की तारीख तक अथवा उसके द्वारा जीविका अर्जित करने की तारीख तक अथवा 25 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो।

श्रेणी- II (क) श्रेणी I के अंतर्गत न आयी अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री को विवाह/पुनर्विवाह करने की तारीख तक अथवा उसके द्वारा जीविका अर्जित करने की तारीख तक अथवा उसकी मृत्यु होने की तारीख तक, जो भी पहले हो।

(ख) माता-पिता जो सरकारी कर्मचारी के जीवित रहते हुए उस पर पूर्णत: आश्रित थे, बशर्ते कि मृतक कर्मचारी ने न तो कोई विधवा और न ही किसी बच्चे को पीछे छोड़ा था।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री के लिए परिवार पेंशन मृत्यु होने की तारीख तक जारी रहेगी।

श्रेणी II में अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों तथा आश्रित माता-पिता के लिए परिवार पेंशन उसके बाद में ही देय होगी जब श्रेणी I के अन्य पात्र सदस्यों की परिवार पेंशन प्राप्त करने पात्रता समाप्त हो गई हो और कोई भी विक्लांग बच्चा परिवार–पेंशन प्राप्त करने के लिए नहीं है। संबंधित श्रेणियों के बच्चों को परिवार-पेंशन उनकी जन्मतिथि के क्रम में देय होगी तथा उनमें से छोटा बच्चा परिवार-पेंशन के लिए अपात्र न हो गया हो।

8.28.14- परिवार पेंशन के लिए निर्भरता संबंधी मानदंड न्यूनतम परिवार पेंशन और उस पर महंगाई राहत होगी।

8.28.15- मृतक सरकारी की बिना बच्चे वाली विधवा को उसके पुनर्विवाह करने के बाद में भी परिवार पेंशन का भुगतान किया जाना जारी रहेंगा, जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि जब सभी अन्य स्त्रोतों से उसकी स्वतंत्र आय केंद्र सरकार में निर्धारित परिवार पेंशन के न्यूनतम के बराबर अथवा अधिक हो जाती है तब परिवार पेंशन बंर कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में परिवार पेंशनभोगी के द्वारा अन्य स्त्रोतों से अपनी आय के संबंध में हर छः महीनों में पेंशन संवितरण प्राधिकारी को घोषणा देनी होगी।

पेंशन का सारांशीकरण:

8.28.16- सरकारी कर्मचारी का अपनी पेंशन के 40% भाग के एकमुशत भुगतान हेतु सारांशीकरण के लिए पात्र बना रहेगा।

8.28.17- सी सी एस (पेंशन का सारांशीकरण) नियमावली, 1981 के साथ संलग्न पेंशन के लिए सारांशीकरण मूल्य की मौजूदा सारणी के स्थान पर नीचे दी गई नई सारणी को माना जाएगा।

रू.120 प्रति वर्ष की पेंशन के लिए सारांशीकरण मूल्य

अगले जन्मदिन पर आयु	क्रय किए गए वर्ष की संख्या के रूप में व्यक्त सारांशीकरण मूल्य	--------Repeat----------
See English for figure		

(बेसिक एल आई सी (94-9) अल्टीमेट टेबल्स एंड 800% ब्याज)

8.28.18- पेंशन के लिए सारांशीकरण मूल्य की संशोधित सारणी का पेंशन के ऐसे सभी सारांशीकरण के लिए प्रयोग किया जाएगा जो इस का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख अर्थात 2 सितंबर, 2008 के बाद अप्रचालित हो गए हैं। उन पेंशनभोगियों के मामले में, जिनमें पेंशन के सारांशीकरण के मामले 1-1-2006 को अथवा बाद में लेकिन इस का. ज्ञा. के जारी होने से पूर्व अप्रचलित हो गए हैं, पेंशन के लिए सारांशीकरण मूल्य की पूर्व संशोधित सारणी का पूर्व संशोधित वेतन/पेंशन के आधार पर पेंशन के सारांशीकरण का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। ऐसे पेंशनभोगियों के पास पेंशन की उस राशि के सारांशीकरण के लिए एक विकल्प होगा जो

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर वेतन/पेंशन के पूर्व व्याप्त संशोधन की वजह से अतिरिक्त रूप से सारांशीकृत करने योग्य बन गई है। पेंशनभोगियों के द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर पेंशन के सारांशीकरण मूल्य की संशोधित सारणी का पेंशन की ऐसी अतिरिक्त राशि के सारांशीकरण के लिए प्रयोग किया जाएगा जो वेतन/पेंशन के पूर्व-व्यापी संशोधन के कारण सारांशीकृत करने योग्य बन गई है। ऐसे सभी मामलों में जिनमें सेवा निवृत्त/पेंशन के सारांशीकरण की तारीख का.ज्ञा. (2-9-08) को जारी करने की तारीख हो अथवा बाद में हो, तो पेंशन के सारांशीकरण मूल्य की संशोधित सारणी का संपूर्ण पेंशन के सारांशीकरण के लिए प्रयोग किया जाएगा।

सतत परिचर भत्ता:

8.28.19- उन पेंशनभोगियों के मामले में, जो शत-प्रतिशत विक्लांगता की वजह से सी सी एस (असाधारण) पेंशन नियमावली, 1939 के तहत विक्लांगता पेंशन पर सेवा-निवृत्त हुए हो, (जहां पर व्यक्ति दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए किसी दूसरे पर पूर्णत: आश्रित होता है), वहां पर रू.3,000 प्रति मास का सतत परिचर भत्ता विक्लांगता पेंशन के अलावा दिया जाएगा जैसा कि रक्षा बलों में दिया जाता है। सी सी एस (असाधारण) पेंशन नियमावली, 1939 को इस सीमा तक संशोधित किया गया समझा जाएगा।

अनुग्रह राशि का एकमुश्त मुआवजा:

8.28.20- पेंशन एवं पी डब्ल्यू विभाग के दिनांक 11-9-1998 के काज्ञा सं 45/55/97- पी एंड पी डब्ल्यू (सी) के अनुसार अनुग्रह राशि का एकमुश्त मुआवजा केंद्र सरकार के ऐसे सिविल कर्मचारियों के परिवारों के लिए उपलब्ध है जिनकी विभिन्न परिस्थितियों में वास्तविक सरकारी कार्यों का निष्पादन करते हुए मुत्यु हुई थी। अनुग्रह राशि के एकमुश्त मुआवजे की राशि में नीचे दिए अनुसार संशोधन किया जाएगा:-

(क) कार्यों के निष्पादन की अवधि के दौरान दुर्घटना होने से हुई मृत्यु--रू10 लाख

(ख) आतंकवादियों, समाज-विरोधी तत्वों आदि की कार्यवाहियों की वजह से ड्यूटी के निष्पादन की अवधि के दौरान हुई मृत्यु---- रू.10 लाख

(ग) मृत्यु होना (क) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अथवा सीमा पर भिडंत दुश्मन की कार्रवाई से और (ख) लड़ाकुओं, आतंकवादियों, उग्रवादियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई करने से हुई मृत्यु-------रू. 15 लाख

(घ) प्राकृतिक आपदाओं, अत्याधिक खराब मौसम की परिस्थितियों की वजह से अत्याधिाक ऊंची ऊचांई पर, दुर्गम सीमा चौकी पर ड्यूटी देते समय हुई मृत्यु-----रू.15 लाख ।

पेंशन और पी डब्ल्यू विभाग का दिनांक 11-9-1998 के का.ज्ञा.सं 45/55/97-पी एंड पी डब्ल्यू (सी) को इस सीमा तक संशोधित किया गया समझा जाएगा।

8.28.21- जिन सरकारी कर्मचारियों ने संशोधित वेतन ढ़ांचे में वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प दिया है और जो संशोधित वेतन ढ़ांचे के आने की तारीख से 10 महीनों के भीतर सेवा-निवृत्त हुए हों, उनके मामले में औसत परिलब्धियों की गणना करने के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व 10 महीनों की अवधि के मूल वेतन की गणना नीचे दिए अनुसार वेतन को ध्यान में रखकर की जाएगी:-

(i) उस अवधि के लिए जिसके दौरान लागू ग्रेड पे सहित निर्धारित पे-बैंड में लिए गए संशोधित वेतन ढ़ांचे में लिया गया वेतन।

(ii) शेष अवधि के लिए जिसके दौरान महंगाई वेतन सहित पूर्व संशोधित वेतनमान—मूल वेतन में लिया गया वेतन तथा प्रासंगिक अवधि के दौरान 1-1-2006 से प्रभावी दरों पर लिए गए मूल वेतन पर वास्तविक डी ए।

उनके लिए विशेष प्रावधान जिन्होंने पूर्व संशोधित वेतनमान धारण कर रखा है:-

8.28.22- जिन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 5 के आधार पर पूर्व-संशोधित वेतनमान में वेतन लेना जारी रखने के लिए विकल्प दिया है और जो 1-1-2006 के बाद सेवा-निवृत्त हुए हैं अथवा हो रहे होंगे, उनको पेंशन और मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति उपदान निम्नानुसार विनियमित होगी:-

(i) “परिलब्धियां” शब्द से आशय एफ आर 9(21)(क)(i) में यथा परिभाषित वेतन से होगा और इसमें औसत ए आई सी पी आई 536 (आधार वर्ष1982=100) तक महंगाई वेतन और डी ए शामिल होगा।

(ii) पेंशन की गणना परिलब्धियों पर अथवा औसत परिलब्धियों के 50% पर की जाएगी, जो भी कर्मचारी के लिए लाभप्रद हो।

(iii) मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपदान महंगाई भत्ता सहित उपर्युक्त (i) पर दी गई परिलब्धियों के आधार पर ग्राहय होगी, जो इन आदेशों के प्रभावी होने से तत्काल पूर्व प्रभावी आदेश के अधीन होगी। पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग के दिनांक 27-10-1997 के कार्यालय ज्ञापन सं.45/86/9/पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (भाग-I) के अनुसार उपदान की अधिकतम राशि रू.3,50,000 से अधिक नहीं होगी।

(iv) पेंशन का सारांशीकरण इन आदेशों के प्रभावी होने से तत्काल पूर्व प्रभावी आदेशों के अनुसार ग्राहय होगा।

(v) परिवार पेंशन इन आदेशों के जारी होने से पूर्व लागू आदेशों के अनुसार दी जाएगी तथा इसकी गणना पूर्व-संशोधित वेतनमान में मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इस विभाग के दिनांक 5-4-2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/2/2006/ पी एंड पी डब्ल्यू (जी), में दी गई दर पर औसत ए आई सी पी आई 536 (आधार वर्ष 1982=100) तक महंगाई राहत को जोड़ना होगा। इस प्रकार प्राप्त की गई राशि को औसत ए आई सी पी आई 536 के बाद महंगाई राहत के भुगतान को विनियमित करने के लिए परिवार पेंशन के रूप में माना जाएगा।

8.28.23- छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लागू किए जा रहे संशोधित पैटर्न के तहत इन आदेशों के आधार पर पेंशन/परिवार पेंशन को ए आई सी पी आई 536 के बाद महंगाई राहत के लिए माना जाएगा।

8.29- पेंशन के संशोधन के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:-

8.29.1- जिन मामलों में देय पेंशन की राशि में किसी कारणवश संशोधन किया जाता है उनमें बकाया सहित, यदि कोई हो, संशोधित दरों पर भुगतानों की व्यवस्था बैंक के द्वारा निम्नलिखित तरीके से की जाएगी।

8.29.2- पेंशन की संशोधित दरें और उस पर देय राहत तथा वह तारीख जिससे संशोधित दरें प्रभावी हैं, इन सभी बातों को निर्दिष्ट करते हुए संबंधित महालेखाकार और ट्रेजरी अधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी से एक संशोधन पत्र प्राप्त होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित बैंक की लिंक शाखा पेंशनभोगी को सूचित करते हुए संशोधन पत्र की अपेक्षित जांच के अध्यधीन तथा लिंक शाखा द्वारा बनाए पेंशन भुगतानों के सूची रजिस्टर में आवश्यक संशोधन करने के बाद में संबंधित भुगताना शाखा तत्काल उस पत्र को भेजेगी। भुगतान शाखा संशोधन पत्र प्राप्त होने पर शाखा प्रबंधक अथवा प्रभारी के द्वारा अनुप्रमाणित पेंशन भुगतान आदेशों के दोनों आधे भागों पर प्राधिकार का हवाला देते हुए उनमें अपेक्षित संशोधन करेगी। पेंशन भुगतान आदेश के पेंशनभोगी वाले भाग को इन संशोधनों को करने के लिए भुगतान शाखा द्वारा पेंशनभोगियों से किया जाएगा। उसी समय, पेंशन भुगतान आदेश के दोनों आधे भागों में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं, इस आशय की एक टिप्पणी संशोधन पत्र पर भी की जाएगी।

8.29.3- भुगतान करने से पूर्व भुगतान शाखा निर्धारित प्रपत्र में पेंशन और उस पर देय राहत का "बकाया और लिया गया" संबंधी विवरण तैयार करेगी। संशोधित पेंशन भुगतान के आधार पर यथा संशोधित पेंशन और महंगाई राहत का बकाया सहित, यदि कोई हो, उस तारीख से भुगतान करने के लिए जिस तारीख से संशोधन प्रभावी होता है, भुगतान शाखा से द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी।

8.29.4- पेंशन संबंधी लाभों का संशोधन होने की वजह से देय डी सी आर जी की अतिरिक्त राशि का यदि कोई हो, (यदि विभाग के वेतन और लेखा अधिकारी के द्वारा उसका भुगतान न किया गया हो), संशोधन पत्र के

माध्यम से भुगतान शाखा द्वारा भुगतान हेतु इस प्रकार से प्राधिकृत भी किया जा सकता है। अधिक भुगतान की गई राहत की राशि को, यदि कोई हो, डी सी आर जी की अतिरिक्त राशि से संभव सीमा तक समायोजित करना चाहिए तथा अधिक भुगतानों की शेष राशि को, यदि कोई हो, संशोधित पेंशन पर देय राहत की कम की गई राशि के भावी भुगतानों से वसूली की जाएगी। तथापि, अधिक भुगतान की गई सभी राशियों को अतिरिक्त डी सी आर जी से समायोजित करने के बाद डी सी आर जी की कोई शेष राशि पेंशनभोगी की ओर क्रेडिट रहती है, तो इसका पेंशनभोगी के लिए भुगतान करना होगा तथा इस भुगतान का एक नोट पेंशन भुगतान रजिस्टर के उपयुक्त कॉलम में रखा जाएगा। एक अलग लेखा शीर्ष में नामे डालने योग्य ग्रेच्युटी भुगतानों को एक अलग बैंक नामावली में शामिल किया जाना अपेक्षित होता है। पेंशन भुगतान नामावली के अभ्युक्ति कॉलम में, ग्रेच्युटी के जिस भाग का समायोजित किया गया है, उस भाग को राहत के रूप में अधिक भुगतान की राशि को दर्शाना चाहिए। ग्रेच्युटी भुगतान की नामावली के कॉलम 4 में देय ग्रेच्युटी की कुल राशि, कॉलम 5 में अधिक भुगतान की गई राहत की वसूली गई राशि तथा कॉलम 7 में भुगतान की गई ग्रेच्युटी की निवल राशि को दर्ज किया जाएगा। दोनों नामावलियों कि प्रविष्टियों को जांच की सुविधा के लिए भी परस्पर देखा जाए निर्धारित राहत के अधिक भुगतान होने की वजह से की गई वसूलियों का लेखा पेंशन भुगतान रजिस्टर के कॉलम में बनाया जाएगा।

अध्याय-IX

विविध

9.1- केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी से संबंधित मामले:

9.1.1- दो पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन का संशोधन:-

(i) जो पेंशनभोगी, सशस्त्र बल पेंशनभोगी के रूप में सेवा पेंशन प्राप्त करता है और दूसरी पेंशन एक सिविलियन पेंशनभोगी के रूप में प्राप्त करता है, तो ऐसे मामलों में अलग-अलग यथा संकलित दोनों पेंशनों का जोड रू.375 प्रति मास से कम होने की संभावना नहीं होती है और इसलिए किसी भी पेंशन को बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठेगा। यदि किन्ही विषम मामलों में 1-1-1986 से यथा समेकित दोनों पेंशनों का जोड़ रू.375 से कम आता है तो पहले स्वीकृत की गई पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जो 1-1-86 को समेकित राशि ही रहेगी तथा दूसरी स्वीकृत पेंशन की राशि उतनी बढ़ायी जाएगी कि दोनों समेकित पेंशनों का जोड़ रू.375 बन जाए।

(ii) जहां पर कोई पेंशनभोगी सशस्त्र बल नियमावली के तहत विक्लांगता पेंशन प्राप्त करता है और सिविल पेंशन नियमावली के तहत सेवा पेंशन प्राप्त करता है, तो ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा।

(क) सशस्त्र बल नियमावली के तहत विक्लांगता पेंशन एक संयुक्त पेंशन होती है जिसमें सेवा संबंधी तत्व और विक्लांगता का तत्व शामिल होता है। विक्लांगता पेंशनभोगियों के मामले में जो इन दोनों तत्वों को प्राप्त करते हैं, सेवा संबंधी पेंशनों के बारे में कार्रवाई करते समय विक्लांगता तत्व को माना नहीं जाएगा। जहां तक सशस्त्र बल नियमावली के तहत विक्लांगता पेंशन के सेवा तत्व के लिए रू.375 की न्यूनतम सीमा को लागू करने तथा सशस्त्र बलों के अधीन बाद में स्वीकृत दूसरी पेंशन एवं सिविल नियमावली के तहत समेकित पेंशन को लागू करने का जहां तक संबंध है, किसी भी पेंशन को बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सिविल नियमावली के तहत विक्लांगता पेंशन के समेकित सेवा तत्व के जोड़ के रू.375 से कम होने की संभावना नहीं है। तथापित, यदि किसी विषम मामले में वे रू.375 से कम होती हैं, तो उसे उपर्युक्त (i) के अनुसार दोनों सेवा पेंशनों के मामलों की तरह से विनियमित किया जा सकता है।

(ख) जिन मामलों में विक्लांगता पेंशनभोगी केवल विक्लांगता तत्व ही प्राप्त करता हो, तो सिविल नियमों के तहत बाद में स्वीकृत दूसरी पेंशन को, यदक रू.375 तब बढ़ाया जाएगा।

(ग) जिन मामलों में पेंशनभोगी सशस्त्र बल नियमावली के तहत केवल विक्लांगता पेंशन (सेवा तत्व और विक्लांगता तत्व दोनों), ही प्राप्त करता हो, तो ऐसे मामलों में विक्लांगता तत्व को नहीं माना जाएगा और यदि सेवा तत्व रू.375 से कम हो तो, इसे रू.375 तब बढ़ाया जाएगा।

सशस्त्र बल के पेंशनभोगियों के द्वारा सेवा पेंशनों के अलावा अनुग्रह राशि भुगतानों को प्राप्त करने के मामले में अनुग्रह राशि भुगतानों को समेकन के प्रयोजनों के लिए तथा सेवा पेंशन के लिए रू.375 की न्यूनतम सीमा को लागू करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा क्योंकि अनुग्रह राशि भुगतान पेंशन के अलावा प्राप्त होती हैं।

(प्राधिकार: रक्षा मंत्रालय का दिनांक 20-4-1988 का पत्र सं.1(2)/87/सी डी (पेंशन/सेवाएं)

(iii) जहां कोई पेंशनभोगी सिविल नियमावली के तहत सेवा पेंशन और सिविल नियमावली के तहत ही विक्लांगता पेंशन भी प्राप्त करता हो, तो ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:-

सशस्त्र बल नियमावली के तहत विक्लांगता पेंशन की भांति सिविल नियमावली के तहत विक्लांगता पेंशन में केवल विक्लांगता तत्व ही शामिल होता है। ऐसे मामलों में, यदि वह अशक्तता पेंशन भी प्राप्त करता है, जो सेवा पेंशन होती है, और यदि समेकित सेवा पेंशन रू.375 से कम होती है, तो इसे विक्लांगता पेंशन को ध्यान में रखे बिना ही रू.375 तक बढ़ाया जाएगा। जहां तक विक्लांगता पेंशन का संबंध है, रू.375 की न्यूनतम सीमा शत-प्रतिशत विक्लांगता के मामले में लागू होगी और कम मात्रा की विक्लांगतता के लिए न्यूनतम सीमा आनुपातिक रूप से कम होगी।

(iv) जहां कोई पेंशनभोगी सेवा पेंशन और परिवार पेंशन प्राप्त करता हो, तो ऐसे मामलों में दोनों पेंशनों को समेकन के लिए तथा रू.375 की न्यूनतम सीमा को लागू करने के लिए अलग-अलग माना जाएगा।

(v) जहां पर कोई परिवार पेंशनभोगी बच्चा दो परिवार पेंशन प्राप्त करता हो, एक मृतक पिता की और दूसरी मृतक माता की, तो दोनों परिवार पेंशनों को अलग-अलग समेकित किया जाएगा तथा निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन इनका भुगतान किया जाएगा।

(क) जब दोनों परिवार पेंशनें बढ़ी हुई दर पर अथवा एक बढ़ी हुई दर पर और दूसरी साधारण दर पर देय हो, तो दोनों ही समेकित परिवार पेंशनों का जोड़ रू.2500 प्रति मास तक सीमित होगा।

(ख) जहां पर दोनों परिवार पेंशन साधारण दर पर देय हो, तो दोनों समेकित परिवार पेंशन की राशि रू.1250 प्रति मास तक सीमित होगी।

(ग) व्यक्तिगत परिवार पेंशन के लिए रू.375 प्रति मास की न्यूनतम सीमा उसी तरीके से विनियमित होगी जिस प्रकार उपर्युक्त (i) के तहत दो सेवा पेंशनों के मामले में होता हो।

(vi) जहां पर कोई पेंशनभोगी केंद्र सरकार से पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त करता हो तथा राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय से पेंशन भी प्राप्् करता हो, तो ऐसे मामलों में राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय से ली गई पेंशन को समेकन के लिए तथा केंद्र सरकार से ली गई पेंशन/परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम सीमा को लागू करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(vii) जहां पर कोई पेंशनभोगी केंद्रीय पेंशन अथवा परिवार पेंशन प्राप्त करता हो तथा स्वतंत्रता सेनानी स्कीम से भी पेंशन लेता हो, तो ऐसे मामलों में स्वतंत्रता सेनानी स्कीम के तहत पेंशन को समेकन हेतु तथा केंद्रीय पेंशन में न्यूनतम सीमा लागू करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(viii) जहां पर कोई पेंशनभोगी 31-12-1985 को एक ही पेंशन प्राप्त करता था और उक्त पेंशन को 1-1-1986 से रू.375 तक बढ़ाया गया था, तो उक्त पेंशन को 1-1-86 के बाद दूसरी पेंशन मंत्रालय के दिनांक 14-4-87 के का.ज्ञा. सं. पी एंड पी डब्ल्यू (पी आई सी) में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी।

(प्राधिकार: कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन विभाग का दिनांक 8-3-88 का सं. 2/1/98-पी एंड पी डब्ल्यू (पी आई सी)

9.1.2- मुद्रा जिसमें पेंशन और राहत देय हो:

जब पेंशन और राहत भारतीय मुद्रा में स्वीकृत की जाती है तो इसे भारतीय मुद्रा में ही लेना चाहिए, चाहे पेंशनभोगी भारत में रह रहा हो अथवा बाहर रह रहा हो। भारत से बाहर रह रहे पेंशनभोगियों को जिनकी पेंशन विदेशी मुद्रा में स्वीकृत की गई हो, उन्हें पेंशन पर राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा था। तथापि 1-6-1986 से पेंशन पर राहत का लाभ उपर्युक्त श्रेणी के पेंशनभोगियों को भी दिया गया था। ऐसे मामलों में देय राहत की राशि की गणना करने का फार्मूला निम्नानुसार होगा:-

पेंशन की राशि की उस तारीख को लागू सरकारी परिवर्तन दर पर भारतीय रूपए में गणना की जाएगी जिस तारीख को मूल पेंशन की राशि का व्यक्त करना होगा। इसके बाद में, इस प्रकार से निर्धारित की गई राशि के आधार पर राहत का निर्धारण करना होगा जो भारतीय रूपए में भारत में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन और उस पर राहत पर लागू अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा। फिर राहत जिस मास से स्वीकृत की जाती है, उस मास के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा निर्धारित सरकारी लेखा दरों पर विदेशी मुद्रा में स्वीकार्य महंगाई राहत को बदलना चाहिए।

(प्राधिकार: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का का.ज्ञा. दिनांक 25-7-1986)

9.1.3- संघ और राज्य सरकारों के बीच पेंशन का विनियोजन:-

ग्रेच्युटी सहित पेंशन की देयता केंद्र सरकार/राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से वहन की जाएगी, जहां से सरकारी कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के समय पर स्थायी रूप से संबंध रखता है। केंद्र सरकार/राज्य सरकार से आनुपातिक पेंशन की कोई वसूली नहीं की जाएगी जिसके तहत उसने कार्य किया था। जो 1-4-

1987 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए/जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके मामलों में पेंशन का कोई विनियोजन नहीं किया जा सकता है। जो पेंशनभोगी 1-4-1987 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे और उनकी पेंशन उस तारीख से पहले स्वीकृत की गई थी, लेकिन संशोधन 1-4-1987 के बाद नियत हो जाता है, यद्यपि पेंशन की स्वीकृति 1-4-1987 से पूर्व हुई हैं फिर भी ऐसे मामलों में आनुपातिक पेंशन की वसूली करने के बारे में संशोधन के बाद आग्रह करने की जरूरत नहीं है।

(प्राधिकार: वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का दिनांक 09-10-1986 का.ज्ञा. सं. 14(5)/86/टीए/102 तथा उसी विभाग का दिनांक 23-03-1988 का यू ओ सं.14(5)/86/टीए/328।

9.2- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित मामले:

9.2.1- पेंशन की बकाया राशि:-

उन मामलों की अलावा जिनमें पेंशन की बकाया पेंशनभोगी की मृत्यु होने के कारण होती है और यदि उदाहरण के लिए पेंशन को जीवित रहने संबंधी प्रमाण पत्र के न होने के कारण एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी कारणवश पेंशनभोगी के खाते में बैंक के द्वारा जमा नहीं किया गया है और पेंशन के क्रेडिट न करने के कारण के बारे में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर को छ:माही रिपोर्ट के द्वारा लिंक शाखा के माध्यम से ट्रेजरी अधिकारी को सूचित किया जाएगा ताकि ट्रेजरी अधिकारी ऐसे मामलों के बारे में महालेखाकार को सूचित कर सके। उपर्युक्त खाते में बकाया का भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद में ही शाखा द्वारा किया जाएगा। यह स्वीकृति लिंक शाखा से यह सूचना प्राप्त होने पर ट्रेजरी अधिकारी के द्वारा प्राप्त की जाएगी कि छ:माही विवरणी में बकाया के रूप में दर्शाए गए भुगतान संबंधी विवरण के बारे में पेंशनभोगी के द्वारा अथवा उसकी ओर से दावा किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, छ:माही रिपोर्ट जिस पत्र के द्वारा भेजी गई थी, उस पत्र की संख्या और तारीख के बारे में भुगतान करने वाले बैंक के द्वारा सूचित किया जाएगा। तथापि यदि बकाया रू.5000 से अधिक नहीं होता है और इसमें पेंशन का प्रथम भुगतान शामिल नहीं है, और यदि वे (बकाया) पेंशनभोगी के द्वारा निर्धारित

प्रमाणपत्र को देरी से प्रस्तुत करने के कारण हुई हो, तो भुगतान शाखा के द्वारा अपने प्रबंधक अथवा प्रभारी अधिकारी से विशिष्ट आदेश प्राप्त करने के बाद में इसका भुगतान किया जा सकता है जो निजी तौर पर यह जांच करने के बाद भुगतान की स्वीकृति देगा कि देय राशि वास्तव में बकाया है, प्रस्तुत प्रमाण पत्रों पर विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित किए गए हैं तथा अपरिहार्य कारणों की वजह से दावा राशि को आहरित नहीं किया गया है। ऐसे भुगतानों के बारे में भुगतान नामावली में मुख्य रूप से उल्लेख भी किया जाएगा जिसमें अद्यतन प्रासंगिक छ:माही रिटर्न में ब्यौरा का उल्लेख किया जाएगा जिसके माध्यम से भुगतान न लेने के बारे में सूचना दी गई थी।

यदि ऐसे मामलों में पेंशन को 3 वर्षों की अवधि तक पेंशनभोगी के खाते में क्रेडिट नहीं किया गया है, तो पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग को लिंक शाखा के माध्यम से ट्रेजरी अधिकारी को लौटा भी देना चाहिए और उस पर उस तारीख का उल्लेख करते हुए उपयुक्त पृष्ठांकन देना चाहिए, जिस तारीख तक पेंशनभोगी के खाते में पेंशन क्रेडिट की गई थी। ऐसे मामलों में बकाया राशि का भुगतान ट्रेजरी अधिकारी/बैंक की लिंक शाखा के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से पेंशन भुगतान आदेश को पुन: प्राप्त करने पर भुगतान शाखा द्वारा आरम्भ की गई वर्तमान पेंशन के भुगतान की तरह ही किया जाएगा।

9.2.2- पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर पेंशन की बकाया तथा प्रासंगिक पेंशन भुगतान आदेश के निपटान का तरीका: पेंशन पेंशनभोगी की मृत्यु होने के दिन तक ही ली जाएगी, चाहे मृत्यु का समय कुछ भी हो। पेंशनभोगी के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर भुगतान शाखा मृत्क की बकाया राशि और अधिक भुगतान की राशि निकालेगी, यदि ऐसी राशि निकालेगी, यदि ऐसी राशि का उसे भुगतान किया गया हो। भुगतान शाखा का उसे भुगतान किया गया हो। भुगतान शाखा के द्वारा पेंशन शुरू करने के समय पर पेंशनभोगी से पहले ही प्राप्त किए गए बचत के आधार पर मृतक के खाते से अधिक भुगतान की वसूली करने के लिए यह तत्काल कार्रवाई करेगी। यदि मृतक के द्वारा कोई नामांकन प्रस्तुत नहीं किया था, तो बकाया राशि का भुगतान मृतक पेंशनभोगी के उत्तराधिकारियों को किया जाएगा। यदि मृतक पेंशनभोगी के द्वारा किया गया वैध नामांकन प्रस्तुत नहीं किया था, तो बकाया राशि का भुगतान मृतक पेंशनभोगी के उत्तराधिकारियों को किया गया वैध नामांकन है, तो

नामांकन के अनुसार नामिती को भुगतान किया जाएगा। तथापि, मृतक पेंशनभोगी के उत्तराधिकारियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को बैंक ट्रेजरी के माध्यम से महालेखाकार से अनुदेश प्राप्त करेगा जिसमें पेंशनभोगी की मृत्यु होने की तारीख, मृतक की बकाया राशि और भुगतान हेतु दावेदारों के विवरण और उनके दावे के संबंध में प्राधिकार संबंधी सूचना प्रस्तुत करेगा।

नामिती के बकाया राशि का भुगतान करने हेतु नामिती के द्वारा आशय का आवेदन भुगतान शाखा को देना होगा और उसके साथ पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनभोगी वाला आधा भाग, राशि के लिए एक रसीद (जहां जरूरी हो वहां विधिवत स्टांप लगी हो), बकाया राशि की अवधि घोषित करनी होगी। इस तथ्य को प्रमाणित करने के बाद कि मृतक पेंशनभोगी का भुगतान वास्तव में बकाया हैं तथा नामांकन में दिए अनुसार नामिती के विवरणों को सत्यापित करने के बाद में भुगतान शाखा बैंक पे-आर्डर से भुगतान करेगी और पेंशन भुगतान आदेश के दोनों आधे भागों पर उपयुक्त टिप्पणी देगी। लिंक शाखा के माध्यम से प्रतिपूर्ति का दावा करते समय संबंधित भुगतान सूची के साथ भुगतान शाखा द्वारा नामिती की रसीद संलग्न की जाएगी।

भुगतान शाखा पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग में तथा पेंशनभोगी के भाग में और रजिस्टरों में पेंशनभोगी की मृत्यु होने की तारीख की प्रविष्टि करेगी। यदि परिवार पेंशन को उसी पेंशन समझा जाता है, तो पेंशन भुगतान आदेश के पेंशनभोगी वाले भाग को नामिती तो लौटा दिया जाएगा। अन्यथा इसे ट्रेजरी अधिकारी के पास आगे भेजने हेतु संवितरक वाले भाग के साथ लिंक शाखा को लौटा दिया जाएगा। उत्तरवर्ती अपने रिकार्डों को अद्यतन करेगा तथा पेंशन भुगतान आदेश (दोनों आधे भागों) को ऐसी कार्रवाई करने तथा रिकार्ड हेतु संबंधित महालेखाकार अथवा लेखा अधिकारी के पास भेज देगा, जिसने इसे जारी किया था। इस नियम का प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित उन मामलों में लागू होगा जहां पर भुगतान की जाने वाली परिवार पेंशन, परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु होने, उसका विवाह/पुनर्विवाह होने अथवा नियमों में निर्धारित उसकी अधिकतम आयु होने के कारण बंद की गई थी।

9.2.3- पूर्णत: उपयोग किए अथवा गुम हुए पेंशन भुगतान आदेशों के संबंध में प्रक्रिया:- यदि पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग अथवा पेंशनभोगी वाले भाग में मासिक भुगतान की प्रविष्टि करने के लिए सभी

पृष्ठों का पूर्णत: उपयोग के भुगतानों को नोट करने के लिए इसी आकार के अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ सकती है। जहां पर जारी रखने की शीट जोड़ी जाती हैं, वहां शीट पर पृष्ठों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए पेंशन भुगतान आदेश के संबंधित भाग पर भुगतान शाखा द्वारा उपयुक्त प्रविष्टि की जाएगी।

पेंशन का भुगतान शुरू करने से पूर्व यदि पेंशन भुगतान आदेश के दोनों आधे भागों के बारे में बाढ़ आदि की वजह से मार्गस्थ गुम होने की सूचना मिलती है, तो जिस भुगतान शाखा को मामले की सूचना दी गई है, वह लिंक शाखा ट्रेजरी इत्यादि के माध्यम से संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय को पत्र लिखेगी जिसमें संबंधित पेंशनभोगी के पक्ष में डुप्लीकेट पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए अनुरोध करेगी। तथापि इस संबंध में कार्रवाई शुरू करने से पूर्व भुगतान शाखा पेंशनों के भुगतान रजिस्टर से यह जांच करेगी कि पेंशनभोगी को पहले कोई भुगतान नहीं किया गया है और वेतन और लेखा अधिकारी को इस तथ्य की पुष्टि करेगी। भुगतान शाखा डुप्लीकेट पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त होने पर ऐसे मामले में भुगतान शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित कार्रवाई भी करेगी:-

(क) मूल पेंशन भुगतान ओदश पर कोई भुगतान नहीं किया जाना, इस तथ्य को पेंशन के भुगतान रजिस्टर के अभ्युक्ति कॉलम में मुख्य तौर पर लिखा जाएगा। डुप्लीकेट पेंशन भुगतान आदेश के विवरण भी उसमें नोट किए जाएंगे।

(ख) मूल पेंशन भुगतान पर उन्होंने पहले कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया है, इस आशय का पेंशनभोगी से घोषणा पत्र लेना होगा तथा यदि मूल पेंशन भुगतान आदेश बाद में मिल जाता है तो वह उसे भुगतान शाखा को अभ्यर्पित कर देगा तथा उस पर किसी प्रकार के भुगतान का दावा नहीं करेगा, इस आशय का वचन-पत्र भी पेंशनभोगी से प्राप्त किया जाएगा तथा रिकार्ड में रखा जाएगा।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मूल पेंशन भुगतान आदेश के बारे में गुम होने की सूचना मिलते ही वेतन और लेखा कार्यालय को की गई रिपोर्ट के बाद की अवधि के दौरान इसके आधार पर पेंशनभोगी को कोई भुगतान नहीं किया गया हैं।

जहां पर पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनभोगी वाला भाग गुम हो जाता, कट-फट जाता है, तो ऐसे मामलों में इसके नवीकरण के लिए अनुरोध करना होगा, भुगतान शाखा नवीकरण हेतु लिंक

शाखा के माध्यम से संबंधित ट्रेजरी अधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश के दोनों आधे भागों के साथ पेंशनभोगी के अनुरोध को भेजेगी। पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग के न होने की स्थिति में पेंशन के भुगतान में अनावश्यक रूप से विलम्ब हो, इसके लिए एक महीने का भुगतान करने के तत्काल बाद संबंधित दस्तावेजों को ट्रेजरी अधिकारी को पर्याप्त समय मिल सके और अगले मास का भुगतान देय होने के समय तक दस्तावेजों को लौटाया जा सके। यदि दस्तावेजों को लौटोने में अनुचित विलम्ब होता है तो भुगतान शाखा के द्वारा ट्रेजरी अधिकारी को अनुस्मारक भी दिया जाएगा।

अध्याय- 10

पेंशन की लेखा परीक्षा

पेंशन की लेखापरीक्षा में पेंशन के भुगतानों के बारे में केंद्रीय लेखा परीक्षा में की गई कुछ जांचें तथा लेखापरीक्षा पार्टियों के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निरीक्षण के दौरान पेंशन वाउचरों की स्थानीय लेखापरीक्षा करना शामिल होता है।

10.1- केंद्रीय लेखापरीक्षा में—

सेवा पेंशन परिवार पेंशनों/प्रत्याशित पेंशनों, पेंशन के सारांशीकृत मूल्य ग्रेच्यूटी आदि सहित पेंशन वाउचरों की जांच की प्रणाली को बंद करने तथा केंद्रीय लेखा परीक्षा पार्टियों के द्वारा महालेखाकार (ए एंड ई) के लेखा एवं पात्रता संबंधी कार्यों की नमूना परीक्षण करने के लिए भी मुख्यालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, पेंशन लेखापरीक्षा के निर्णय के परिणामस्वरूप, पेंशन लेखापरीक्षा से संबंधित कार्य की निम्नलिखित मदों को 18-2-1987 से बंद कर दिया गया हैं

(i) केंद्रीय लेखापरीक्षा में सभी प्रकार के पेंशन वाउचरों की लेखापरीक्षा

(ii) पेंशन संबंधी मामलों की जांच करना

(iii) विदेश सेवा अंशदान के मामलों की जांच करना।

(कार्यालय आदेश समन्वय/लेखा परीक्षा-II/11-86-87/1039/40, दिनांक 18—20-2-1987)

पेंशन भुगतान के संबंध में केंद्रीय लेखापरीक्षा में इस समय किया जा रहा कार्य नीचे दर्शाए अनुसार है:-

10.1.1- पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा की गई पेंशन संशोधन संबंधी गणना शीट की जांच करना:-

मुख्यालय ने अपने दिनांक 28-7-1987 के पत्र संख्या 882-ए-सी-II/1987 में यह निदेश दिया था कि केंद्र/राज्य सरकारों के द्वारा जारी किए गए आदेशों पर पेंशन संवितरण प्राधिकारियों के द्वारा किए गए पेंशन संबंधी संशोधन के बारे में महालेखाकार (ए एंड ई) के कार्यालय में प्राप्त हुई गणना शीटों की केंद्रीय लेखापरीक्षा में जांच की जानी चाहिए। जांच $8_{1/3}$ % तक करनी होगी तथा सभी ट्रेजरियों/बैंकों से हर महीने प्राप्त हुई शीटों से यह सुनिश्चित करते हुए चयन किया जाएगा कि जिस ट्रेजरी/बैंक से गणना शीटें प्राप्त हुई है, उनमें से किसी को भी किसी महीने में जांच के बिना छोड़ा नहीं है। ऐसे मामलों में आई ए यू II अनुभाग, महालेखाकार (ए एंड ई) के कार्यालय से संबद्ध केंद्रीय लेखापरीक्षा पार्टियों में से एक को कार्य आबंटित करके इसमें प्राप्त विवरणों की नमूना परीक्षण कराने हेतु व्यवस्था करेगा। नमूना परीक्षण हेतु विवरण का चयन पर्यवेक्षण कर रही पार्टी के सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। पेंशन संवितरण अधिकारी के लिए जारी की गई आपत्तियों की प्रति, यदि कोई हो, आई ए यू II अनुभाग के द्वारा संबंधित पी आर अनुभाग को भी भेजनी होगी।

(प्राधिकार: कार्यालय आदेश सं. समन्वय (लेखा परीक्षा)/11-41/87-88/682 दिनांक 14-9-1987 और समन्वय (लेखा परीक्षा)/11-41/90-91/72, दिनांक 21-2-1990)

मुख्यालय के दिनांक 14-10-1996 के पत्र सं.510/लेखापरीक्षा/ओ एंड एम/ 205-95, दिनांक 14-10-1996 में परिपत्र सं.11 के अनुसार पेंशन और सांराशीकरण के 2% मामलों की लेखा परीक्षा में जांच करनी होगी। मुख्यालय के दिनांक 29-8-1997 परिपत्र सं.9 के अनुसार पेंशन वाउचरों की लेखा परीक्षा ट्रेजरियों के लिए 2 महीनों की करनी होगी, जो नियमित आधार पर केंद्रीय लेखा परीक्षा में की जाती है तथा दिनांक 31-12-2003 के परिपत्र सं.1 के अनुसार 2% पेंशन वाउचरों की जांच लेखा परीक्षा में करनी होगी।

मुख्यालय के दिनांक 3-9-2012 के पत्र सं.549-पीपीजी/2010-2011 में यह बताया गया है कि ए जी (ए एंड ई) के कार्यालय में ए जी (लेखा-परीक्षा) की केंद्रीय लेखापरीक्षा पार्टियों के द्वारा पेंशन वाउचरों की जांच करना अपेक्षित नहीं है। अत: 2% पेंशन वाउचरों की जांच छोड़दी गई है।

10.1.2- विदेशी पेंशनों की लेखापरीक्षा:-

केंद्रीय लेखा का विभागीय करण होने के बाद में शिलॉन (श्रीलंका) और सिंगापुर की पेंशनों को वेतन और लेखा अधिकारी लेखा नियंत्रक का कार्यालय, आर्थित कार्य-विभाग, नई दिल्ली से विशेष सील अनुमोदनों के आधार पर भुगतान हेतु प्राधिकृत किया जाता है। महालेखाकार (ए एंड ई) के द्वारा वेतन और लेखा कार्यालय, आर्थिक-कार्य विभाग को हस्ताक्षरित किया जाएगा। ये वाउचर केंद्रीय लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा के अध्यधीन नहीं होते हैं।

मलेशिया सरकार ने महालेखाकार के माध्यम से मलेशियायी पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव करने एवं फरवरी, 1981 के बाद से भारत में नामांकित कुछ बैंकों के माध्यम से उनकी पेंशन का संवितरण करने की जिम्मेदारी लेने का निर्णय किया है। इन लेनदेनों की भी केंद्रीय लेखापरीक्षा में महालेखाकार के द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जाती है।

(प्राधिकार: महालेखाकार (ए एंड ई) केरल के पेंशन अनुमोदन भाग का अध्याय VII)

जहां तक बर्मा पेंशन का संबंध है, जिसे सहायक निदेशक, सोसालिस्ट रिपब्लिक यूनियन ऑफ बर्मा, प्लानिंग एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, पेंशन डिपार्टमेंट, रंगून, से विशेष सील अनुमोदन के आधार पर प्राधिकृत किया जाता है। वहा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बर्मा के महालेखापरीक्षक के साथ यह करार किया है कि इन भुगतानों की केंद्रीय लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा की जानी होगी तथा बाद में इस आशय का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। तदनुसार बर्मा सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित पेंशन भुगतान वाउचरों की प्रधान महालेखाकार (जी एंड एस एस ए) की केंद्रीय लेखापरीक्षा पार्टी के द्वारा लेखापरीक्षा उसी तरह से करनी होगी जिस तरह से महालेखाकार (ए एंड ई) के कार्यालय में पेंशन वाउचरों की केंद्रीय लेखापरीक्षा को समाप्त

करने से पूर्व की गई थी । निर्धारित जांच की मात्रा $8_{1/3}$ % है। आई ए यू II अनुभाग इसे संबद्ध केंद्रीय लेखापरीक्षा पार्टियों में से एक के माध्यम से बर्मा पेंशन की लेखापरीक्षा करने की व्यवस्था करेगा। लेखा परीक्षा पूरी होने के बाद में महालेखाकार (ए एंड ई) के कार्यालय के ए सी-I अनुभाग को निम्नलिखित फार्म में एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

"______ लेखों में हुए डेबिट के संबंध में वाउचरों की नियमों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है"।

(प्राधिकार: सी ए जी का परिपत्र सं.723-ए सी II/121-86, दिनांक 24-6-1987 और कार्यालय आदेश सं. समन्वय/लेखापरीक्षा/II/11-147/87-88/377/46, दिनांक 5/12/8/1987) ।

10.2- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थानीय लेखापरीक्षा:-

10.2.1- केंद्रीय (सिविल) पेंशनों का भुगतान करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नामित लिंक शाखा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नामित लिंक शाखा में अनुरक्षित खातों, रिकार्डों तथा रजिस्टरों की लेखा-परीक्षा करने का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उसकी ओर से उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने के लिए होता है।

(प्राधिकार: सी ए जी का पत्र सं.2795-टी-ए-II/186-76, दिनांक 24-12-1976)

सभी श्रेणियों के पेंशनभोगियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतानों से संबंधित रिकार्डों की लेखापरीक्षा करने के एकल प्राधिकार के उद्देश्य से बाद में यह निर्णय लिया गया था कि रक्षा और रेलवे पेंशनों से संबंधित रिकार्डों की लेखापरीक्षा सिविल महालेखाकार के द्वारा भी की जानी होगी।

(प्राधिकार: सी ए जी का पत्र सं.2604/टी ए II/242-76 दिनांक 4-11-1978)

केंद्र सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का भुगतान करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुरक्षित खातों तथा रिकार्डों की लेखापरीक्षा का कार्य 1980 के बाद से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए लेखापरीक्षा करने के लिए था।

(प्राधिकार: भारत सरकार, गृह मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.8/30/87/एफ एफ (पी), दिनांक 13-5-1980) ।

दूरसंचार के पेंशनभोगियों के लिए भुगतान की गई पेंशनों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रिकार्डों की लेखापरीक्षा सितम्बर 1980 से सिविल महालेखाकार के द्वारा किए जाने के बारे में भी निर्णय लिया गया था।

(प्राधिकार: सी ए जी का पत्र सं.822-ए सी II/47/90, सामान्य परिपत्र सं.21/ए सी II/1990, दिनांक 18-1990)

केरल राज्य के जिन पेंशनभोगियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से अपनी पेंशन लेने का विक्लप दिया है, उनके संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा अनुरक्षित खातों तथा रिकार्डों की 1-12-1984 से लागू सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से राज्य पेंशनों का भुगतान करने की स्कीम के अनुसार महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) के द्वारा लेखा परीक्षा भी की जानी होगी।

10.2.2- पेंशन अनुमोदनों का जारी करने वाले प्राधिकारी जैसे महालेखाकार (ए एंड ई), राज्य विभागों आदि के द्वारा संबंधित बैंकों में भुगतानों का नमूना परीक्षण करने के लिए ट्रेजरी वार मासिक सूचियां तथा पेंशन वार फाइलों का स्वरूप प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

10.2.3- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भुगतान शाखा के रिकार्डों की 3 वर्षों में एक बार जांच की जानी होगी। ट्रेजरियों के निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा की सीमा के संबंध में की जाने वाली जांचे वही होती हैं जो अनुदेशों के गुप्त ज्ञापन के पैराग्राफ 64 के नोट (3) में यथा निर्धारित है। जांच के अतिरिक्त यह भी देखा जाए कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए लिंक शाखा को भेजी गई सूचियां ठीक प्रकार से तैयार की गई है। ट्रेजरियों के माध्यम से पेंशन के भुगतान की लेखापरीक्षा की मौजूदा सीमा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में भी लागू करनी होगी।

(प्राधिकार: सी ए जी का पत्र सं.252/टी एII/34-78, दिनांक 3-3-80)

10.2.4- जब लेखापरीक्षा तीन वर्षों में की जाती हो तब 3 महीनों के वाउचरों की सविस्तार जांच की जानी चाहिए जिसमें पेंशन के विनियोजन का वर्गीकरण शामिल होना चाहिए, जहां कही लागू हो। भुगतान शाखा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान करती है। स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान यह देखना चाहिए कि दर और गणना की गई राशि सरकार के द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की गई दरों और राशि के अनुसार हैं। सारांशीकरण के मामलों का जहां तक संबंध है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम हुई पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश के दोनों आधे भागों पर नोट किया जाता है और अतिरिक्त कोई भुगतान हो जाता है, तो उसकी सारांशीकृत मूल्य से वसूली की जाती है। स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए अधिक भुगतानों अथवा गलती से किए गए भुगतानों की, यदि कोई हो, वसूली को संबंधित मासिक खातों के साथ ट्रेजरी अधिकारियों के द्वारा महालेखाकार के कार्यालय को प्रस्तुत की गई मूल भुगतान सूची के कॉलम 5 में दर्शाए विवरणों के संदर्भ का हवाला देते हुए जब कभी वसूली की जाती है तब आपत्ति पुस्तकों में समायोजित किया जाना चाहिए।

(प्राधिकार: सी ए जी का पत्र सं.1704-टी ए-II/34-80, दिनांक 5-1-1981)

10.3- पेंशनों का भुगतान करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा की गई आम चूक और गलतियां:-

निम्नलिखित कुछ आम कमी और चूक हैं, जो पेंशनों का भुगतान करते समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा की गई हैं:-

(i) जहां जरूरी है, वहां आयकर की कटौती नहीं की गई

(ii) पेंशन भुगतान आदेशों में जो राशि दर्शायी थी, उससे कम राशि का भुगतान किया गया

(iii) जिन मामलों में पेंशन के भाग को महीने के मध्य से सारांशीकृत किया जाता है, वहां पर कम की गई दरों पर पेंशन का पूरे महीने के लिए भुगतान किया जाता है।

(iv) पेंशनभोगी के खाते में क्रेडिट करने में विलम्ब

(v) प्राप्त की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, के रिफण्ड के संबंध में पेंशनभोगी से वचन पत्र लेने में चूक होना

(vi) जीवन प्रमाणपत्र, बेरोजगारी न करने संबंधी प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह न करने/ विवाह न करने संबंधी प्रमाण पत्र आदि प्राप्त न करना, जहां कही आवश्यक हों।

(vii) पेंशन भुगतान रजिस्टर के सभी कॉलमों को भरने में चूक/पेंशन, अस्थायी राहत आदि जैसे विवरणों को दर्शाए बिना कुल राशि को ही रिकार्ड किया है।

(viii) पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले आधे भाग में भुगतान की प्रविष्टियां करने में चूक।

(ix) केंद्रीय (सिविल), रेलवे पेंशन, रक्षा पेंशन, राज्य पेंशन आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों की पेंशन के लिए अलग-अलग पेंशन के लिए अलग-अलग नामावलियां तैयार नहीं की गई हैं।

(x) सारांशीकरण की तारीख, भुगतान की तारीख और पेंशन की बहाली की तारीख आदि को रजिस्टरों में रिकार्ड नहीं किया।

10.4- भारतीय स्टेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और इनकी सहायक कम्पनियों (शाखाओं) के माध्यम से पेंशन भुगतानों की स्थानीय लेखा-परीक्षा करने के लिए दिशा-निर्देश:-

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की शाखाओं (भुगतान और लिंक शाखाओं) के द्वारा अनुरक्षित खातों, रिकार्डों तथा रजिस्टरों की नीचे दर्शाए अनुसार लेखापरीक्षा की जाएगी:-

(i) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंकों के द्वारा संबंधित स्कीमों के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाता है। इस जांच में निम्नलिखित बातें शामिल की जा सकती है:-

(क) जहां आवश्यक हो वहां स्त्रोत पर आयकर की कटौतियां की जाती है तथा आयकर की कटौती का प्रमाणपत्र हर वर्ष अप्रैल मास में जारी किया जाता है।

(ख) पेंशनभोगी की मृत्यु होने की तारीख तक ही भुगतान किया जाता है तथा किए गए किसी भी अधिक भुगतान की वसूली की गई है तथा सरकार को रिफण्ड कर दिया गया है।

(ग) पेंशन को जीवन-काल बकाया की राशि का भुगतान पेंशनभोगी के उत्तराधिकारियों को ही किया जाता है।

(घ) जब पेंशन का भुगतान किया जाना बंद कर दिया जाता है तो पेंशन भुगतान आदेश में तथा बैंक के रिकार्डों में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद लिंक शाखा के माध्यम से ट्रेजरी अधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश शाखा के द्वारा लौटा दिया जाता है।

(ii) उपर्युक्त जांचों के अलावा, निम्नलिखित जांचें भी की जा सकती हैं:-

(क) स्वयं बैंक के द्वारा पेंशन भुगतान आदेश में कोई संशोधन सुधार अथवा परिवर्तन नहीं दिए गए है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किए गए पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशनभोगी के खाते में पेंशन की सही राशि जमा की गई है।

(ग) पेंशन भुगतानों की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की लिंक शाखा द्वारा सरकार से किए गए दावे की राशि पेंशनभोगियों के खातों में जमा की गई कुल राशि से मिलती है।

(घ) सारांशीकरण के बाद कम की गई पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश के दोनों आधे भागों में रिकार्ड किया गया है तथा कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

(प्राधिकार: सी ए जी का पत्र सं. 2795-टी ए II/186-76, दिनांक 24-12-1976 और इस विषयक जारी किए गए उत्तरवर्ती अनुदेश)

10.5- पेंशन का भुगतान करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रिकार्डों तथा रजिस्टरों की लेखा परीक्षा संबंधी निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतियां भेजना:-

विभिन्न श्रेणियों की पेंशन का भुगतान करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रिकार्डों, रजिस्टरों तथा खातों की लेखापरीक्षा से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षित किए गए बैंक, उसके क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि के अलावा नीचे दर्शाए अनुसार संस्थानों एवं प्राधिकारियों को भेजी जाएंगी।

पेंशन की श्रेणी	प्राधिकारी जिसकों भेजी जानी है

केंद्रीय (सिविल) पेंशन	महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली
रक्षा पेंशन	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद
रेलवे पेंशन	संबंधित क्षेत्र का नामित एफ ए और सी ए ओ
दूरसंचार पेंशन	संचार लेखानियंत्रक एवं टेरिटोरियल दूरसंचार महालेखाकर
राज्य सरकार पेंशन	सरकार का सचिव, राज्य सरकार का वित्त विभाग

(प्राधिकार: सी ए जी का पत्र सं.1330-टी ए II/7-80, दिनांक 13-11-81)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से राज्य सिविल पेंशनभोगियों के लिए पेंशन के भुगतान की स्कीम ।

अनुलग्नक I

सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों के माध्यम से पेंशन लेने का आवेदन पत्र (दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

ट्रेजरी/उप ट्रेजरी अधिकारी

_________स्थान

महोदय,

मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन लेने का विकल्प देता हूं और इस संबंध में आपको व्यवस्थाएं करने हेतु आवश्यक विवरण नीचे प्रस्तुत करता हूं:-

1- पेंशनभोगी का विवरण

(क) नाम (ख) पी पी ओ सं. (ग) वर्तमान पता

2- अधिकृत पी एस बी का विवरण

(क) नाम (ख) शाखा जहां से भुगतान चाहिए

(3) पेंशनभोगी का बचत बैंक/चालू खाता संख्या जिससे शाखा में पेंशन जमा करनी होगी।

("संयुक्त" अथवा "स्वयं या उत्तरजीवी" खाता नहीं)

स्थान: भवदीय,

दिनांक : (पेंशनभोगी)

पेंशनभोगी के नमूना हस्ताक्षर

अनुलग्नक I

(उलटिए)

(उप ट्रेजरी के प्रयोग हेतु)

श्री/श्रीमती/कु. के पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग के साथ ट्रेजरी अधिकारी के लिए अग्रेषित। मास तक की अवधि की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है।

उप ट्रेजरी अधिकारी

(ट्रेजरी में प्रयोग हेतु)

प्रबंधक/एजेंट............(पी एस बी की लिंक शाखा) को अग्रेषित। श्री/श्रीमती/कु......... के पी पी ओ सं. के संवितरक वाले आधे भाग (दोनों आधे) भागों को इसके साथ भेजा जाता है/भेजे जाते हैं।

पेंशनभोगी को...................मास तक की अवधि की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। ....मास से देय पेंशन की व्यवस्था बैंक के द्वारा की जाएगी।

स्टेशन ट्रेजरी अधिकारी तारीख (उसकी मुहर सहित) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से राज्य सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान करने की स्कीम।

अनुलग्नक -I क

बैंक (शाखा का नाम) (स्टेशन)

दिनांक पेंशनभोगी पेंशनभोगी के नमूना हस्ताक्षर

सेवा में,

श्री/श्रीमती

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान।

महोदय/महोदया,

पी पी ओ के पेंशनभोगी वाले आधे भाग सहित आपके पेंशन संबंधी कागजात इस शाखा में प्राप्त हो गए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पहचान हेतु इस शाखा में तुरंत संपर्क करें तथा ……..से………बजे के बीच किसी भी कार्य-दिवस में निम्नलिखित दस्तावेजों को लेकर आए:-

(i) ट्रेजरी अधिकारी को आपके पी पी ओ को अग्रेषित करते हुए महालेखाकार के द्वारा जारी किए गए पत्र की व्यक्तिगत प्रति (मौजूदा पेंशनभोगियों के मामले में पत्र की व्यक्तिगत प्रति के लिए आग्रह न करें)।

(ii) फार्म-अनुलग्नक (vए/iv बी संलग्न) में रोजगारी न होने का वचन-पत्र।

(iii) मृतक सरकारी कर्मचारी के मामले में विधवा/विधुर का पुनर्विवाह न करने अथवा पुत्रियों के द्वारा विवाह न करने का प्रमाण पत्र जिन पुत्रियों की आयु (21 वर्ष) न हुई हो (फार्म अनुलग्नक V संलग्न)

(iv) अधिक राशियों, (यदि कोई हो) अधिक भुगतान (अनुलग्नक X) को रिफण्ड करने का वचन।

(v) ……

(vi) ……

(vii) ……

2- पी पी ओ के साथ आपका फोटो प्राप्त नहीं हुआ हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपना और अपनी पत्नी/पति का पासपोर्ट साइज का संयुक्त फोटोग्राफ लेकर आए।

3- आपसे अनुरोध है कि इस शाखा में अपने नाम से ("संयुक्त" अथवा "स्वयं या उत्तरजीवी खाता नहीं) बचत/चालू खाता भी खोलना होगा यदि यह पहले से नहीं खोला गया हो। इस प्रयोजन के लिए, नया खाता खोलने संबंधी अपेक्षित फार्म भी संलग्न हैं ।

भवदीय,

(प्रबंधक/शाखा प्रभारी)

अनुलग्नक-II (क)

राज्य सिविल पेंशनभोगियों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के माध्यम से प्राधिकृत पेंशन भुगतान का सूची रजिस्टर

पेंशनभोगी का नाम	पीपीओ सं.	मूल पेंशन	न्यूनतम पेंशन वृद्धि	कुल	डीए	कुल जोड़	शाखा का नाम जहां पर भुगतान किया जाएगा	तारीख जिससे पेंशन भुगतान शुरू होगा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट: प्रत्येक प्रविष्टि को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की लिंक शाखा के नामित अधिकारी के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए। (अतिरिक्त प्रविष्टियों की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के तहत की जा सकती है) ।

अनुलग्नक-II (ख)

अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के माध्यम से प्राधिकृत पेंशन भुगतानों का सूची रजिस्टर

पेंशनभोगी का नाम	पीपीओ सं.	पेंशन की मासिक राशि (मूल पेंशन और राहत राशि को अलग दर्शाना होगा	शाखा का नाम जहां भुगतान किया जाएगा	तारीख जिससे पेंशन का भुगतान शुरू होगा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

नोट: प्रत्येक प्रविष्टि को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की लिंक शाखा के नामित अधिकारी के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए। (अतिरिक्त प्रविष्टियों की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के तहत की जा सकती है)।

अनुलग्नक III (क)

पेंशन के भुगतान का रजिस्टर (राज्य सिविल पेंशनभोगियों के संबंध में)

पेंशनभोगी	पीपी	वह अवधि	मूल	बढ़ी हुई	कुल	डीए	कुल	किए गए	कटौती	भुगतान	पीपीओ में दर्शाए अनुसार पेंशन का विनियोजन	अभ्यु

का नाम	ओ सं.	जिसके लिए पेंशन का भुगतान किया जाता है	पेंशन	न्यूनतम पेंशन			जोड़	अधिक भुगतान की वसूली, यदि कोई हो	किया गया आयकर	की गई निवल राशि	1-11-1956 से पूर्व टी सी	1-11-1956 से बाद केरल	1-11-1953 से पूर्व तमिल नाडु	1-11-1953 के बाद लेकिन 1-11-1956 से पूर्व तमिलनाडु	क्ति

नोट: प्रत्येक प्रविष्टि को उस लिंक शाखा के नामित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए जहां पर भुगतान किया जाता है (अतिरिक्त प्रविष्टियों की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के तहत की जा सकती है)।

अनुलग्नक –III (ख)

पेंशन का भुगतान रजिस्टर (अखिल भारतीय सेवा के पेंशनभोगियों के संबंध में)

पेंशन भोगी का नाम	पी पी ओ सं.	अवधि जिसके लिए पेंशन का भुगतान	पेंशन की राशि (मूल पेंशन और राहत को अलग-अलग	किए गए अधिक भुगतान की वसूली यदि कोई हो	कटौती किया गया आयकर	भुगतान की गई निवल राशि	पीपीओ में दर्शाए अनुसार पेंशन का विनियोजन				अभ्युक्ति
							1-11-1956 से पूर्व टी सी	1-11-1956 से बाद केरल	1-11-1953 से पूर्व तमिलनाडु	1-11-1953 के बाद लेकिन 1-11-1956	

		किया गया है	दर्शाया जाएगा)							से पूर्व तमिलनाडु	

नोट: प्रत्येक प्रविष्टि को उस लिंक शाखा के नामित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए जहां पर भुगतान किया गया है (अतिरिक्त प्रविष्टियों की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के तहत की जा सकती है) । जी ओ (पी)356/85/वित्त, दिनांक 2-7-1985 के द्वारा शामिल।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से राज्य सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की स्कीम:

अनुलग्नक – IV

जीवन प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशनर के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान पी पी ओ सं…………. का धारक पेंशनभोगी श्री/श्रीमती………………(पेंशनभोगी का नाम)………..के दिन को जीवित है तथा उसने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं/अंगूठा निशानी दी है।

स्थान: (मुहर) हस्ताक्षर

तारीख: प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम

अनुलग्नक- IV(क)

(पैराग्राफ 11(2) देखें)

सेवा पेंशनों के संबंध में रोजगार न होने/पुन: रोजगार न लेने की घोषणा

मैं श्री/श्रीमती……………पीपीओ सं………का/की धारक एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकाय में पुन: नियोजित नहीं हूं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं केंद्र/राज्य सरकार के निगम/उपक्रम अथवा किसी आमेलित नहीं हूं। उपर्युक्त किसी संस्थान में नियोजन/पुनर्नियोजन अथवा आमेलन की स्थिति मं मैं बैंक को तत्काल सूचित कर दूंगा तथा ऐसे नियोजन/पुन: नियोजन आमेलन की तारीख से मुझे पेंशन पर कोई डी ए देय नहीं होगा।

तारीख:- पेंशनभोगी के हस्ताक्षर, पेंशनभोगी का नाम, पता

अनुलग्नक –IV (ख) (पैराग्राफ 11(2) देखें)

परिवार पेंशनभोगियों के बारे में गैर-नियोजन की घोषणा:

मैं श्री/श्रीमती…………परिवार पेंशन भुगतान आदेश सं. का/की धारक एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं केंद्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/स्थानीय निकायों/स्वायत्त निकायों आदि

के अधीन पुन: नियोजित नहीं हूं और पूर्वोक्त संस्थानों में से किसी में मुझे रोजगार प्राप्त होने की स्थिति में मैं बैंक को इस तथ्य से अवगत कर दूंगा/दूंगी तथा ऐसे नियोजन की तारीख से मुझे पेंशन पर कोई डी ए देय नहीं होगा।

तारीख:- पेंशनभोगी के हस्ताक्षर, पेंशनभोगी का नाम, पता

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से राज्य सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करने की स्कीम:

अनुलग्नक-V

पुनर्विवाह न करने/विवाह न करने का प्रमाणपत्र

(क) मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं विवाहित नहीं हूं/मैंने पिछले एक वर्ष के दौरान विवाह नहीं किया है।

(ख) मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसी स्थिति होने के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करने का वचन देता/देती हूं।

स्थान: हस्ताक्षर...........................

तारीख: पेंशनभोगी का नाम, पीपीओ सं.............

मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त घोषणा सही है।

स्थान: जिम्मेदार अधिकारी अथवा सुप्रसिद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर तारीख: नाम

नोट: यह परिवार पेंशन की प्राप्तकर्ता विधवा के लिए ही लागू है तथा यह केवल एक बार ही देना होगा।

अनुलग्नक—IV (क)

राज्य सिविल पेंशनभोगियों के लिए केरल सरकार द्वारा स्वीकृत डी ए/ पेंशन संबंधी लाभों की पात्रता का विवरण

आदेश सं. जी ओ (पी)………………..दिनांक…………….

क्र.सं.	पेंशनभोगी का नाम	पीपी ओ सं.	सेवानिवृत्ति की तारीख	पेंशन की राशि						अभ्युक्ति
				मूल पेंशन	एम पी।	कुल	डी ए	जीटी	…..से अतिरिक्त डीए	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

स्टेशन भुगतान शाखा के प्रबंधक अथवा प्रभारी तारीख के हस्ताक्षर और उसकी मुहर

तीन प्रतियों में ट्रेजरी अधिकारी…………….को अग्रेषित लिंक/शाखा स्टेशन: अधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर और उसकी मुहर तारीख:- लौटाया जाता है। कॉलम 8,9 और 10 में दर्शायी गई राशि सत्यापित कर ली गई है और ठीक पायी गई हैं/अभ्युक्ति कॉलम में निर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन सत्यापित की गई है और ठीक पायी गई है (जिन्हें ट्रेजरी अधिकारी के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा)।

सेवा में, ट्रेजरी अधिकारी

प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी

अनुसूची - I

पेंशन की गणना करने की सारणी—अधिकतम से 20 वर्षों तक अर्हक सेवा

कृपया मूल से देखें

अनुसूची – II

परिवार पेंशन की गणना करने की सारणी

कृपया मूल से देखें

अनुसूची – III

1- 1972 से प्रभावी वेतनमान

कृपया मूल से देखें

अनुसूची – III (जारी)

1- 1972 से प्रभावी वेतनमान और 1978 में संशोधित संगत वेतनमान

कृपया मूल से देखें

अनुसूची – III (जारी)

2- 1978 से प्रभावी वेतनमान और 1983 में संशोधित संगत वेतनमान

कृपया मूल से देखें

अनुसूची – III (जारी)

3- 1972 से प्रभावी वेतनमान और 1988 में संशोधित संगत वेतनमान

कृपया मूल से देखें

अनुसूची – III (जारी)

4- 1988 से प्रभावी वेतनमान और 1992 से संशोधित संगत वेतनमान

कृपया मूल से देखें

अनुसूची – III (जारी)

5- 1992 से प्रभावी वेतनमान और 1997 से संशोधित संगत वेतनमान

कृपया मूल से देखें

अनुसूची – III (जारी)

6- 1997 से प्रभावी वेतनमान और 2006 से संशोधित संगत वेतनमान

कृपया मूल से देखें

अनुसूची – III (जारी)

7- 2004 से प्रभावी वेतनमान और 2009 से संशोधित संगत वेतनमान

कृपया मूल से देखें

केरल सरकार

सार

नौंवे वेतन संशोधन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1-7-2009 से वेतनमानों के संशोधनों के परिणामस्वरूप पेंशन—पेंशन का संशोधन तथा अन्य संबंधित हित लाभ—आदेश जारी।

वित्त (पेंशन ख) विभाग

जी ओ (पी) सं.87/2011/वित्त, दिनांक तिरूवनंतपुरम 28 फरवरी, 2011

पढ़े:- जी ओ (पी) सं.85/2011/वित्त, दिनांक 26-2-2011

आदेश

ऊपर पढ़े गए सरकारी आदेश में सरकार ने 1-7-2009 से मौजूदा वेतनमानों में संशोधनों करते हुए आदेश जारी किए हैं। मामले की विस्तारपूर्वक जांच कर लेने और महालेखाकार से परामर्श करने के बाद सरकार निम्नलिखित आदेश करती है।

1- मूल सिद्धांत:-

1.1- न्यूनतम मूल पेंशन/परिवार पेंशन बढ़ाकर 4500 रू. प्रति मास कर दी जाएगी। अधिकतम पेंशन 29,920 रू. (अर्थात राज्य सरकार में उच्चतम वेतनमान 59840 रू. का अधिकतम 50%) होगी) अधिकतम परिवार पेंशन (सामान्य दर) 17,960 रू. अर्थात 59,480 रू का 30%-- राज्य सरकार में उच्चतम वेतनमान का अधिकतम होगी।

2. जो 1-7-09 को अथवा बाद में सेवा-निवृत्त हुए। सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनके मामले में पेंशन/परिवार पेंशन का संशोधन:-

2.1- जो 1-7-2009 को अथवा बाद में सेवा निवृत्त हुए/ सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके मामले में पेंशन संबंधी लाभों की मौजूदा सामान्य फार्मूले/नियमों को लागू करते हुए 1-7-2009 से लागू किए गए संशोधित वेतन के आधार पर गणना की जाएगी। वे (क) नीचे दिए

पैराग्राफ 5 के अनुसार मूल वेतन के 40% की दर से पेंशन के सारांशीकरण (उनके लिए जो 1-7-2009 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हो रहे हैं), (ख) नीचे दिए पैराग्राफ 6 के अनुसार मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति ग्रेच्युटी (डी सी आर जी) की बढ़ी हुई अधिकतम राशि रू.7,00,000 (उनके लिए, जो 1-7-2009 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई हो) (ग) नीचे दिए पैराग्राफ 8 के अनुसार 1-2-2011 से बढ़े हुए चिकित्सा भत्ते के लिए तथा (घ) संशोधित वेतन के आधार पर सेवांत छुट्टी के अभ्यर्पण के लिए पात्र होंगे।

2.2- अर्जित पूरी पेंशन अथवा उसके भाग की (अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर) शर्त को पूरा करने पर 10 महीनों की औसत परिलब्धियों के 50% पर पेंशन के सारांशीकरण की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी। परिवार पेंशन की सामान्य दर अंतिम वेतन के 30% के रूप में जारी रहेगी।

2.3- जो कर्मचारी 1-7-2009 को अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए थे अथवा जो 10 महीनों की उक्त अवधि के भाग के दौरान पूर्व संशोधित वेतनमान में वेतन लेते थे, ऐसे कर्मचारियों के मामले में पेंशन हेतु औसत परिलब्धियों की गणना करने हेतु पूर्व संशोधित वेतनमान में उनके वेतन का 64% डी ए जोड़कर काल्पनिक रूप से बढ़ाया जा सकता है।

2.4- जो कर्मचारी पूर्व-संशोधित वेतनमान रखते है और 1-7-2009 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त होते हैं अथवा सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके मामले में पेंशन डी सी आर जी और परिवार पेंशन की यथा स्थिति इन आदेशों के अनुसार गणना की जाएगी। ऐसे मामलों में पेंशन संबंधी हित लाभों की गणना करने के लिए परिलब्धियों में पूर्व-संशोधित वेतनमान में मूल वेतन और 64% पर डी ए शामिल होता है, इसलिए ऐसे मामलों में डी सी आर जी की गणना मूल वेतन के साथ 64% डी ए को मिलाने के बाद स्वीकार्य संशोधित डी ए के आधार पर की जाएगी।

2.5- दिनांक 1-1-2006 से संशोधित वेतनमानों के आधार पर यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए पेंशन के संशोधन से संबंधित आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। उनकी न्यूनतम/अधिकतम पेंशन, डी सी आर जी, सारांशीकरण और चिकित्सा भत्ता राज्य पेंशन नियमावली के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

2.6- जो अध्यापक यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते थे, वे इस आदेश के अनुसार पेंशन के संशोधन के लिए पात्र है।

2.7- उच्चतर समय मान के बदले में विभिन्न पदों के लिए स्वीकृत विशेष वेतन की गणना पेंशन की गणना करने के लिए की जाएगी।

3. जो 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए/ जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी पेंशन का संशोधन:-

3.1- जो 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे/ जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी पेंशन नीचे निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार संशोधित होगी।

3.2- संशोधित मूल पेंशन: संशोधित मूल पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित का पहले निर्धारण करना होगा:-

(i) मौजूदा मूल पेंशन

(ii) मौजूदा मूल पेंशन के (अर्थात उपर्युक्त (i) के 12% की दर से लाभ। यदि इसमें 2.1 का अंतर आता है तो इसे अगले उच्चतर रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(iii) मौजूदा मूल पेंशन (अर्थात उपर्युक्त (i) के) 64% अगले उच्चतर रूपए तक पूर्णांकित करना।

इस प्रकार प्राप्त की गई राशि को 1-7-2009 से समेकित पेंशन के रूप में माना जाएगा।

3.3- पेंशन का निर्धारण इस प्रावधान के अध्यधीन होगा कि जो पेंशनभोगी 30 वर्ष और अधिक अवधि की अर्हक सेवा रखते हैं, उनके मामले में इस प्रकार प्राप्त समेकित पेंशन उस पद के संगत संशोधित वेतनमान में वेतन के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी, जिस पद से

पेंशनभोगी की अधिकतम अपेक्षित सेवा अवधि अर्थात 30 वर्ष से कम थी, वहां पर पेंशन को आनुपातिक आधार पर कम कर दिया जाएगा।

3.4- जहां पर पेंशनभोगियों की अर्हक सेवा 30 वर्ष और अधिक है, ऐसे मामलों में यदि पैरा 3.2 के अनुसार प्राप्त समेकित पेंशन उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम हो, जिस पद से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, तो पेंशन को संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% तब बढ़ाया जाएगा।

3.5- जहां पर पेंशनभोगियों को अर्हक सेवा 30 वर्षों से कम हो तो ऐसे मामले में अनुसूची 1 में दर्शायी आनुपातिक पेंशन ग्राह्य होती है। आनुपातिक पेंशन से अभिप्राय किसी विशेष अवस्था के लिए स्वीकार्य अधिकतम पेंशन को अर्हक सेवा कारक (क्यू.एस/30) से गुणा करने से होता है। आनुपातिक पेंशन का निर्धारण करने के लिए विस्तृत सारणी अनुसूची I में दी गई है।

3.6- प्राप्त समेकित पेंशन/पैरा 3.4 और 3.5 के अनुसार निर्धारित पेंशन संशोधित पेंशन होगी।

3.7- आनुपातिक पेंशन से अभिप्राय : Repeat(A)above…. दी गई है।

3.8- यदि किसी मामले में इस प्रकार प्राप्त की गई राशि रू.45000 की न्यूनतम पेंशन से कम हो, तो इसे बढ़ाकर संशोधित न्यूनतम पेंशन के स्तर तक किया जाएगा। यदि प्राप्त समेकित पेंशन पैराग्राफ 3.2 और 3.3 के अनुसार निर्धारित पेंशन से अधिक हो, तो वह संशोधित पेंशन होगी।

3.9- यदि सेवा निवृत्ति/सेवा के दौरान मृत्यु होने के समय पर पेंशनभोगी के द्वारा धारित पद उस विभाग में अधिक समय तक न रहे, जिस विभाग से वह सेवानिवृत्त हुआ था, अथवा जिस श्रेणी से पेंशनभोगी संबंधित था, वह श्रेणी उस सेवा-निवृत्ति/सेवा के दौरान मृत्यु होने के बाद अन्य वेतनमान में बदल दी गई हो (जैसे, उदाहरण के लिए यूजीसी/ ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम) अथवा पद का पदनाम इस तरीके से बदला गया हो कि यह अधिक समय तक

सुनिश्चित रखना संभव न हो, जिसके लिए उस पद के संगत वेतनमान को संशोधित किया है जिस पद से पेंशनभोगी/कर्मचारी सेवा- निवृत्त हुआ था। सेवा के दौरान जिसकी मृत्यु हुई थी, तो संशोधित मूल पेंशन इस आदेश कि अनुसूची III में दर्शाए अनुसार उत्तरोत्तर वेतन संशोधनों की तुलना में संगत वेतनमान के आधारी पर निर्धारित की जाएगी।

3.10- पैराग्राफ 3.1 से 3.7 में निहित प्रावधान अनुग्रह पेंशनभोगियों के लिए लागू नहीं होंगे।

3.11- दिनांक 21-5-1992 के जी ओ (पी) सं. 405/92/वित्त के अनुसार पेंशन पर महंगाई राहत आमेलित सेवा को अंतिम तौर पर छोड़ने पर यथा-अनुपात पेंशनभोगियों के लिए दान की गई है। इसलिए, पैराग्राफ 3.2 में यथा अपेक्षित पेंशन का समेकन उनके लिए भी लागू होगा जो रू.4500 की अधिकतम मूल पेंशन के अध्यधीन होगा। तथापि, जिस पद से पेंशनभोगी सेवा-निवृत्त हुआ था, उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पद आधारित पेंशन का संशोधन (जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ 3.3 और 3.4 तथा अनुसूची I में दर्शाया है) उन पर लागू नहीं होता है। जो अनुकंपा भत्ता प्राप्त करते हैं, उनके बारे में पैरा 3.2 में अपेक्षित समेकन लागू होता है। लेकिन वे पैरा 3.5 और 3.6 में अपेक्षित लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

3.12- जो 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे और बाद में दुबारा रोजगार ले लिया था उनके मामले में उनके पुन:नियोजन वेतन को 64% डी ए को मिलाकर तथा 12% की दर से अनुरूप लाभ देकर संशोधित किया जाएगा तथा उनका पुन:नियोजन वेतन, मूल पेंशन काट कर तथा काल्पनिक तौर पर 64% डी आर मिलाकर प्राप्त किया जाएगा।

3.13- पैराग्राफ 3 के तहत निकाली गई संशोधित पेंशन सारांशीकरण योग्य नहीं है।

3.14- शिक्षण स्टाफ के मामले में, जो यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम के वेतनमान में आने से पूर्व सेवा-निवृत्त हो गए थे। सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी, पैराग्राफ 3.2 के

प्रावधान पूर्णत: लागू होंगे। ऐसे मामलों में संगत संशोधित वेतनमान उपर्युक्त पैराग्राफ 3.7 के अनुसार निर्धारित होगा।

4- जो 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे/ जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनकी परिवार पेंशन में संशोधन:-

4.1- जो 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे/ जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनकी परिवार पेंशन को इसमें निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार 1-7-2009 से संशोधित किया जाएगा।

4.2- जो 1-7-2009 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे/ जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनकी संशोधित परिवार-पेंशन निकालने के लिए निम्नलिखित का निर्धारण पहले करना होगा:

(i) मौजूदा मूल परिवार पेंशन

(ii) मौजूदा मूल परिवार पेंशन

उपर्युक्त (i) के 12% की दर से अनुरूप लाभ

(iii) मौजूदा मूल परिवार पेंशन [अर्थात उपर्युक्त (i)] के 64% की दर से डी आर।

4.3- यथा उपर्युक्त संशोधन परिवार पेंशन की सामान्य और उच्चतर दोनों दरो पर लागू होता है।

4.4- अधिकतम परिवार पेंशन की राशि की अधिकतम सीमा राज्य सरकार के उच्चतम वेतन का 30% अर्थात 17,960 (अर्थात 59,840 रू. का 30%) होगी। (इस आदेश की अनुसूची II देखें)।

4.5- सामान्य परिवार पेंशन के मामले में, यदि उपर्युक्त पैरा 4.2 की मद (i) से (iii) तक का जोड़ उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम की संगत परिवार पेंशन से कम हो, जिस पद से पेंशनभोगी सेवा-निवृत्त हुआ था। सेवा के दौरान जिसकी मृत्यु हुई थी, जैसा कि अनुसूची II में दर्शाया गया है, तो इसे उस राशि तक

बढ़ाया जाएगा जो रू.4500 का न्यूनतम होगी। जिस पद से पेंशनभोगी सेवा-निवृत्त हुआ था। सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उस पद के संगत संशोधित वेतनमान का निर्धारण करने के लिए उपर्युक्त पैराग्राफ 3.9 के प्रावधान लागू होंगे।

4.6- जो न्यूनतम दर पर परिवार पेंशन ले रहे हैं तथा उनके अपेक्षित विवरण संशोधित गणना करने के लिए उपलब्ध न हों, तो उनके मामले में इसे संशोधित न्यूनतम परिवार पेंशन अर्थात रू.4500 प्रति मास पर निर्धारित किया जाएगा। जिन मामलों में न्यूनतम परिवार पेंशन दिनांक 11-12-1986 के जी ओ (पी) 146/86/वित्त के अनुसान स्वीकृत की जाती है अथवा विशेष मामले के रूप में दी जाती है तो जिस पद से पेंशनभोगी सेवा-निवृत्त हुआ था (जैसा कि पैरा 4.5 में दर्शाया है), उस पद के संगत संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर परिवार पेंशन का संशोधन लागू नहीं होता है। वे केवल संशोधित न्यूनतम परिवार पेंशन अर्थात रू.4500 के लिए ही पात्र हैं।

पेंशन का सारांशीकरण एवं पेंशन के सारांशीकृत भाग की बहाली:-

पेंशन के सारांशीकरण के लिए मूल पेंशन के 40% की मौजूदा दर जारी रहेगी। संशोधित वेतन पर स्वीकार्य पेंशन के सारांशीकरण की पात्रता 1-7-2009 को अथवा बाद में सेवा-निवृत्त होने के मामले में लागू है। मौजूदा सारांशीकरण कारक और बहाली की अवधि जारी रहेगी।

6- मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा:

6.1- डी सी आर जी की अधिकतम राशि की सीमा 1-7-2009 से रू.3,30,000 से बढ़ाकर रू.7,00,000 कर दी जाएगी।

6.2- यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम के वेतनमानों के अंतर्गत आए जो पेंशनभोगी 1-7-2009 के बाद में सेवा-निवृत्त हुए थे, वे रू.3,30,000 से रू.7,00,000 तक की सीमा की वृद्धि के लिए पात्र हैं।

7- महंगाई राहत: दिनांक 1-7-2009 के बाद से पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के लिए स्वीकार्य महंगाई राहत की दर नीचे दर्शाए अनुसार होगी।

दिनांक	डी आर की दर	कुल
1-7-2009	0	0
1-7-2010	8%	8%
1-7-2010	10%	18%

8- पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा भत्ता:

8.1- पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों रू.300 प्रति मास चिकित्सा भत्ता पाने के पात्र हैं। यह उनके लिए भी लागू होगा, जो यू जी सी/ए आई सी टी ई/चिकित्सा शिक्षा स्कीम के वेतनमानों से सेवा-निवृत्त हुए/सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी, जिनकी मूल पेंशन और परिवार पेंशन को संशोधित किया जा रहा है (पैराग्राफ 25 के द्वारा)। यह भत्ता 1-2-2011 से ही दिया जाएगा।

9- पेंशन की बकाया राशि:

9.1- पेंशन/परिवार पेंशन संशोधित होने के कारण हुई बकाया राशि का संवितरण जून, 2011 के बाद से शुरू हुई 4 बराबर तिमाही किस्तों में नकद रूप में किया जाएगा।

9.2- पेंशन संबंधी लाभों के संशोधित होने के कारण अधिक राशि की यदि कोई हो डी सी आर जी के शेष, पेंशन ककी बकाया महंगाई राहत की बकाया और पेंशन पर भावी महंगाई राहत से वसूल की जाएगी।

10- अनुग्रह पेंशन:

अनुग्रह पेंशन को नीचे दिए अनुसार 1-7-2009 से संशोधित किया गया है:

अर्हक सेवा के पूरे वर्ष	प्रति मास समेकित राशि मौजूदा संशोधित
आंकड़े मूल	से देखें ।

अर्हक दरें ऐसे सभी अनुग्रह पेंशनभोगियों के लिए लागू होंगी जो 1-7-2009 से पूर्व और बाद में सेवा-निवृत्त हुए थे। वे पेंशन पर महंगाई राहत के लिए पात्र नहीं है।

11- अंशकालिक आकस्मिक पेंशनभोगी:-

अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारियों के लिए पहली बार वेतनमान लागू किए गए हैं। इन श्रेणियों के लिए पेंशन को संशोधित करने से संबंधित आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

12- संशोधित पेंशन संबंधी दावों का प्राधिकार:-

12.1- दिनांक 1-7-2009 से स्वीकृत संशोधित वेतनमानों में वेतन का निर्धारण करने के कारण संशोधित पेंशन संबंधी दावों की राशि का संवितरण पेंशन संवितरण प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

12.2- अनन्तिम पेंशन प्राप्तकर्ताओं सहित सभी पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगियों के द्वारा पेंशन में संशोधन के लिए इसके साथ संलग्न फार्म (परिशिष्ट I) तीन-तीन प्रतियों में ट्रेजरी/पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए।

12.3- जो पेंशनभोगी राज्य से बाहर स्थित ट्रेजरियों/बैंकों से पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे पेंशन में संशोधन के लिए अपने-अपने संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकारियों (ट्रेजरी/बैंक) के पास अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

12.4- पेंशन/परिवार पेंशन में संशोधन के बाद पेंशन संवितरण प्राधिकारी तीन-तीन प्रतियों में इस आदेश (परिशिष्ट I) के साथ संलग्न फार्म में एक विवरण तैयार करेंगे तथा उसकी एक प्रति पेंशनभोगी को भेजेंगे और एक प्रति जांच हेतु एवं रजिस्टरों को अद्यतन करने के लिए वित्त (पेंशन) विभाग को भेजेंगे।

13- अनुप्रयोज्यता:

13.1- सामान्यतया ये आदेश उन सभी के लिए लागू होंगे जो राज्य पेंशन स्कीम के अंतर्गत हैं और जो पैरा 2.5 के तहत यू जी सी/ए आई सी टी आई/ चिकित्सा शिक्षा स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

13.2- ये आदेश मंत्रियों के भूतपूर्व निजी स्टाफ और विपक्ष के नेता के लिए लागू नहीं होते हैं।

13.3- विश्वविद्यालयों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त-अनुदान संस्थानों के जहां पर राज्य पेंशन स्कीम लागू है, इन आदेशों का विस्तार करने हेतु अलग से प्राप्त करनी होगी।

13.4- केरल शिक्षा नियमावली का पेंशन कानून अध्याय XIV ख के अध्या III/मद्रास सरकार का आदेश 1611/56 के द्वारा शासित प्राइवेट कॉलेज/सहायता प्राप्त स्कूल के कर्मचारी एवं अन्य विशेष श्रेणियां भी राज्य सरकार की अन्य श्रेणियों की भांति पेंशन और परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगी।

14- विविध:-

14.1- इन आदेशों के आधार पर केरल सेवा नियमावली में औपचारिक संशोधनों को अलग से जारी किया जाएगा।

14.2 उपर्युक्त आधार पर पेंशन/परिवार पेंशन का पुनर्निधारण करने के कुछ उदाहरण इस आदेश की अनुसूची IV में दिए गए है।

राज्यपाल के आदेशानुसार

डा. ए. के. दुबे प्रधान सचिव (वित्त)

सेवा में,

महालेखाकार (ए एंड ई) (लेखा-परीक्षा) केरल, तिरूवनंतपुरम।